

वाणी

वर्ष : 37 अंक 137 जून 2023



पत्रिका पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका



तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री तिरु एम के स्टालिन के कर कमलों से वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव



वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में चेन्नै में आयोजित छठे रोजगार मेला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री एस श्रीमती

वाणी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

वर्ष : 37 अंक 137 जून 2023

संदेश

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश	3
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश	4
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश	5
महा प्रबन्धक महोदय का संदेश	6

संपादकीय

हिंदी : विज्ञापन की भाषा	7
--------------------------	---

विशेष आलेख

न्यायालय में राजभाषा	10
स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका	16
समय प्रबंधन	25
भारतीय संसद : नया रूप	33
सोशल मीडिया	41
वन व पर्यावरण	48
मन की भाषा	55

बैंकिंग व अन्य लेख

डिजिटल ऋण : भविष्य की बैंकिंग	8
धोखाधड़ी प्रबंधन	14
सफलता की पथ प्रदर्शक: हमारी प्रशिक्षण प्रणाली का अंतरावलोकन	19
बैंक एवं भारतीय भाषाएँ	21
जलवायु जोखिम एवं सतत वित्त	23
डिजिटल करेंसी : अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग पर प्रभाव	35
बैंक में अनुपालन कार्य	37

बैंकों द्वारा ऋण संवितरण एवं उसकी वसूली	46
भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका	54
बैंकिंग में हरित वित्त एवं सतत विकास	57

कविता

आत्मसम्मान की भाषा हिंदी	13
भ्रष्टाचार	27
शोर !!	38

साहित्य का सफ़रनामा

फ़िराक़ गोरखपुरी- एक साहित्यिक विवेचना	43
--	----

फोटो फ़ीचर

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण	29
विभिन्न नराकासों से प्राप्त पुरस्कारों की झलकियाँ	32

प्रवासी भारतीय

"द टाइगर ऑफ जेलूटोंग"	39
-----------------------	----

कृति दर्पण

भूख का व्याकरण	53
----------------	----

विविधा

शब्द शब्दांतर	28
हंसी की फुलझड़ियाँ	52
ज्ञान के मोती	52
राजभाषा प्रश्नोत्तरी	59
प्रतिस्पन्दन	60



**इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका**



**तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?**

वाणी

वर्ष : 37 अंक 137 जून 2023

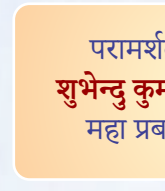


मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक



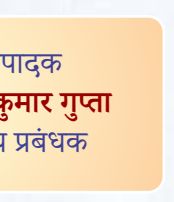
संरक्षक
संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक



परामर्शदाता
शुभेन्दु कुमार वर्मा
महा प्रबन्धक



संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक



संपादन सहयोग
फणीष मणि लिपाठी
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटेर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं
में व्यक्त विचार लेखकों के
निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना
ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु



संदेश

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः

इस सूक्ति का भावार्थ है कि सोचने मात्र से इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। हमारा बैंक भी अपने उत्कट उद्यम और प्रबल प्रयासों की बदौलत बुरे दौर से निकलकर आज एक नये सवेरे का साक्षी बना है। हम आज एक मजबूत बैलेंसशीट के साथ खड़े हैं और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। आज क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का भरोसा हमारे बैंक पर बढ़ा है। हमारे ग्राहक और शेयरधारकों की उम्मीदें भी हमसे बढ़ी हैं। इन आशाओं और आकांक्षाओं ने हम आइओबियंस की जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है। मुझे यकीन है कि बैंक ने जिस दिशा और रफ्तार को पकड़ा है, उससे हम न सिर्फ सभी हितधारकों की आशाओं पर खरे उतरेंगे बल्कि भारतीय बैंकिंग उद्योग का एक अग्रणी बैंक भी बनेंगे।



आज पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल और अनिश्चितता का वातावरण है। लेकिन ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भी पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जीडीपी दर 8% के आसपास बनी रहेगी। बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये सकारात्मक संकेत देने के साथ बड़े अवसर की ओर भी एक इशारा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी आइओबियंस इस मौके का पूरा लाभ उठाएंगे और देश की तरक्की की कहानी में आइओबी को भी साझीदार बनाएंगे।

हमारा बैंक लगातार अपने उत्पादों को बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा है। विशेषतौर से बचत खातों और चालू खातों का आकर्षक पैकेज तैयार किया गया है जो युवा पीढ़ी और बिजनेस वर्ग को खूब लुभाएगा। हमने अपने एमएसएमई, कृषि और रीटेल ऋण उत्पादों में बाज़ार की अपेक्षाओं के अनुसार नए बदलाव किए हैं। ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हम मॉडर्न और टेक सैवी युवाओं की पहली पसंद बनना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आइओबी तकनीक आधारित एक सुरक्षित और ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बने।

हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सेवा क्षेत्र का हिस्सा हैं और सेवा में छोटी सी कमी भी ग्राहक की नाराज़गी का कारण बन सकती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग्राहक के लिए शिकायतों की गुंजाइश नहीं के बराबर रहे। शिकायत होने पर उसका त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। पारंपरिक और डिजिटल बैंकिंग की सफलता ग्राहक सेवा पर ही निर्भर करती है। बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमें ग्राहक सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखना है। उम्मीद है कि सभी आइओबियंस इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी



संदेश

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

प्रिय सहकर्मियों,

अपने बैंक की गृह पत्रिका 'वाणी' के माध्यम से आप सभी से पुनः संवाद करते हुए असीम हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैंने हमेशा ही यह महसूस किया है कि राजभाषा कार्यान्वयन का मंतव्य सिर्फ दस्तावेजों का द्विभाषीकरण नहीं है अपितु यह काफी व्यापक क्षेत्र है, जिसके कई पहलू होते हैं। पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इन्हीं में से एक है। बैंकिंग व समसामयिक विषयों पर पत्रिकाएँ तो सुलभ रूप से उपलब्ध रहती ही हैं, किन्तु जटिल विषयों पर हिन्दी में पत्रिकाओं का प्रकाशन कोई सरल काम नहीं है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नवीनतम सूचनाओं तथा अद्यतित जानकारीयों से परिपूर्ण वाणी का यह अंक न केवल तकनीकी क्षेत्र से जुड़े बल्कि सामान्य पाठकगणों के लिए भी लाभकारी व ज्ञानवर्धक साबित होगा।



एक छोटी सी खूबसूरत कहानी के माध्यम से अपनी बात आप सभी के सम्मुख रखना चाहूंगी। एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था, वह अचानक इस तथ्य से भ्रमित होकर रुक गया कि ये विशाल जीव केवल अपने अगले पैर में पड़ी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। न कोई जंजीर, न कोई पिंजरा। यह स्पष्ट था कि हाथी कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकता था, लेकिन किसी कारण से, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने पास खड़े एक ट्रेनर से पूछा कि ये ताकतवर जानवर इस महीन सी रस्सी और छोटे से खूँटे से कैसे बंधा हुआ है? जबकि यह चाहें तो एक ही पल में रस्सी को तोड़ सकता है। ट्रेनर ने जवाब दिया, "जब यह बहुत छोटे होते हैं तभी से हम इन्हें बाँधने के लिए एक ही रस्सी का उपयोग करते हैं। शुरू में ये रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जल्द ही थक कर कोशिश करना छोड़ देते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, उनका यह विश्वास भी बड़ा होता जाता है कि वे इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते, इसलिए वे कभी भी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते। वह आदमी चकित हुआ। ये जानवर किसी भी समय अपने बंधनों से मुक्त हो सकता था, लेकिन क्योंकि उसका मानना था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, वह वहीं फंस कर रह गया, जहां वह था।

अगर बैंकिंग के क्षेत्र की बात करें तो इन हाथियों की तरह ही, हम में से कितने लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि वो खाते जो कुछ साल पहले अनर्जक हो गए थे, उनकी वसूली नहीं की जा सकती; या कि किसी बड़े सरकारी कार्यालय, जहां पिछली बार सफलता हाथ नहीं लगी थी, से व्यापार नहीं लाया जा सकता आदि। मेरे कहने का अर्थ महज इतना है कि हम सिर्फ इसलिए प्रयास न करें क्योंकि हम या हम से पहले कुछ लोग असफल हो गए थे हमारी प्रगति का बाधक साबित हो सकता है। जरूरत है तो बस एक अदद सार्थक प्रयास की। जीवन सतत संघर्ष का ही दूसरा नाम है और हमें उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ आपको सौंपते हुए अपनी वाणी को विराम दूँगी।

"कौन कहता है आसमाँ में सुराख नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों"

शुभकामनाओं सहित,

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

वाणी



जून 2023



संदेश

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

परिवर्तन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। हमें परिवर्तनों को स्वीकारते हुए स्वयं को कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर रखना है। पिछला वित्तीय वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कई मायनों में शानदार रहा है। बैंकों के सकारात्मक वित्तीय परिणाम और लगातार एनपीए में गिरावट से, ग्राहकों एवं शेयरधारकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हम सभी से अपेक्षाएँ हैं कि यह वर्ष आइओबी के लिए अविस्मरणीय एवं अतुलनीय बनायें। हमें उत्साह, ऊर्जा एवं उमंग के साथ इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है।



हमारे पास समाज के हर वर्ग के लिए विशेष उत्पाद एवं योजनाएं उपलब्ध हैं, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना जरूरी है। ग्राहकों के लिए नित्य नए उत्पाद लेकर आना और उन तक अपनी पैठ जमाना, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ग्राहकों के आवश्यकतानुसार उत्पादों का सृजन आवश्यक है और मौजूदा उत्पादों में समयानुसार संशोधन भी समय की मांग है। हमने अपनी कई मौजूदा योजनाओं में ग्राहक के हितों को ध्यान में रखते हुए कई संशोधन किए हैं। उन योजनाओं में कई आकर्षक विशेषताओं को जोड़ा गया है। हमें उम्मीद है कि संशोधित योजनाएं ग्राहकों के बीच खूब प्रचलित होंगी और अपने बैंक का व्यवसाय बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। हमारे बैंक का सबसे प्रसिद्ध उत्पाद 'मेरा नाम ही मेरी खाता संख्या है' को ग्राहकों तक पहुँचाएं। इस उत्पाद की सबसे खास बात यह है कि ग्राहक स्वेच्छा से अपने खाते का नाम या संख्या रख सकते हैं। यह एक खास उत्पाद है, इसकी स्वीकारोक्ति भी ग्राहकों से मिल रही है।

रीटेल व्यवसाय को बढ़ाने की अपार संभावनाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं। इस व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त जेन जेड कस्टमर हैं, उन्हें अधिकाधिक लक्षित करने की आवश्यकता है। वैयक्तिक ऋण, शुभगृह आवास ऋण, वाहन ऋण, एनआरआई आवास ऋण के संभावित ग्राहकों तक पहुँचें। रीटेल व्यवसाय जितना सुरक्षित है, उतना ही हमारे परिचालनगत लाभ को बढ़ाने में भी सहयोग देता है।

ग्राहक और स्टाफ के मध्य संवाद व्यवसाय का आधार बनता है। ग्राहकों के साथ मित्रवत रहें।

बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलै जानि,
हिये तराजू तौलि के, तब मुख बाहर आनि।
- कबीरदास

शुभकामनाओं सहित,

संजय मुदालियर

संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक



संदेश

महा प्रबन्धक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

एक बैंकर के पास उसकी विषय विशेषज्ञता के साथ-साथ तात्कालिक वित्तीय गतिविधियों की जानकारी होना अत्यावश्यक है। बैंकिंग जगत में हो रहे नित नए प्रयोगों ने पिछले दो दशकों में परंपरागत बैंकिंग की परिभाषा को ही बदल दिया है। नई पीढ़ी पूरी तरह तकनीक पर निर्भर है और हम भी। ग्राहक सरल और कुशल बैंकिंग की अपेक्षा करते हैं, जिसमें सब कुछ उनके मोबाइल या लैपटाप की स्क्रीन पर उपलब्ध हो, शानदार ग्राहक अनुभव, वित्तीय सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और भी कितना कुछ। यही कारण है कि, जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है वैसे-वैसे ग्राहकों की मांग और ज़रूरतें बदलती जा रही हैं। हम आवश्यकतानुरूप अपनी सेवाओं को लगातार अनुकूलित करते, बदलते और प्रासंगिक बनाते रहे हैं। यद्यपि हम पारंपरिक बैंकिंग में पहले ही सफल हो चुके हैं, अब हमें नवोन्मेषी बैंकिंग में भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना होगा। हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समर्पित रूप से इस दिशा में कार्यरत है। हमारे बैंक के उत्पाद बैंकिंग क्षेत्र में सर्वोत्तम हैं, जिन्हें विशेष रूप से उनके लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आवश्यकता है तो बस सही उत्पाद की पेशकश लक्षित ग्राहक को करने की।



बैंक किसी भी नवीनतम बैंकिंग अवधारणा अथवा नीति-नियमों आदि में हुए किसी भी अद्यतन से आप सभी को अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि पेशेवर और व्यक्तिगत स्तर पर बैंक और आप दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। उचित प्रशिक्षण के साथ, आप सभी न केवल परिचालन की बारीकियां सीख सकते हैं बल्कि इस तरह के प्रशिक्षण आपको संबंधित प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। जो आपको आपके कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक, तेजी से और बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, प्रशिक्षण से न केवल गलतियों की संभावना कम हो जाती है बल्कि यह आपके ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में भी मदद करता है। हमें इस बुनियादी सच्चाई को समझना होगा कि हम यहाँ ग्राहक की वजह से हैं। हमारी शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्य ही बैंक का चेहरा हैं। हमारे ग्राहक बैंक को उसके शीर्ष प्रबंधन के नाम से नहीं बल्कि शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के काम से जानते हैं। हमें अपने मिलनसार और सौम्य व्यवहार से ग्राहक का दिल जीतना होगा तभी हम इस प्रतिस्पर्धी दौर में अग्रणी बने रह पाएंगे।

अपनी अनुकूलित और उन्नत सेवाओं के बारे में खुद को सतत रूप से अद्यतित रखना ही इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने ग्राहकों को खोने से बचने का एकमात्र तरीका है। आइये हम हर पल कुछ नया सीखते हुए अपने प्रदर्शन और सेवाओं से अपने बैंक को सुनहरे रास्ते पर लाने का संकल्प लें। अच्छे दिन इंतज़ार में हैं। हमें परिणामों के बारे में सोचे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा, कितना तो सटीक लिखा है निसार साहब ने-

वही हकदार हैं किनारों के
जो बदल दें बहाव धारों के

शुभकामनाओं सहित,

शुभेन्दु कुमार वर्मा
महा प्रबंधक



संदेश

हिंदी : विज्ञापन की भाषा

प्रिय पाठको,

वाणी पत्रिका का 137वां नूतन अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका किसी भी संस्थान की दर्पण होती है। इसमें बैंक की पूरी झलक उपस्थित होती है। जिसे देखकर बैंक की फौरी स्थिति से अवगत हुआ जा सकता है। इसमें बैंक की आवश्यक गतिविधियों के साथ-साथ बैंक द्वारा निर्मित नए उत्पादों को भी जगह दी जाती है। पत्रिका में विज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग उत्पाद का प्रचार-प्रसार करना है।



बहुत चर्चित लोकोक्ति है – जो दिखता है, वही बिकता है। कई बहुत फायदेमंद उत्पाद समुचित विज्ञापन के अभाव में ग्राहकों के समक्ष लोकप्रियता नहीं बटोर पाते हैं। ध्यातव्य है कि विज्ञापन के सफलता की पहली शर्त- भाषा होती है। भाषा का अमित प्रभाव सदैव जनमानस पर पड़ता है। विज्ञापन की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वे ग्राहक को तत्काल आपके उत्पाद खरीदने के लिए लुभाएँ। हमारे ग्राहक सिर्फ शहर की अट्टालिकाओं में नहीं वरन गांव की गलियों से होते हुए कारखानों में कार्यरत कामगार भी होते हैं। ये लोग निस्संदेह बैंक से जुड़े हुए हैं, पर बैंक के नवीनतम उत्पादों के लाभ से वंचित हैं। हमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुँचना है जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर असंभव नहीं, इन सहज लोगों तक उनकी मातृभाषा में ही पहुँचा जा सकता है। उन्हें नवीनतम बैंकिंग उत्पादों से राजभाषा हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर जागरूक किया जा सकता है। हम सभी बैंक के ब्रांड एंबेसडर एवं हितधारक हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि बैंकिंग सुविधाएं अधिक से अधिक ग्राहक तक पहुँचाएं और संभावित ग्राहक को बैंक से जोड़ें।

पत्रिका की पृष्ठ सं. 30 और 31 विज्ञापन से संबंधित रखा गया है। उल्लिखित पृष्ठों पर बैंक की नई उत्पाद 'आइओबी सीए' को कवर किया गया है। शाखा / कार्यालय प्रमुख से निवेदन है कि वे विज्ञापन से संबंधित पृष्ठों को पत्रिका से निकालकर शाखा / कार्यालय के परिसर में उचित स्थान पर प्रदर्शित करें, जहाँ ग्राहकों की पहुँच आसानी से हो। इस अंक में एक ओर जहाँ डिजिटल ऋण - भविष्य की बैंकिंग जैसी तकनीक परक आलेख है तो वही दूसरी ओर न्यायालय में राजभाषा की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली वैचारिक आलेख भी मौजूद है। एक ओर भारतीय संसद का नया रूप यानी लोकतंत्र के मंदिर से संबंधी तथ्यपरक आलेख को समाहित किया गया है तो वहीं दूसरी ओर साहित्य का सफरनामा स्तंभ में हिंदी और उर्दू भाषा पर जबरदस्त अधिकार रखने वाले शायर व आलोचक फिराक गोरखपुरी को जगह दी गयी है। साथ ही, इस अंक में हमने सभी स्थायी स्तंभों को बरकरार रखते हुए ज्ञानवर्धक एवं पठनीय बैंकिंग, साहित्यिक एवं भाषागत आलेखों तथा मार्मिक कविताओं को समाहित किया है।

हमें विश्वास है कि आपको पत्रिका का नवीनतम अंक पसंद आएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में...

आपका,

कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक सह संपादक



डिजिटल ऋण : भविष्य की बैंकिंग

समकालीन समय डिजिटल का है। डिजिटल युग में अधिकांश कार्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। ऋण की भी यही स्थिति है। बेशक, डिजिटल ऋण एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऋण लेना-देना अभी शैशवावस्था में हैं परंतु आने वाले समय में निश्चित रूप से डिजिटल ऋण एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऋण लेने की गति तेजी से बढ़ेगी। डिजिटल से तात्पर्य डाटा इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से तैयार करने, प्रसंस्कृत करने और संगृहीत करने से है। ऋण प्रदान करना बैंक के प्रारम्भिक कार्यों में से एक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल ऋण का अर्थ है- डिजिटल चैनल द्वारा या डिजिटल चैनल की सहायता से ऋण आवेदन प्राप्त कर प्रसंस्करण एवं संवितरण। पारंपरिक ऋण और डिजिटल ऋण में अंतर डिजिटल तकनीक के प्रयोग का ही है।

ऋण बैंकों की आय का प्रमुख स्तोत होता है और जितना ज्यादा ऋण का आकार होगा, व्याज से आय उतनी ही बढ़ेगी। अतः ऋण ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को दिया जाए, यह बैंक के लिए आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज गैर-ब्याज आय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की डिजिटल ऋण पर समिति ने नवंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज अनेक फिनटेक कंपनियां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। मोबाइल और नेट बैंकिंग से भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ ऋण भी डिजिटल तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बैंकों में डिजिटल ऋण का तंत्र अभी विकास के चरण में है। निस्संदेह, बैंक डिजिटल प्रक्रिया में नित अभिनव दृष्टिकोण अपना रहे हैं। डिजिटल ऋण के दृष्टिकोण से इन ऋणों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैलेन्स शीट लेंडिंग और प्लेटफॉर्म लेंडिंग। बैलेन्स शीट आधारित डिजिटल ऋण में ऋण प्रदाता ऋण देने के कार्य में शामिल होते हैं और अपनी बैलेन्स शीट में ऋण जोखिम वहन करते हैं। प्लेटफॉर्म लेंडिंग में ऋण को बैलेन्स शीट में शामिल नहीं किया जाता। इनका काम सिर्फ ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले के बीच सेतु का काम करना होता है।

भारत में डिजिटल ऋण और भौतिक ऋण की तुलना करें तो वर्तमान में डिजिटल ऋण की प्रतिशतता अत्यंत कम है। बैंक में डिजिटल ऋण वर्तमान में कुल ऋण का लगभग 2 प्रतिशत ही है। 2020 में डिजिटल चैनल के माध्यम से संवितरित कुल 1,41,821 करोड़ रुपये के ऋण में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का योगदान 13.1 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंकों का 55.1 प्रतिशत, विदेशी बैंकों का 1.4 प्रतिशत और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का योगदान 30.3 प्रतिशत है।

वैयक्तिक ऋण का डिजिटल ऋण में सर्वाधिक योगदान है। इसके बाद लघु और मध्यम उद्यम का अंश है। यदि अवधिवार बात करें तो बैंकों के मामले में एक वर्ष से अधिक के डिजिटल ऋण का अंश 87 प्रतिशत है, जो कि सर्वाधिक है। आने वाले वर्षों में डिजिटल ऋण का जमाना होगा। विशेषकर रीटेल और एमएसएमई क्षेत्र में डिजिटल ऋण तेजी से लोकप्रिय हो जाएगा।

समयानुरूप, किसी भी कार्य के निष्पादन की पद्धति में परिवर्तन होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र को देखें तो पाएंगे कि डिजिटलीकरण ने हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है। आज शायद ही ऐसा कोई कार्य है, जो डिजिटल तरीके से नहीं हो रहा है।

दैनिक जीवन के हर कार्य में डिजिटल की पैठ है। समाचार पत्र का स्थान ई-पेपर ने ले लिया है। पुस्तक का स्थान भी धीरे-धीरे ई-पुस्तकें ले रही हैं। रसोई में कई कार्य डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। इन्डक्शन, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट फ्रिज आदि को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। स्मार्ट टीवी, टिकट बुकिंग, के लिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल विकल्प, अन्य कार्यों के लिए ऐप, न जाने कितने उदाहरण हैं। आज डिजिटल तरीके से बैंक खाते खोले जाते हैं और केवाईसी भी डिजिटल माध्यम से की जाती है। फिर डिजिटल ऋण डिजिटल तरीके से क्यों न हो भला?

आज अधिकांश बैंक ऋण के क्षेत्र में डिजिटल होते जा रहे हैं अर्थात् डिजिटल ऋण अब एक हकीकत बन चुका है और भविष्य में ऋणों में डिजिटल ऋण का अंश बढ़ते ही जाना है। कई बैंकों के पूर्वानुमोदित ऋण इसके उदाहरण हैं। कई डिजिटल ऋण उत्पाद बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि फिनटेक और बिगटेक कंपनियों ने इस क्षेत्र में पहल की है।

कई बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग के लिए विशेष ऐप बनाए हैं जिसके द्वारा ऋण के लिए डिजिटल तरीके से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, इन बैंकों ने अपने इंटरनेट बैंकिंग का मोबाइल संस्करण भी उपलब्ध करवाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल ऋणदाता की भूमिका को वैध बना दिया है। डाटा प्रोटेक्शन बिल, अकाउंट ऐग्रीगेटर फ्रेमवर्क और डिजिटल ऋण के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35ए और 56 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होते हैं।



सकारात्मक पहलू:

डिजिटल ऋण के कई सकारात्मक पहलू हैं एवं अनेक लाभ हैं, जिस कारण इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नवत हैं:

1) भौतिक दस्तावेज नहीं

भौतिक ऋण की तरह डिजिटल ऋण में किसी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। सभी जानकारी ग्राहक की फ़ाइल से डिजिटल तरीके से ले ली जाती है। नए ग्राहक के मामले में भी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही अपलोड किया जाता है।

2) शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं

कृत्रिम मेधा और डाटा एनालिटिक्स के सहायता से ग्राहक की ऋण पात्रता का निर्णय लिया जाता है। योग्य पाए जाने पर ग्राहक को उसके मोबाइल या ईमेल पर संदेश प्रेषित कर दिया जाता है। उस संदेश में ग्राहक द्वारा ऋण लेने की सहमति देने के बाद ऋण का प्रसंस्करण डिजिटल तरीके से ही कर दिया जाता है। अर्थात्, शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ मामलों में ग्राहक अपनी ओर से भी ऋण पाने के लिए पहल कर सकते हैं। यह ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है।

3) त्वरित संवितरण

भौतिक ऋण की प्रक्रिया लंबी होती है। इसमें न केवल संस्वीकृति के पूर्व, बल्कि संस्वीकृति के पश्चात भी कुछ औपचारिकताएं होती हैं और जो प्रक्रिया होती है उसमें ऋण संवितरित होने में सामान्यतः कुछ समय लग जाता है। परंतु डिजिटल ऋण की स्थिति में जैसे ही ग्राहक सहमति देता है, वैसे ही ऋण प्रसंस्कृत होकर उसके खाते में ऋण की राशि जमा करा दी जाती है, अर्थात् समय की बचत होती है। अनावश्यक विलंब होने से बचने में डिजिटल ऋण कारगर साबित हो रहा है।

4) उपलब्धता

डिजिटल ऋण 24*7*365 दिन उपलब्ध होता है अर्थात् डिजिटल ऋण में समय की बाध्यता नहीं होती। साथ ही, बैंक परिसर में उपस्थित होने की बाध्यता भी नहीं होती। ग्राहक जब भी चाहे अपने स्थान से ही ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।

5) त्रुटि की कम संभावना

डिजिटल ऋण एक मानक प्रक्रिया के तहत दिये जाते हैं। अतः इसमें मानवीय त्रुटि की संभावना न के बराबर होती है। हाँ, यदि डाटा सही तरीके से मशीनीकृत फ़ीड न किया जाए तो ऋण के चयन की प्रक्रिया में या अन्य चरण में त्रुटि हो सकती है।

6) ग्राहक के रुचि के अनुरूप

वर्तमान ग्राहक, विशेष कर युवा वर्ग, हार कार्य डिजिटल मोड से पसंद करता है। आज डिजिटल मोड युवा ग्राहकों का प्रमुख पसंद बन गया है। इससे ग्राहक को बेहतर अनुभव मिलता है। समय, खर्च और श्रम वे

बचत होने के कारण यह ग्राहक के अनुकूल है। ग्राहक सेवा हर बैंक का प्रमुख लक्ष्य होती है और ऐसे में यदि डिजिटल ऋण से ग्राहक को बेहतर सेवा दी जा सकती है तो यह बेहतर संकेत है।

7) कम लागत

तकनीक की सहायता से कार्य करने से लागत में कमी आती है। लागत की कमी से लाभ बढ़ता है। साथ ही, लागत में कमी का कुछ अंश ग्राहक को उपलब्ध करवाया जा सकता है जिससे ग्राहक को प्रसंस्करण शुल्क कम देना पड़ सकता है।

चुनौतियाँ:

किसी भी नवोन्मेषी कार्य को करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल ऋण के मामले में भी अनेक चुनौतियाँ हैं जिनका सामना बैंकों को करना है। प्रारंभ में, स्वाभाविक तौर पर अधिक चुनौतियाँ आती हैं। वर्तमान में जो चुनौतियाँ हैं डिजिटल ऋण की राह में आ रही हैं, उनमें से प्रमुख निम्नवत हैं:

1) डिजिटल साक्षरता

डिजिटल ऋण के मामले में डिजिटल साक्षरता भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे देश में, साक्षरता दर में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है परंतु डिजिटल साक्षरता के मामले में हम अभी काफी पीछे हैं। डिजिटल साक्षरता कम होने के परिणामस्वरूप डिजिटल ऋण की गति की संभावना कम हो जाती है। साथ ही, डिजिटल साक्षरता में कमी के कारण कई लोग धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं।

2) धोखाधड़ी

हर क्षेत्र की तरह डिजिटल ऋण के क्षेत्र में भी धोखाधड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। केवाईसी अद्यतन करने के नाम पर, एटीएम कार्ड के सुचारु संचालन के नाम पर, केवाईसी या अन्य योजना में लॉटरी के नाम पर या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के ठगने के मामले सामने आते रहते हैं। कतिपय ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें अपराधी ने डिजिटल ऋण अपने खाते में जमा करवा लिए हैं और फिर पूरी रकम लेकर चंपत हो गए हैं। त्रुटि, डाटा लॉस, अनधिकृत प्रयोग के कारण धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर, कई ऐसे ऐप हैं जिनसे एक बार ऋण ले कर व्यक्ति दुष्चक्र में फँस गए हैं और कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है।

निष्कर्षतः

हम कह सकते हैं कि डिजिटल ऋण के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ हैं परंतु यह भी सत्य है कि डिजिटल ऋण की चुनौतियों का बैंक सफलतापूर्वक सामना करेंगे और व्यवसाय के नए प्रतिमान गढ़ेंगे। आने वाला समय डिजिटल ऋण का है एवं उसकी प्रक्रिया और भी सरल होगी। फिनटेक एवं बिगटेक कंपनियाँ इस कार्य में अभूतपूर्व सहयोग दे रही हैं। जैसे-जैसे प्रक्रिया सरल होगी, डाटा की शुद्धता बढ़ेगी, डिजिटल साक्षरता में सुधार होगा, वैसे-वैसे डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऋण सुगम होता जाएगा।



न्यायालय में राजभाषा

लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत विविधता युक्त और कई खांचों में बंटा हुआ बहुरंगी समाज है। यहाँ “कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी” कहावत चरितार्थ होती है। भारत में लगभग 180 भाषाएं व सैकड़ों जातियाँ हैं। जब ये विभिन्न जातियाँ भारत में आकर बसीं तो वैचारिक आदान-प्रदान हेतु ऐसी भाषा का आविर्भाव हुआ जो देश के अधिकांश हिंदी भाषी भागों की भाषा होने के साथ साथ सरकारी कामकाज की भाषा बन गयी, किन्तु न्यायालय में हम अभी भी राजभाषा हिन्दी को कार्यालयी भाषा नहीं बना पाये हैं। अंग्रेजों के साथ आयी अंग्रेजी भाषा भी स्वाधीनता के 71 साल बीत जाने के बाद व काफी विरोध के बावजूद भी भारतीय न्यायालयों की कार्यकारी भाषा बनी हुई है। हालांकि देश के कुल 18008 अधीनस्थ न्यायालयों में से 1765 में ही अधिवक्ता और न्यायाधीश हिंदी भाषा में कार्य कर रहे हैं। देश में हिंदी जानने, समझने, पढ़ने, लिखने वाले न्यायविदों की भी कमी नहीं है। जब माननीय संसद द्वारा समस्त कानून हिंदी भाषा में बनाये जा रहे हैं और पुराने कानूनों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं अन्य अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाले न्यायालयों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आज जब चीन, जापान जैसे विकसित देश अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके समृद्ध व खुशहाल हैं और जब हमारी संस्कृति मातृभाषा में सन्निहित है तब सुनवाई और अभिव्यक्ति दोनों हिन्दी और मातृभाषा में सम्भव क्यों नहीं है।

संपर्क भाषा के संबंध में चल रहे विवाद के साथ, यह बहस कि क्या अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी रहनी चाहिए, इस पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं। यह विडंबना है कि देशवासी अपने ही देश में अपनी भाषाओं में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में न्याय की गुहार नहीं लगा सकते। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक प्रक्रियाओं में (कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय को छोड़कर) समूची प्रक्रिया अंग्रेजी में ही होती है। ऐसे में इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जो अंग्रेजी जानता ही नहीं, न्यायालयों में अपना पक्ष एक विदेशी भाषा में रखने के लिए विवश है। समय की मांग है कि संसद कानून बनाकर ऊपरी अदालतों में हिंदी तथा संविधान में वर्णित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान करे। हमारे देश में ऊपरी अदालतों की भाषा को लेकर अनेक अवसरों पर सवाल उठते रहे हैं कि उनकी



हिंदी

भाषा आम आदमी की समझ से परे है। कई दफा यह मांग उठी कि उच्च अदालतों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी मुकदमे दायर करने और फैसले सुनाने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है।

न्यायपालिका को हमारे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सबसे पहले न्यायपालिका की ही शरण में जाते हैं। मान लीजिए अगर आप अपनी कोई फरियाद लेकर हाईकोर्ट जाते हैं और कोर्ट आपसे यह कहे कि हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी है और यहां कोई पक्षकार किसी अन्य भाषा में संबोधित नहीं कर सकता। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर किस कानून के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी में ही अपनी बात रखी जा सकती है और किसी भी कोर्ट की कार्य व्यवस्था को स्थानीय भाषा में करने में क्या दिक्कतें हैं? इसके अलावा, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्य व्यवस्था स्थानीय भाषा में भी होती है तो इसके क्या फायदे होंगे?

दरअसल हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक पत्रकार के ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने उस पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा, क्योंकि उच्च न्यायपालिका में इसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा का माध्यम और अदालती कार्यवाही की भाषाओं का भी आपस में संबंध है, जिसे समझने की ज़रूरत है। जब तमाम सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज पर जोर दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा आम आदमी की



भाषा क्यों नहीं बन सकती? जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की 43 प्रतिशत आबादी हिंदी को अपनी प्रथम भाषा के तौर पर स्वीकार करती है और 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग हिंदी को द्वितीय वरीयता देते हुए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रथम भाषा मानते हैं। वहीं अंग्रेजी को अपनी प्रथम भाषा मानने वाले लोग कुल जनसंख्या का 0.2 प्रतिशत हैं। ऐसे में देश की उच्च न्यायिक प्रक्रिया में भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी होना बेहद अप्रासंगिक एवं अतार्किक प्रतीत होता है। यदि एक सजा प्राप्त मुजरिम सिर्फ भाषा की समस्या के कारण यह न समझ पाए कि कोर्ट ने उसको वह सजा किन तथ्यों और प्रक्रियाओं के आधार पर दे रहा है, तो यह न्याय व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है। अगर न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है जहां अधिकांश आबादी इस भाषा से अनभिज्ञ है तो वह इसे शंका की दृष्टि से देखेगी एवं न्यायालय के फैसलों में विश्वसनीयता का अभाव होगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायालयों का कामकाज इस तरह हो कि वह केवल न्यायाधीश और वकील के बीच का संवाद बन कर न रह जाए, उसमें वादी और प्रतिवादी की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मगर वह केवल कुछ गवाहियों तक सीमित रह जाती है। न्यायालयों में वादपत्र लिखने का तरीका एवं शब्दावली, दोनों ही आम लोगों के लिए आसानी से समझ में आने योग्य नहीं होती। इसी प्रकार निर्णयों की भाषा भी सरल होनी चाहिए ताकि वह वादियों की समझ में आसानी से आ सके। अभी देखा यह जाता है कि कुछ निर्णय इतने क्लिष्ट होते हैं कि विधि विशेषज्ञ भी उन्हें समझने में असमर्थ रहते हैं और न्यायालय से उन्हें स्पष्ट करने का अनुरोध करना पड़ता है। संविधान में वर्णित भाषाओं में भी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब सांसदों के दिए भाषणों को संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं में तुरंत अनुवाद की व्यवस्था है तो ऊपरी अदालतों में इस तरह की व्यवस्था करने पर क्यों नहीं सोचा जा सकता है?

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि आखिर अदालतों की भाषा अंग्रेजी हुई कैसे। दरअसल देश में जब जिस तरह की सत्ता रही उसी हिसाब से अदालतों की भाषा भी बदलती गई। अंग्रेजी शासन से पहले फारसी या उर्दू अदालत की भाषा हुआ करती थी, क्योंकि देश का शासन इन्हीं जुबानों का इस्तेमाल करने वाले राजतंत्र के हाथ में था। जब देश की सत्ता अंग्रेजों के हाथ गई, तब कोर्ट की भाषा अंग्रेजी हो गई। यानी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होने को एक तरह का औपनिवेशिक संस्कार कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जब अंग्रेज यहां से चले गए और देश आजाद हो गया तब भी हमने अदालतों में स्थानीय भाषा को स्वीकार क्यों नहीं किया। इसके लिए हमें इस राह में आने वाली समस्याओं को समझना होगा। इसे एक उदाहरण से



समझते हैं। मान लीजिए कि हाईकोर्ट में स्थानीय भाषा में जिरह को मंजूरी मिल गई। अब मान लीजिए केरल हाईकोर्ट में एक मामले को लेकर मलयालम में बहस चल रही है। अगर दोनों पक्ष मलयालम समझते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों पक्षों में से कोई एक वकील या कोई एक पक्ष गुजरात, बिहार या हरियाणा का हुआ तो अदालत की सारी जिरह उसकी समझ में नहीं आयेगी। इसके अलावा, अगर किसी वकील या जज ने अपनी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में की है, तो उसके लिए किसी भी राज्य की स्थानीय भाषा में जिरह सुनना या अपने दस्तावेज़ तैयार करना टेढ़ी खीर साबित होगा। ऐसे में, आखिर इसका उपाय क्या होगा? इसके लिए विशेषज्ञ सुझाते हैं कि पांचवीं तक या उसके बाद भी मातृभाषा में पढ़ाई के फॉर्मूले को लागू करना होगा और शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय भाषा में भी बढ़ावा देने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में सिफारिश भी की गई थी कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इस तरह जब ऐसे छात्र कोर्ट में वकील या जज बनकर जाएंगे तो वे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों समझ पाएंगे। इसके अलावा साल 2019 में कोर्ट ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत अदालत के आदेशों का स्थानीय भाषा में भी अनुवाद किया जा रहा है। हालांकि रोजाना इतनी मात्रा में कोर्ट के फैसले आते हैं जिससे अनुवाद का यह काम सरल नहीं होगा। साथ ही, कुछ दूसरी तरह की भी समस्याएं हैं जैसे कि पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए एक ही हाईकोर्ट है ऐसे में वहां पर किस भाषा में कार्य व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह इसके लिए और भी व्यवहारिक उपाय खोजे जाने की जरूरत है।

विधि आयोग ने माना कि किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए भाषा एक अत्यधिक भावनात्मक मुद्दा है, जो एक महान एकीकरण शक्ति है और राष्ट्रीय एकता के लिए एक शक्तिशाली साधन है। यह केवल विचार और अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के न्यायाधीशों के लिए, यह उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। न्यायाधीशों को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनना और समझना होगा।



आम तौर पर उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी में तर्क दिए जाते हैं और भारतीय प्रणाली के तहत मूल साहित्य मुख्य रूप से अंग्रेजी और अमेरिकी पाठ्यपुस्तकों और केस कानूनों पर आधारित होता है। इस प्रकार, उच्च स्तर के न्यायाधीशों को निर्णय देने के अपने स्वयं के पैटर्न को विकसित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में अंग्रेजी के उपयोग का एक अन्य कारण यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राष्ट्रीय स्थानांतरण नीति को देखते हुए और उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में वकीलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उन्हें किसी भी भाषाई समस्या का सामना न करना पड़े और दोनों स्तरों पर अंग्रेजी भाषा बनी रहे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत पर जोर दिया और दृढ़ता से कहा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसे आधिकारिक और राष्ट्रीय रूप में अपनाया जा सकता है। भारत की यह भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संचार लिंक के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय राजभाषा के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया था और यह निर्णय लिया गया था कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया जाएगा।

न्यायपालिका की भाषा संबंधी प्रावधान:

संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में अनुच्छेद- 348 में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:

1. जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही, केवल अंग्रेजी भाषा में होगी।
2. हालाँकि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु न्यायालय के निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्य व्यवस्था न कर दे।

राजभाषा अधिनियम- 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा।

न्यायालय में राजभाषा हिन्दी को कार्यकारी भाषा बनाने के संबंध में अभी तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसलिए, अधिकांश उच्च न्यायालयों के साथ-साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही की भाषा एक विदेशी भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के साथ-साथ निर्णयों व आदेशों में भी हिंदी के उपयोग को अधिकृत किया गया है। यदि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उदाहरण लेते हैं, तो लोगों को हिंदी में बहस करने की अनुमति का यदि न्यायाधीश भाषा को समझने में सहज हैं। वहां इस अनुमति है वादियों को लाभ होता है। हिंदी की शुरुआत से उन वकीलों को मदद मिलेगी, जिन्हें अंग्रेजी में बोलने में कठिनाई होती है। राजभाषा पर संसदीय समिति ने 28 नवंबर, 1958 को संस्तुति की थी कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की भाषा हिंदी होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा - दो के अनुसार किसी भी प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी या उस प्रदेश की राजभाषा में उच्च न्यायालय की कार्यवाही संपादित करने की अनुमति दे सकते हैं। 2008 में विधि आयोग को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिंदी में कामकाज की संभावना पर अपनी संस्तुति देने का कार्य सौंपा गया, किंतु उसने नकारात्मक रिपोर्ट दी और उच्चतर न्यायपालिका में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के प्रवेश पर एक बार फिर प्रतिबंध लग गया। 27 जुलाई, 2009 को संसद में विधि आयोग के 216 वें प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी देते हुए तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली का वक्तव्य था कि आयोग ने हिंदी को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के कामकाज के लिए अव्यावहारिक बताया है। इसके पीछे राजनीति तो थी ही, भारतीय विधि शिक्षा का अभारतीय स्वरूप भी एक महत्वपूर्ण कारण था।

इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा तो बन गई है मगर देश में उच्चतर न्यायपालिका की भाषा हिंदी हो, इस पर लोग मौन हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा को लेकर संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि इनकी भाषा अंग्रेजी होगी। यह प्रावधान तब तक लागू रहना था जब तक संसद कोई अन्य प्रावधान न कर दे। इसका मतलब जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348 (2) में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस प्रदेश के उच्च न्यायालय में हिंदी या उस प्रदेश की राजभाषा में उच्च न्यायालय की कार्यवाही संपन्न करने की अनुमति दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी कार्यवाही की अनुमति



विशेष आलेख

दी गई है, जिस वजह से हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में हिंदी में बहस करने का चलन बढ़ा है और अदालतों में इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ी है। परंतु इसी तरह की मांग जब अन्य राज्यों से की गई तो उनकी मांग को ठुकरा दिया गया और यहां आज भी ऊपरी अदालतों में कामकाज अंग्रेजी भाषा में ही हो रहा है।

शिक्षा के भारतीयकरण के अभियान को नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन उच्चतर न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं के प्रतिबंध को लेकर कहीं कोई बहस नहीं हो रही है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति के 73 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी देश की न्याय व्यवस्था नागरिकों को स्वभाषा में न्याय नहीं उपलब्ध करा सकी है। राजभाषा के लक्ष्य को स्पर्श कर राष्ट्रभाषा के दर्जे को प्राप्त करने में तरसती हमारी हिंदी को न्यायिक नैराश्य के नभ से निकलने की जरूरत है। राज्यों के विधानमंडलों तथा संसद को वोट के राजनैतिक राग से मुक्त होकर इस राष्ट्रीय प्रसंग को भाषाई हित में गंभीरतापूर्वक संविधान संशोधन के लिए सचेष्ट होना चाहिए। बेहतर होता अगर इस ज्वलंत लोक प्रसंग को देश के न्यायिक संस्थानों द्वारा पहल करके अंग्रेजी भाषा की दासता से मुक्ति की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई जाती। इस तरह हम देखते हैं कि न्यायालय में राजभाषा हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने में कई चुनौतियाँ हैं फिर भी राजभाषा हिन्दी को न्यायालय में न्याय दिलाने के लिए एक और संघर्ष बाकी है। भारत के सभी राज्यों के बीच एक स्वदेशी संपर्क भाषा होनी ही चाहिए। हिंदी के लिए याचिका के पीछे राष्ट्रवादी भावना महसूस होती है, हिन्दी जन-मानस की भाषा है, राष्ट्रीय एकता का आधार है। ऐसे में न्यायालय की भाषा भी हिन्दी ही होनी चाहिए। तभी सभी राज्यों और हिन्दी प्रेमियों के सामूहिक प्रयासों से यह सपना पूरा होगा।

भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा :

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय शूल



कविता

आत्मसम्मान की भाषा हिंदी

मैं हूँ भाषा हिंद प्रादेशिक
लिए गाथा आत्म सम्मान की।
युग- युग कई संघर्ष में तपकर
बनी भाषा राष्ट्र सम्मान की।

प्राकृत भाषा से होकर प्रखर मैं
सिंध धरा पर अमर हुई हूँ
लेकर मन- मन के भाव कई मैं,
जन - जन से मुखर हुई हूँ।

अरब, तुर्की हो या फारसी,
मैं समेटे अपने साथ रही।
शूर- वीरों के शौर्य से लेकर,
भक्ति का मैं गीत रही।

दिया आधार मैंने साहित्य को
कवियों की पहचान बनी।
छूत- अछूत से परे मेरे वर्ण,
निर्धन का मैं मान बनी।

लड़ी अंग्रेज़ी से अपने ही देश में,
आर्थिक हितों से दूर रही।
न छोड़ा दामन देश- प्रेम का,
राष्ट्रवाद निर्माण में अग्रणी रही।

संविधान ने सराहा मुझे,
है राजभाषा का दर्जा दिया।
संयुक्त राष्ट्र के पटल पर मुझे,
है मुखर श्री अटल ने किया।

महत्व को मेरे विश्व ने समझा,
अनुकरण करते मेरा अन्य प्रदेश।
राष्ट्र गान की मैं भाषा हिंदी,
है भारत मेरा देश।

मैं हूँ भाषा हिंद प्रादेशिक
लिए गाथा आत्म सम्मान की।
युग- युग कई संघर्ष में तपकर
बनी भाषा राष्ट्र सम्मान की।

द्रोहित शिवहरे

सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल





महावीर सिंह मीणा, प्रबंधक, जयपुर क्षेत्र

बैंकिंग



धोखाधड़ी प्रबंधन

प्रस्तावना:

आज हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। अंकीय भारत या डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को उच्च गति का इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है यह एक द्वि-पक्ष प्लेटफॉर्म है जहां दोनों (सेवा प्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ होता है। यह एक अंतर-मंत्रालयी (अंतर-मंत्रालय) पहल होगी जहां सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगे जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक आदि। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण आज प्रत्येक कार्य को हम अनेक प्रकार की तकनीकी संसाधनों की सहायता से अत्यंत शीघ्रता से और आसानी से कर पा रहे हैं। आज हम घर बैठे हर व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, सभी प्रकार की जॉब, खरीदारी, बैंकिंग आदि कर पा रहे हैं।

बैंकिंग के क्षेत्र में भी आज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग, ई-वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग कुछ नए तरीके हैं जिन्होंने लेनदेन करने के पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार बैंकों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए हैं। लेकिन देश में जैसे-जैसे ऑनलाइन लेन-देनों की संख्या बढ़ती जा रही है, धोखेबाजों द्वारा बैंक ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि बीते 5 साल में बैंक ग्राहकों से होने वाली धोखाधड़ी के मामले कई गुना बढ़ गए हैं।

बैंक ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के आंकड़े

बैंकिंग सेक्टर में आए दिन धोखाधड़ी की खबरें आती रहती हैं। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी के आंकड़े जारी किए हैं। पिछले सालों की तुलना में इन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले 2022-23 में बढ़कर 13,530 हो गए हैं। धोखाधड़ी के इन मामलों में शामिल कुल राशि 30,252 करोड़ रुपये थी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब आधी है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कहा गया है कि मात्रा के लिहाज से

धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (कार्ड/इंटरनेट) की श्रेणी में हुई है।

यदि मूल्य के लिहाज से बात करें तो मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम श्रेणी) में सबसे अधिक धोखाधड़ी की सूचना मिली। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में कुल 9,097 धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आए, जिसमें 59,819 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। इससे पहले 2020-21 में धोखाधड़ी के 7,338 मामलों में शामिल कुल राशि 1,32,389 करोड़ रुपये थी।

रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले तीन वर्षों में बैंकों के धोखाधड़ी के मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि संख्या के लिहाज से निजी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी की अधिक सूचना दी, जबकि मूल्य के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अधिक धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए।

अतः हम कह सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है इससे बचने के लिए हमें अत्यंत सचेत रहने की जरूरत है।

बैंक ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के कारण

बैंकिंग धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी वर्तमान में आम हो गई है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन बैंक ग्राहकों के साथ होने वाले अधिकांश धोखाधड़ी के मामले जागरूकता के अभाव में होते हैं। क्योंकि जागरूक न होने के कारण लोग ऑनलाइन ठगी करने वालों के चंगुल में फंस जाते हैं जैसे : कोई फोन कॉल करके अपने को कस्टमर केयर एजेंट, बैंक स्टाफ बताकर या ईमेल, सोशल मीडिया के माध्यम से डेबिट कार्ड सीरियल नंबर, पिन या ओटीपी की मांग करता है तो उसके साथ अपनी संपूर्ण जानकारी साझा कर देते हैं जबकि किसी बैंक की तरफ से ऐसी कॉल नहीं की जाती है। कई बार लालच में आकर भी लोग इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं जिससे भविष्य में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार, बैंक और रिजर्व बैंक लगातार अभियान चलाते रहते हैं जिसमें बैंक से जुड़ी धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए जाते हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में लोग अपनी ही गलती की वजह से धोखेबाजों के हाथों अपनी रकम गँवा देते हैं। बैंक के नियमों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक स्वयं किसी धोखेबाज को अपनी सभी जानकारी और ओटीपी भी दे देता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है इसी वजह से कई लोगों को धोखा उठाने के बाद उनकी रकम वापस नहीं मिलती है।



बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव के उपाय

कई लोग स्कैमर्स के जाल में फंसकर ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने पैसे वापस पा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होते ही। हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है। जितनी जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना ज्यादा चांस होता है पैसा वापस अकाउंट में आने का होता है। कई बार लोग इस स्थिति में समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और पैसे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन फाइनेंशियल्स स्कैम के शिकार बनते ही तुरंत अपने बैंक को इस बारे में सूचना दें।

इस बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और लोगों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने हाथ मिलाया है। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक हेल्पलाइन नंबर लांच किया है जिस पर तुरंत शिकायत की जा सकती है। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 155260 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होता है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकता है। 7 से 8 मिनट में खाते से निकाले गए पैसे जिस आइडी से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए होंगे तो तुरंत उस बैंक या ई-साइट्स को अलर्ट मैसेज पहुंचेगा। फिर रकम होल्ड पर चली जाएगी और हम अपनी रकम को वापस प्राप्त कर सकते हैं।

इस तरह के धोखाधड़ी को रोकने के लिए हमारा सतर्क होना बेहद जरूरी है जैसे:-

- ❖ रिजर्व बैंक के मुताबिक कोई भी बैंक या बैंक का अधिकारी फोन कर आपसे बैंक के कार्ड, आपकी जानकारी, कार्ड के सीवीवी नंबर या ओटीपी की जानकारी नहीं मांगता। यानी अगर आपको कोई फोन पर किसी भी बहाने से जानकारी मांगता है तो तुरंत मना करें और इसकी जानकारी अपने बैंक को दें।
- ❖ मेल के द्वारा भेजे गए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें इससे आशंका होती है कि धोखेबाज आपके सिस्टम में कोई वायरस डालकर आपकी जानकारी चुरा सकता है।
- ❖ बेहद ऊंचे रिटर्न देने वाले प्रलोभनों से दूरी बनाकर रखें, अधिकांश धोखेबाज लोगों को मोटी रकम का लालच देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
- ❖ एटीएम मशीन में एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त या फिर किसी पीओएस मशीन पर कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहें, कोशिश करें कि पिन डालते वक्त आपके आसपास कोई और न हो। शक होने पर बैंक को सूचना दें।
- ❖ किसी गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी या शक होने पर तुरंत बैंक

उसकी जानकारी दें जिससे बैंक अपनी तरफ से संभव होने पर ट्रांजेक्शन रोक सके। फिलहाल सभी बैंक ट्रांजेक्शन के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर उसकी जानकारी देते हैं।

- ❖ अपने बैंक खाते में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, बैंक किसी भी आशंका पर आपसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही संपर्क करते हैं।
- ❖ यदि आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं तो आपसे सबसे पहले साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे आपसे आपकी डिटेल्स घटना का समय की जानकारी ली जाएगी। आपसे घटना के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली जाएगी।
- ❖ अगर आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं तो आप इसको लेकर 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करवाएं। इसकी शिकायत आप <https://www.cybercrime.gov.in> पर या लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं।
- ❖ सिर्फ पैसे भेजने और खाते का बैलेंस देखने के लिए ही, यूपीआई पिन डालने की जरूरत होती है। पैसा पाने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। अगर कोई आपसे अपना पिन डालने के लिए कहता है, तो इसका मतलब है कि पैसे, आपके बैंक खाते से कटेंगे। इसलिए, पिन तभी डालें, जब आपको पेमेंट करना हो।

इस प्रकार सतर्क रहकर हम ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं।

निष्कर्ष:

साइबर धोखाधड़ी में हर रोज इजाफा हो रहा है। आए दिन लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। भारत में जितनी तेजी से बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, उससे अधिक तेजी से बैंकिंग धोखाधड़ियाँ भी हो रही हैं। आज देश भर से ऑनलाइन फाइनेंशियल्स धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने से फाइनेंशियल्स धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर जानकारी के अभाव में लोग समय पर और सही जगह पर शिकायत नहीं कर पाते हैं। और इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं इसलिए आज के इस डिजिटल युग में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि डिजिटल होने के कारण जितनी अधिक सुविधाएं बढ़ी हैं उसके साथी मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ गई हैं इसलिए अपनी कमाई की राशि को सुरक्षित रखने के लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है तथा किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें और इस तरह के धोखाधड़ी से सुरक्षित रहें।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।



स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका

स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास का वह युग है, जो पीड़ा, कड़वाहट, दंभ, आत्मसम्मान, गर्व, गौरव तथा सबसे अधिक शहीदों के लहू को समेटे है। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने-अपने तरीके से बलिदान दिया है। इस स्वतंत्रता आंदोलन के युग में साहित्यकार और लेखकों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। अंग्रेजों को भगाने में कलमकारों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। क्रांतिकारियों से लेकर देश के आम लोगों तक के अंदर लेखकों ने अपने शब्द से जोश भरा। प्रेमचंद की रंगभूमि, कर्मभूमि उपन्यास हो या भारतेन्दु हरिश्चंद्र का “भारत – दुर्दशा” नाटक या जयशंकर प्रसाद का “चंद्रगुप्त” सभी देश-प्रेम की भावना से भरे पड़े हैं। इसके अलावा वीर सावरकर की “अट्टारह सौ सत्तावन का प्रथम स्वाधीनता संग्राम” हो या पंडित नेहरू की “भारत एक खोज” या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की “गीता-रहस्य” या शरद बाबू का उपन्यास “पथ के दावेदार”, ये सभी किताबें ऐसी हैं, जो देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने में कारगर साबित हुई हैं। उपन्यास और कहानी के अलावा कवियों ने अपनी कविता से लोगों में देश-प्रेम की ऐसी अलख जगाई कि, लोग घरों से बाहर निकल आए और क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारी परतंत्रता।

किसी भी आंदोलन या क्रांति को उसकी सफल परिणति में तब तक नहीं बदला जा सकता है, जब तक कि, जनचेतना पूर्ण रूप से जागृत न हो जाए। इसके लिए ऐसी ‘भाषा’ की आवश्यकता होती है जो लोगों के बीच विचारों के ‘संवाहक’ का कार्य कर सके। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में देशवासियों के स्वर ने हिंदी भाषा में गुंजन किया। महात्मा गांधी गुजराती थे, सी राजगोपालाचारी मद्रासी थे, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर व देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जैसे महान दार्शनिक व क्रांतिकारी बंगाली थे। ऐसे ही देश के अनेक प्रांतों के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को मिटा दिया। उन्होंने, स्वाधीनता का संदेश, देश भर में जन-जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी को चुना।

उस काल में हिंदी को ‘हिंदुस्तानी’ भाषा भी कहा

जाता था, जिसमें कि न तो ‘संस्कृत’ के कठिन शब्द थे और न ही उर्दू / फारसी के न समझने योग्य लफ्ज़ ही थे। बल्कि, दोनों भाषाओं के उन शब्दों का समावेश था, जो लोगों के लिए आसानी से समझने योग्य थे। इसी प्रकार अन्य प्रांतों की भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में मिलते गए। यहां तक कि अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे -कोर्ट, रेल, पुलिस आदि, हिंदी के छांव तले आकर सुकून का अनुभव करने लगे।

हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल आदि भाषाओं में भी माइकेल मधुसूदन, नर्मद, चिपलुन ठाकर आदि भारतीय उपन्यासकारों व साहित्यकारों ने राष्ट्रप्रेम की भावनाएं जागृत की, और जनमानस को आंदोलित किया। कवि गोपालदास नीरज का राष्ट्रप्रेम भी उनकी रचनाओं में ऐसे ही परिलक्षित होता है। जुल्म-ओ-सितम के आगे घुटने न टेकने की प्रेरणा उनकी रचनाओं से प्राप्त होती रही। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए लिखा है- देखना है जुनून की रफ्तार बढ़ती है कहां तक। देखना है बम की बौछार है कहां तक।

परतंत्रता का इतिहास: यह देश 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक गुलाम रहा परंतु, इसका सांस्कृतिक स्वरूप अक्षुण्ण बना रहा है। भारत की राष्ट्रीयता का आधार राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। “सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा” भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने जिस आधुनिक युग का प्रारंभ किया उसकी जड़ें स्वाधीनता आंदोलन में ही थी। भारतेन्दु और भारतेन्दु मंडल के साहित्यकारों ने युग चेतना को पद्य और गद्य दोनों में अभिव्यक्ति दी। इसके साथ ही इन साहित्यकारों ने स्वाधीनता - संग्राम और सेनानियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए भारत के स्वर्णिम अतीत में लोगों की आस्था जगाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का खुलकर विरोध किया। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा मेरी भारतीय जनता पर जुल्म-ओ-सितम व लूट का उन्होंने बढ़-चढ़कर विरोध किया। उन्हें इस बात का विश्वास था कि अंग्रेज यहां से सारी संपत्ति लूट कर विदेश ले जा रहे थे। इस लूटपाट और भारत की बदहाली पर उन्होंने काफी कुछ लिखा। “अंधेर नगरी चौपट राजा” नामक व्यंग्य के माध्यम से भारतेन्दु ने तत्कालीन राजाओं की निरंकुशता, अंधेरगद्दी और उनकी मूर्खता का सटीक वर्णन किया है। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने भी स्वाधीनता संग्राम में अपनी लेखनी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने भारतीय स्वाधीनता हेतु अपनी तलवार रूपी कलम को ‘पैना’ किया। इन कवियों ने आम जनता में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने तथा उन्हें स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा बनने हेतु प्रेरित किया।





हिंदी कवियों, साहित्यकारों, लेखकों एवं उपन्यासकारों का गद्य-पद्य का योगदान: देशभक्ति से ओतप्रोत कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने आजादी की बलिवेदी पर शहीद हुए वीर सपूतों के प्रति अगाध श्रद्धा दिखाई और बलिदानों को सर्वोपरि बताया है। एक फूल के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को जिस उत्कृष्टता के साथ कहा है, वह बेहद सराहनीय है। इसी तरह जंग-ए-आजादी में अपनी रचनाओं के माध्यम से विशेष भूमिका निभाने वाले साहित्यकारों की एक लंबी फेहरिस्त है।

**चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊं,
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊं
मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक**

इसी प्रकार राधा कृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित अंबिकादत्त व्यास, बाबू राम किशन वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान एवं बालकृष्ण शर्मा “नवीन” जैसे प्रबुद्ध रचनाकारों ने राष्ट्रीयता एवं देश-प्रेम की ऐसी गंगा बहाई, जिसके तीव्र वेग से जहाँ विदेशी हुक्मरानों की नींव हिलने लगी, वही नौजवानों के अंतस में अपनी पवित्र मातृभूमि के प्यार का जज्बा गहराता चला गया। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने में पीछे नहीं रहे, और मृतप्राय भारतीय जनमानस में उन्होंने भी अपनी रचनाओं के जरिए एक नई ताकत व एक नई ऊर्जा का संचार किया। प्रेमचंद की कहानियों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक तीव्र विरोध भी दिखा। इसके अलावा दबी-कुचली, शोषित व अफसरशाही के बोझ से दबी जनता के मन में कर्तव्य-बोध का एक ऐसा बीज अंकुरित हुआ जिसने सबको आंदोलित कर दिया। प्रेमचंद ने जन-जागरण का एक ऐसा अलख जगाया कि, जनता हुंकार उठी। सरफरोशी का जज्बा जगाती प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाओं को अंग्रेजी शासन के रोष का शिकार होना पड़ा। न जाने कितनी रचनाओं पर रोक लगा दी गई और उन्हें ज़ब्त कर लिया गया। कई रचनाओं को जला दिया गया, परंतु इन सब बातों की परवाह न करते हुए वे अनवरत लिखते रहे। उन पर कई तरह के दबाव भी डाले गए और नवाब राय की स्वीकृत पर उन्हें डराया-धमकाया भी गया, लेकिन इन कोशिशों व दमनकारी नीतियों के आगे प्रेमचंद ने कभी हथियार नहीं डाले। उनकी रचना, “सोजे वतन” पर अंग्रेज अफसरों ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें अंग्रेजी खुफिया विभाग ने पूछताछ के लिए तलब किया। अंग्रेजी शासन का खुफिया विभाग अंत तक उनके पीछे लगा रहा, परंतु, प्रेमचंद की लेखनी रुकी नहीं, बल्कि, और प्रखर होकर स्वतंत्रता संग्राम में विस्फोटक का काम करती रही। उन्होंने लिखा—

**मैं विद्रोही हूँ, जग में विद्रोह कराने आया हूँ,
क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूँ।**

कवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी कहां खामोश रहने वाले थे। मातृभूमि के लिए हंसते-हंसते प्राण उत्सर्ग करने वाले बहादुर वीरों व

रणबांकुरों की शान में उन्होंने कहा - कलम आज उनकी जय बोल।

भारत-भारती के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रकवि कहलाए, तो वही माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा लेकर जनमानस में सेनानियों के प्रति सम्मान के भाव जागृत किए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी आदि कविताओं के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को तेज करने में अद्वितीय भूमिका अदा की। मैथिलीशरण गुप्त ने भारतवासियों को स्वर्णिम अतीत की याद दिलाते हुए, वर्तमान और भविष्य को सुधारने की बात की। हम क्या थे, क्या हैं, और क्या होंगे, अभी आओ विचारे मिलकर समस्याएं सभी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की भारत-भारती में उन्होंने लिखा—

**जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं, पशु निरा है और मृतक समान है।**

मैथिलीशरण गुप्त के अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की 'झांसी की रानी' कविता ने अंग्रेजों को लाल करने का काम किया—

**बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।**

पंडित श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के लिए हल्दीघाटी में लिखा—

**रणवीर चौकड़ी भर-भर कर चेतक बन गया निराला था,
राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।
गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था,
वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था।**

जयशंकर प्रसाद ने “अरुण यह मधुमय देश हमारा” और “हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती” जैसी कालजयी रचनाओं का सृजन किया तो सुमित्रानंदन पंत ने “ज्योति भूमि, जय भारत देश,” इकबाल ने “सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा” तो बालकृष्ण शर्मा “नवीन” ने विप्लव गान लिखा। इन सबके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी का देश-प्रेम से ओतप्रोत गीत “वंदे मातरम” ने लोगों की रगों में उबाल ला दिया। अब किसी कीमत पर देश के लोगों को पराधीनता स्वीकार नहीं थी।

सुभद्रा कुमारी चौहान की 'झांसी की रानी' कविता को कौन भूल सकता है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला कर रख दी। वीर सैनिकों में देश-प्रेम का संचार कर जोश भरने वाली अप्रतिम कृति आज भी प्रासंगिक है—

**सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी,
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।**



आजादी की लड़ाई और भारतेंदु का हिंदी युग: भारतेंदु के वृहद हिंदी साहित्य के योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक का काल भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज अपने वर्चस्व को बरकरार किए हुए थे। भारतेंदु जी ने, भाषा और साहित्य में नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया और साहित्य को जन-जन तक पहुंचाया। न्यायालयों की भाषा को लेकर उनका कथन था “सभी देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और समझी जाने वाली लिपि का प्रयोग किया जाता है। भारत ही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है, न तो प्रजा की। यदि आप दो सार्वजनिक नोटिस एक उर्दू में तथा एक हिंदी में लिख कर भेज दे, तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक नोटिस को समझने वालों का अनुपात क्या है।”

स्वतंत्रता संग्राम, गांधी युग और हिंदी: गांधी जी पेशे से वकील थे, और उनकी वकालत की भाषा अंग्रेजी थी, साथ ही साथ उनकी मातृभाषा गुजराती थी परंतु संपूर्ण भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि, देश के अधिकांश हिस्सों में ‘हिंदी’ भाषा ही बोली और समझी जाती है। इस वजह से उन्हें लगा कि, हिंदी ही उस संप्रेषण की भाषा बन सकती है जिसके द्वारा जनमानस में व्यापक जागृत पैदा की जा सकती है। उनका विचार था कि, यदि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में व्यापकता मिले तो जनमानस स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे भाग लेकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने दो अखबार निकाले - नवजीवन और हरिजन सेवक। गांधी जी अपने अधिकांश पत्रों के उत्तर भी हिंदी में देना पसंद करते थे। स्वदेश लौटने के कुछ समय पश्चात ही महात्मा गांधी ने इंदौर के साहित्य सम्मेलन में कहा था, जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी में ही बोलते हैं और सारे काम अंग्रेजी में ही करते हैं, वैसे ही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान दें। गांधीजी ने 1924 के बेलगांव के अधिवेशन में इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि, वहां लोग स्वराज की बात तो कर रहे हैं किंतु, भाषा अंग्रेजी है।

उनका मानना था कि, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाकर न केवल उसका सम्मान किया जा सकता है, वरन स्वतंत्रता आंदोलन की धार को और अधिक तीक्ष्ण किया जा सकता है। उनका यह भी मानना था कि, निज भाषा के प्रयोग के साथ ही भारतीयता, राष्ट्रीयता, और अपनी संस्कृति का पूर्ण सम्मान किया जा सकता है। उस काल के राजनेताओं में गांधीजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, दक्षिण भारत में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी को विधिवत सिखाया जाना आवश्यक समझा और उसके लिए उन्होंने ठोस योजना प्रस्तुत की। जिसके अंतर्गत पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, शिव प्रसाद गुप्ता सरीखे हिंदी सेवियों और विद्वानों को लेकर “दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा” का गठन किया। 20 अक्टूबर 1917 को गुजरात के द्वितीय शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रभाषा के लक्षणों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि, भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा देश का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज आसानी से संभव होना चाहिए। वह अधिकांश

जन की भाषा हो। वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान हो। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें यह सारे गुण मौजूद हैं।

हिंदी के विकास के लिए काम: हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बनकर उभरी है। विदेशी शक्तियां भारत में व्यापार करने के लिए अपने लोगों को हिंदी सिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हिंदी में भाषण देकर वैश्विक पटल पर हिंदी का दबदबा और बढ़ा दिया है। देश में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। दुनिया में कई देशों की उतनी आबादी है। अब बिना देर किए संयुक्त राष्ट्र को हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता देनी चाहिए। भारत बहु-भाषाई देश है। लंबे समय से हिंदी या उसका कोई स्वरूप इसके बहुत बड़े भू-भाग पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होता था। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता ने अहम भूमिका अदा की है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक, और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है। इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। हिंदी बहुआयामी भाषा है इसकी खूबी है कि, यह सभी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लेती है। हिंदी में काम करना बहुत सरल है क्योंकि, जो बोलना है वही लिखना है। आप अपनी बात आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है।

निष्कर्ष: इसमें कोई दो राय नहीं है कि, हिंदी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें उस काल के कवियों, लेखकों, एवं उपन्यासकारों व पत्रकारों का भरपूर सहयोग रहा है। आज श्यामलाल गुप्त पार्षद का यह गीत “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा” भले ही हम गुनगुना रहे हो और इकबाल की नज़्म “सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा” लेकिन देश की मौजूदा परिस्थिति इससे भिन्न है। आज के समय में भी वैसे ही धारदार रचनाओं की जरूरत है जो जन-जन को आंदोलित कर सकें। उनमें जागृति ला सकें। भ्रष्टाचार और अराजकता को दूर कर हृदय में भारतीय गौरव बोध एवं मानवीय मूल्यों का संचार कर सकें। आज के हमारे कवियों और साहित्यकारों का यह दायित्व बनता है कि वह इस देश के बारे में सोचें और उसी परंपरा को जीवित रखे जो मैथिलीशरण गुप्त की परंपरा है, प्रेमचंद की परंपरा है, नीरज की परंपरा है और यह स्मरण रखें कि यहां पर राम का चरित्र लिखने के लिए ‘वाल्मीकि’ तब मिलता है जब राम इस योग्य होता है कि, कोई उसके बारे में लेखनी चला सके। कहने का अभिप्राय है कि, यहां पर चाटुकारिता को अपना उद्देश्य नहीं माना जाता और दरबारी कवि होना यहां पर अभिशाप है, यहां दरबार कवि ढूंढता है, कवि दरबारों को नहीं ढूंढते। यहां पर कवि किसी मोह के वशीभूत होकर नहीं लिखते, यहां तो राष्ट्र जागरण, राष्ट्र उत्थान के लिए लिखा जाता है, क्योंकि सब कवि अपना यह दायित्व समझते हैं कि राष्ट्र जागरण, राष्ट्र उत्थान ही उनकी लेखनी का एकमात्र विकल्प है। आज, जब हम आजादी के अमृत-काल में प्रवेश कर चुके हैं, आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसा करें, जिससे हिंदी को उसका यथोचित स्थान दिलाया जा सके, जिसकी वह हकदार है।



सफलता की पथ प्रदर्शक: हमारी प्रशिक्षण प्रणाली का अंतरावलोकन

किसी बैंक के भीतर एक मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली सिर्फ एक खर्च नहीं है; इसे एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी किसी भी संस्थान की जान होते हैं और उनकी क्षमता उस संस्थान की सफलता सुनिश्चित करने में सहायक होती है। जब कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण मिलता है, तो वे अपनी भूमिकाओं के प्रति अधिक आश्वस्त और अपने कार्य में और अधिक दक्ष हो जाते हैं, जो उन्हें उनके ग्राहकों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने में सक्षम बनाता है। यदि सभी स्टाफ सदस्य प्रशिक्षित हैं और ग्राहकों को सही वित्तीय उत्पाद पेश करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस हैं तो निश्चय ही ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी में इजाफा होता है। इसके अतिरिक्त, एक मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली न केवल त्रुटियों और परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करती है बल्कि अंततः संस्थान को त्वरित और अधिक सटीक सेवा वितरण की ओर भी ले जाती है। बैंकिंग जैसे प्रतिस्पर्धी उद्योग में, किसी संगठन की वृद्धि और प्रतिष्ठा उसके कार्यबल की क्षमता पर निर्भर करती है, जिससे कमजोर या अपर्याप्त प्रशिक्षण प्रणाली एक ऐसा दायित्व बन जाती है जिसे कोई भी संस्थान वहन नहीं कर सकता है। संक्षेप में, एक अच्छी तरह से कार्यान्वित प्रशिक्षण प्रणाली किसी भी बैंक की स्थायी सफलता के लिए एक अनिवार्य आधारशिला है।

हमारे बैंक में प्रशिक्षण प्रणाली

बैंकिंग की निरंतर विकसित हो रही दुनिया में, नवीनतम रुझानों, प्रौद्योगिकियों और नियमों के साथ अद्यतन रहना महत्वपूर्ण है। एक मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बैंक का कार्यबल बैंकिंग उद्योग की जटिलताओं से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) प्रशिक्षण के महत्व को पहचानता है, और अपनी प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से, अपने कर्मचारियों को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है।

प्रशिक्षण ढांचा

आइओबी की प्रशिक्षण प्रणाली एक व्यापक नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। यह दो प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करता है: चेन्नई में स्टाफ कॉलेज और विभिन्न शहरों में रणनीतिक रूप से स्थित 12 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र (भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयंबतूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मंगलुरु, मुंबई, तंजाऊर, तिरुवनन्तपुरम)। यह नेटवर्क आइओबी को अपने कार्यबल तक कुशलतापूर्वक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

हमारी प्रशिक्षण प्रणाली में संकाय कार्यबल

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) के पास 30 संकाय सदस्यों की एक समर्पित टीम के साथ एक मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली मौजूद है। इनमें से 24 संकाय सदस्य वरिष्ठ प्रबंधकों (स्केल 3) के पद पर हैं। इनके अतिरिक्त, संस्थान के पास मुख्य प्रबंधकों (स्केल 4) के पद पर 5 संकाय सदस्य और 1 संकाय सदस्य अनुबंध के आधार पर बैंक में कार्यरत है, जो सामूहिक रूप से बैंक की विशेषज्ञता के समृद्ध भंडार में योगदान देते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन स्टाफ कॉलेज द्वारा एक उप महा प्रबंधक (डीजीएम) के नेतृत्व में किया जाता है, जो प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस संस्थान में एक सर्वांगीण टीम शामिल है, जिसमें आइओबी के 5 संकाय सदस्य और स्टेट बैंक समूह से सेवानिवृत्त एक अनुबंध संकाय शामिल हैं। साथ ही 1 प्रशासनिक

अधिकारी का अमूल्य योगदान है। यह व्यापक व्यवस्था प्रशिक्षकों और प्रशासकों की एक कुशल टीम के माध्यम से कुशल कार्यबल बनाए रखने की आइओबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

आइओबी की प्रशिक्षण प्रणाली विभिन्न भूमिकाओं और करियर चरणों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करती है। ये कार्यक्रम कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हैं:

ऋण संबंधी कार्यक्रम

1. ऋण संबंधी आधारभूत कार्यक्रम
2. ऋण संबंधी सघन कार्यक्रम
3. एमएसएमई कार्यक्रम
4. कृषि कार्यक्रम

फॉरेक्स संबंधी कार्यक्रम

- आधारभूत फॉरेक्स संबंधी कार्यक्रम
- फॉरेक्स संबंधी सघन कार्यक्रम
- फेडरल कार्यक्रम

क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

1. प्रथम बार प्रथम पंक्ति (शाखा प्रबंधक)
2. द्वितीय पंक्ति (प्रबंधक)
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम (परिवीक्षाधीन अधिकारी)
4. सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श
5. व्यक्तिगत प्रभावशीलता
6. केंद्रीय कार्यालय के स्टाफ को शाखा बैंकिंग
7. कासा, खुदरा ऋण और पैरा बैंकिंग का विपणन
8. क्रेडिट निगरानी और एनपीए की वसूली
9. पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण
10. नव पदोन्नत अधिकारियों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम

बाहरी सहायता और विशिष्ट कार्यक्रम:

आइओबी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए बाहरी भागीदारों के सहयोग से भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं:

1. संकाय विकास कार्यक्रम
2. नूतन युग का कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. उच्च प्रदर्शन करने वालों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम
4. प्रबंधन विकास कार्यक्रम
5. सरफेसी पर कार्यशाला
6. विभिन्न आइटी-संबंधित कार्यक्रम
7. जोखिम, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए विभागीय कार्यक्रम

स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नाम :

एसटीसी पंचाट स्टाफ और पर्यवेक्षी स्टाफ सदस्यों की प्रशिक्षण



आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके फोकस में शामिल हैं:

1. केवाईसी/एमएल, अनुपालन एवं निवारक सतर्कता
2. बैंकिंग के कानूनी पहलू
3. ऋण निगरानी एवं एनपीए वसूली
4. ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन
5. कासा, पैरा-बैंकिंग और डिजिटल उत्पाद
6. व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण
7. दूसरी पंक्ति प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम
8. डिजिटल उत्पादों का विपणन और साइबर सुरक्षा
9. खुदरा उत्पादों का विपणन
10. दस्तावेज़ीकरण
11. सब-स्टाफ़ के लिए व्यक्तित्व विकास
12. केवाईसी/एमएल, अनुपालन एवं ग्राहक सेवा
13. एमएसएमई वित्तपोषण
14. एक दिवसीय सामान्य हिन्दी कार्यशाला
15. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रम

उपरोक्त सूची व्यापक है और शीर्ष प्रबंधन की प्राथमिकताओं और क्षेत्र-स्तरीय पदाधिकारियों की आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। हमने हाल ही में अपने सम्मानित एमडी और सीईओ महोदय के मार्गदर्शन के अनुसार, नई शुरू की गई योजनाओं के बारे में क्षेत्र-स्तरीय पदाधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक नया कासा कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

स्टाफ कॉलेज और एसटीसी से प्रकाशन

स्टाफ कॉलेज पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, पुस्तकों और नवीन पावरपॉइंट प्रस्तुतियों सहित विभिन्न प्रकाशनों के सृजन में सक्रिय रूप से शामिल है। विशेष रूप से, हमने हाल ही में "सेविंग सुपर चार्जर" नामक एक अत्याधुनिक प्रकाशन किया है, जिसका उद्देश्य पाठकों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और जानकारी प्रदान करना है कि हमारी संशोधित बचत योजना में खाता खोलने के बाद ग्राहक कितनी बचत कर सकते हैं। इन प्रकाशनों के माध्यम से, स्टाफ कॉलेज ज्ञान प्रसार में योगदान देने के साथ ही उद्योग में हो रहे हालिया परिवर्तनों और विनियमन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना भी जारी रखता है। आइओबी की प्रशिक्षण प्रणाली सूचनात्मक प्रकाशनों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाती है, जिसमें शामिल हैं:

1. करियर गाइड
 2. खुदरा गाइड
 3. एमएसएमई गाइड
 4. कृषि गाइड
 5. अपनी दरें जानें
 6. विद्या-दीपम (त्रैमासिक इन-हाउस पत्रिका)
 7. ई-पाठशाला (इंटरैक्टिव पीपीटी-आधारित शिक्षा)
 8. प्रचार-पूर्व सामग्री
 9. परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए पुस्तकें
- (क) प्री जॉइनिंग

(ख) प्रेरण प्रशिक्षण पुस्तक चरण-1 (सामान्य बैंकिंग और खुदरा बैंकिंग को कवर करते हुए)

(ग) इंडक्शन ट्रेनिंग बुक चरण-2 (एमएसएमई, कॉर्पोरेट, कृषि ऋण और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग को कवर करते हुए)

10. परिवार के जानने योग्य बातें (सेवा निवृत्ति पूर्व पुस्तिका)

स्टाफ कॉलेज से सहायता प्रणाली

आइओबी ने सीखने की सुविधा के लिए "हमसे पूछें पोर्टल" की शुरुआत की है। यह पोर्टल कर्मचारियों को संदेह दूर करने और रिसोर्स पर्सन या एसटीसी विशेषज्ञों से उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। उत्तरित प्रश्नों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में संकलित किया जाता है, जिससे एक मूल्यवान ज्ञान भंडार बनता है।

स्टाफ कॉलेज और एसटीसी में रोमांचक विकास

स्टाफ कॉलेज वर्तमान में कई रोमांचक पहलों को लागू करने की प्रक्रिया में है। हाल ही में, हमने डिजिटल इंटरएक्टिव पैनल पेश करके अपनी दो कक्षाओं को डिजिटल कर दिया है। निकट भविष्य में इस तकनीक को सभी एसटीसी तक विस्तारित करने की योजना है। चल रही एक महत्वपूर्ण परियोजना में एक नए स्टाफ कॉलेज वेबपेज का विकास शामिल है, जो स्टाफ सदस्यों को कहीं से भी और किसी भी समय 24/7 आधार पर प्रकाशनों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त, हम वी-लर्निंग सत्र शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वीडियो व्याख्यान का संकलन होंगे जो हमारे वेबपेज पर आसानी से उपलब्ध होंगे। ये प्रयास प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार, संसाधन पहुंच बढ़ाने और हमारे समर्पित स्टाफ सदस्यों के लिए निरंतर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

आइओबी की प्रशिक्षण प्रणाली कुशल और जानकारीयुक्त कार्यबल को विकसित करने की बैंक की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपने व्यापक नेटवर्क, विविध कार्यक्रमों और नवीन उपकरणों के माध्यम से, आइओबी यह सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और बैंक की वृद्धि और सफलता में योगदान करने के लिए सुसज्जित हैं। प्रतिभागियों से लगातार उच्च रेटिंग मिलना प्रशिक्षण प्रणाली की उत्कृष्टता का एक स्पष्ट संकेतक है। यह न केवल बैंक के कर्मचारियों को सक्षम बनाता है बल्कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी बैंक के रूप में बैंक की स्थिति को भी मजबूत करता है।

हमारे स्टाफ कॉलेज की झलकियाँ...





बैंक एवं भारतीय भाषाएँ

सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है और भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम भी है। यही नहीं, यह हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य अपने इतिहास और परंपरा से विछिन्न है। सिर्फ वित्तीय संस्थान ही नहीं बल्कि भारत में व्यवसाय करने वाले हर एक संस्थान की निर्भरता भारतीय भाषाओं पर है। वित्तीय संस्थानों को कारोबार और अपनी परिधि बढ़ाने के लिए ग्राहकों एवं वेंडरों से संपर्क स्थापित करना अनिवार्य होता है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत में कुल 780 भाषाएँ बोली जाती हैं। पहले, हमें भाषा और बोली के अंतर को समझना आवश्यक है। भारत एक बहुभाषिक संघ राज्य है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है 'कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी'। भारत जैसे विविधता भरे देश में अनेक प्रांतीय भाषाएँ हैं और सैकड़ों बोलियाँ हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में उद्धृत भाषाओं को भाषा की श्रेणी में रखा जाता है बाकी सब बोली की श्रेणी में आती हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:

1. असमिया	2. बंगाली	3. गुजराती	4. हिंदी	5. कन्नड़	6. कश्मीरी
7. कोंकणी	8. मलयालम	9. मणिपुरी	10. मराठी	11. नेपाली	12. उड़िया
13. पंजाबी	14. संस्कृत	15. सिंधी	16. तमिल	17. तेलुगू	18. उर्दू
19. बोडो	20. संथाली	21. मैथिली	22. डोगरी		

उल्लिखित भाषाएँ भारत की आधिकारिक भाषाएँ हैं। उक्त भाषाओं में से राज्य सरकार किसी भी भाषा का अपनी कार्यालयी भाषा / राजभाषा के रूप में चयन कर सकती है। पर कार्यालयी भाषा के विषय में, केंद्र सरकार की धारणा भिन्न है। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 में उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

बैंकों के मुख्य हितधारक उसके ग्राहक होते हैं। ग्राहक तक पहुँचने के लिए भाषा की भूमिका संपर्क सूत्र की होती है। संवाद का प्रमुख उद्देश्य भी सहजता से संपर्क स्थापित करना माना जाता है। यदि ग्राहक से काउंटर पर संवाद उनकी भाषा में की जाए, तो यह कारोबार एवं संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से सार्थक कदम होगा। काउंटर पर बैठे स्टाफ क्षेत्रीय भाषा को समझने और बोलने में दक्ष होने चाहिए यानी तमिलनाडु राज्य के शाखा में काउंटर पर पदस्थ कार्मिक तमिल भाषा को समझने और बोलने में सक्षम होने पर, उनके लिए व्यवसाय करना सुगम हो जाएगा। ग्राहक को अपरिचित का बोध करवाना किसी भी रूप में उचित नहीं है। अतः बैंक की हर शाखा / कार्यालय में क्षेत्रीय भाषा को समझने वाले कार्मिकों की तैनाती आवश्यक है।

बैंकों की कामयाबी में भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय संस्थानों में लिखित व इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सोशल मीडिया पर भारतीय भाषाओं का खूब उपयोग किया जा रहा है। वित्तीय संस्थानों में भारतीय भाषाओं के उपयोग निम्नवत रूप में किया जा रहा है।

1) बाज़ार की गति को समझते हुए वित्तीय संस्थानों द्वारा अखबारों में विज्ञापन हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में दिये जा रहे हैं। वित्तीय संस्थानों में ग्राहक के हर वर्ग के लिए विशेष उत्पाद मौजूद हैं और वे समय-समय पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उसका विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन संबंधी महामहित राष्ट्रपति के आदेश सं. 48 के अनुसार "केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में दिए जाते हैं, वे अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में भी दिए जाएंगे।" यानी अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन पर जितना खर्च किया जाता है, उतना ही हिंदी भाषा में विज्ञापन पर किया जाएगा। इस आदेश का बैंकों द्वारा पालन किया जा रहा है।

2) केंद्र सरकार द्वारा पोषित वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जा रहा है। अनबैंकड लोगों को बैंक से जोड़ना वित्तीय समावेशन का मुख्य कार्य है। क्या यह कार्य भारतीय भाषाओं के उपयोग के बिना संभव है? – शायद नहीं। दिहाड़ी मजदूर, किसान, रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही सझ होते हैं। उन्हें बैंकिंग खाते की आवश्यकता व लाभ समझाने और खाता खुलवाने के लिए उन तक उनकी भाषा के साथ ही पहुँचना होगा। तभी वे बैंक से जुड़ पाएंगे और भारत सरकार के वित्तीय समावेशन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं।



3) पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा देशवासियों के लिए कई नवीन कल्याणकारी योजनाएं लायी गईं। जिसमें सबसे सफल प्रधानमंत्री जनधन योजना रही। वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुसार 31.05.2023 तक इस योजना के तहत कुल 49.12 करोड़ खाते खुले। केंद्र सरकार की और भी प्रसिद्ध सामाजिक व कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जिसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सीधे उनके खाता में मिल रहा है। इन योजनाओं से संबंधी सभी बैनर एवं पैम्पलेट जन जुड़ाव के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय भाषा एवं हिंदी में तैयार किये जा रहे हैं। योजना संबंधी खाता खोलने के प्रारूप भी ग्राहकों को हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाए गए हैं।

4) आज डिजिटल लेन-देन का खूब बोल बाला है। केंद्र सरकार भी डिजिटल लेन-देन को बहुतेरे ढंग से प्रोत्साहित कर रही है, यूपीआई आदि की सफलता इसके जीवंत प्रमाण हैं। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जरिए हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना आम जनता तक पहुँचाया है। अब अधिक से अधिक लेन-देन डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं। खाताधारक के हर एक रुपये का हिसाब उसके खाते में मौजूद रहता है।

5) केंद्र सरकार द्वारा आइबीए के तत्वावधान में ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग की दिशा में वर्ष 2020 में डोरस्टेप बैंकिंग का सूत्रपात किया गया। डोरस्टेप बैंकिंग में यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई कि दैनंदिन बैंकिंग सुविधाएं यानी नकदी जमा, नकद आहरण, चेक जमा, डिमांड ड्राफ्ट बनाने, जीवन प्रमाण-पत्र लेना आदि के लिए ग्राहक को शाखा आने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने डोरस्टेप बैंकिंग प्लेटफॉर्म हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करवाया है।

6) बैंक मिलेनियल और जेन जेड ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग लेकर आए। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के आने से ग्राहकों की निर्भरता शाखा पर बहुत हद तक कम हुई है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग लगभग सभी बैंकों द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के साथ कम से कम 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाई गई है। ई-बैंकिंग के द्वारा ग्राहकों को 24*7*365 बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं। बैंकों ने एटीएम की स्क्रीन हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करवाई है। बैंकों द्वारा ग्राहकों को महत्वपूर्ण सूचना मोबाइल पर मैसेज के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा रही है।

7) हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा संकल्प जैसे प्रावधान तो किये ही हैं। साथ ही, समय-समय पर माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा आदेश भी जारी किये जाते हैं। केंद्र सरकार के सभी कार्यालय एवं उपक्रम उल्लिखित का शत प्रतिशत कार्यान्वयन

करने के लिए कटिबद्ध है।

राजभाषा नियम निर्माताओं ने नियम बनाते समय संस्थान और ग्राहक के बीच भाषायी दूरी नहीं होनी चाहिए, का विशेष ध्यान रखा है। सर्वविदित है कि भारत में हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने वालों की जनसंख्या हमेशा ही ज्यादा रही है। राजभाषा नियम 5 के अनुसार 'हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिये जाने की व्यवस्था लागू की गई है'। देश का कोई भी नागरिक अपना आवेदन, अभ्यावेदन, पत्र या कोई सूचना केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं संस्थानों से हिंदी में मांग सकता है और उसका प्रतिउत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। बैंकों द्वारा राजभाषा नियम 5 का अक्षरशः पालन किया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में भी उद्धृत है कि "प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी की, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।" बैंकों के अधिकारी हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त पत्रों का स्वागत करते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं।

8) कुछ बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के अवसर पर स्टाफ सदस्यों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बनाकर प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पारस्परिक संबंध स्थापित किये जाते हैं। इससे हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी फलने-फूलने का पर्याप्त वातावरण मिल रहा है।

9) बैंकों की वेबसाइट पब्लिक डोमेन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। जनता को वेबसाइट के माध्यम से संस्थान की सभी गतिविधियों के बारे में पता चलता है। बैंकों में उपलब्ध सभी उत्पादों की जानकारी और नियमकों (आरबीआई, सेबी, ईरडा) द्वारा दी गई अपेक्षित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।

10) ई-मेल के माध्यम से स्टाफ सदस्यों द्वारा भारतीय भाषाओं में आंतरिक पत्राचार एवं ग्राहकों के साथ पत्राचार किए जा रहा है। फोनेटिक की-बोर्ड के कारण ही यह संभव हो पाया है। माइक्रोसॉफ्ट एवं गूगल इनपुट के माध्यम से भारतीय भाषाओं के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर सिस्टम में प्रतिष्ठापित कर, बैंकों में आसानी से हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में काम किये जा रहे हैं।

माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 2022 में हिंदी दिवस के अवसर पर कहा था 'क्षेत्रीय भाषाओं की सखी हिंदी है'। हिंदी पूरी दुनिया में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व स्तर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली शीर्ष 10 भाषाओं में भारत की हिंदी भाषा के अतिरिक्त एक और भाषा शामिल है और वह बांग्ला है। भारतीय भाषाओं की सीमा दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इसमें सहायक भूमिका अदा कर रहे हैं। बैंक अपने कार्यालयों में हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं का पुरज़ोर समर्थन करते हैं।



जलवायु जोखिम एवं सतत वित्त

किसी भी क्षेत्र की जलवायु को छः कारक नियंत्रित करते हैं: अक्षांश, (ऊँचाई), वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएँ तथा उच्चावच लक्षण। जलवायु परिवर्तन बैंकों, बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं को कम विविधतापूर्ण बना सकता है, क्योंकि यह उन घटनाओं की संभावना या प्रभाव को बढ़ा सकता है जिन्हें पहले असंबंधित माना जाता था, जैसे कि सूखा और बाढ़। बैंक अपने ऋण दिशानिर्देशों, जलवायु जोखिम तनाव परीक्षणों और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया एकीकरण जैसे निर्णय लेने के ढाँचे में जलवायु जोखिम विचारों को शामिल करते हुए, स्कोरकार्ड का उपयोग करके जलवायु जोखिम को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता में शामिल कर सकता है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक बैंक या बड़ी वित्तीय संस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि वह लागत या बोझ के बजाय स्थिरता को एक अवसर के रूप में देखता है वह ग्राहकों की स्थिरता संबंधी चिंताओं को संबोधित करके, न केवल उनकी वर्तमान जरूरतों, बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी प्रतिक्रिया दे रहा है। इन सभी पहलुओं को समझने के लिए सर्वप्रथम हम परिभाषा पर ध्यान देते हैं जो निम्न है:

जलवायु परिवर्तन क्या है?

जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में जलवायु में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन (जैसे, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस) को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों के कारण होता है।

वित्तीय जोखिम का अर्थ क्या है?

वित्तीय जोखिम वह शब्द है जिसका उपयोग व्यवसाय या निवेश करने में शामिल संभावित जोखिम को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन से बैंकों को क्या जोखिम होते हैं?

बैंकों के लिए जोखिम आम तौर पर अधिक कार्बन-सघन क्षेत्रों को दिए गए ऋणों से संबंधित होता है। जलवायु परिवर्तन भौतिक जोखिमों के माध्यम से हमारे बैंकिंग क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है, जैसे कि चरम मौसम की घटनाएं, साथ ही संक्रमण जोखिम, जैसे कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव से संबंधित अनिश्चितताएं।

जलवायु जोखिम का मूल्यांकन और प्रकटीकरण, भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थानों के लिए उद्योग और समाज के हरित परिवर्तन को प्रभावी तरीके से समर्थन देने के लिए वित्तीय समाधानों और उत्पादों को नया करने के लिए शायद एक अवसर भी है। भारत में कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने अभी तक अपनी सामरिक और रणनीतिक योजनाओं में जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह से शामिल नहीं किया है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 41% बैंकों में, निदेशक मंडल ने पिछले वित्तीय वर्षों और वर्तमान

वित्तीय वर्ष के दौरान जलवायु-परिवर्तन से संबंधित अवसरों और जोखिमों पर चर्चा नहीं की है।

अधिकांश बैंकों का बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व जलवायु परिवर्तन और स्थिरता-संबंधी पहलों की निगरानी करता है।

सर्वेक्षण में शामिल लगभग 3 में से 1 बैंक में, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता-संबंधी पहलों के प्रबंधन के लिए आंतरिक जवाबदेही संरचना तय नहीं की गई थी। इसके अलावा, केवल कुछ मुट्ठी भर बैंकों ने अपने वरिष्ठ प्रबंधन के मूल्यांकन ढाँचे में ईएसजी (एवायरनमेंटल, सोशल एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस) संबंधित प्रदर्शन संकेतकों को शामिल करने का निर्णय लिया। सर्वेक्षण में शामिल सभी विदेशी बैंकों ने अपने बोर्डों से जलवायु कार्यों के लिए ऋण और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

अधिकांश बैंकों के लिए, व्यावसायिक निर्णयों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करना व्यावसायिक रणनीति का अभिन्न अंग नहीं था। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि केवल 24% बैंकों ने कार्बन तटस्थ बनने के लिए समयसीमा के साथ योजनाओं की घोषणा की है। यह आँकड़ा इंगित करता है कि अधिकांश बैंकों ने अभी तक देश की डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं में सक्रिय योगदान देने की अपनी भूमिका पर विचार नहीं किया है।

जलवायु वित्तपोषण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

पश्चिम से सहयोग की कमी:

1. विकसित देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अधिकांश भाग के लिये ऐतिहासिक रूप से ज़िम्मेदार हैं जिससे जलवायु परिवर्तन की स्थिति बनी है।
2. लेकिन विभिन्न विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहे हैं।
3. इसने एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण अंतराल को जन्म दिया है और विकासशील देशों के लिये जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन उपायों को लागू करना कठिन हो गया है।

वित्त तक पहुँच का अभाव:

कई विकासशील देश और छोटे द्वीप राज्य दुर्बल वित्तीय प्रणाली, अपर्याप्त नियामक ढाँचों और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमित पहुँच जैसे विभिन्न कारकों के कारण वित्तपोषण तक व्यापक पहुँच नहीं रखते हैं।





वित्तपोषण की उच्च लागत :

जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिये प्रायः उल्लेखनीय अग्रिम लागत और दीर्घावधिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, जिन्हें सस्ती दरों पर प्राप्त करना कठिन सिद्ध हो सकता है। यह निवेशकों को, विशेष रूप से विकासशील देशों में, ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण से हतोत्साहित कर सकता है।

अनिश्चितता और जोखिम :

नियामक एवं नीतिगत रूपरेखा, बदलती प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में व्याप्त अनिश्चितता के कारण जलवायु संबंधी निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। इससे निवेशकों के लिये अपने निवेश पर संभावित रिटर्न का सटीक आकलन करना कठिन सिद्ध हो सकता है।

क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव :

कई विकासशील देशों में प्रभावी जलवायु परियोजनाओं को अभिकल्पित एवं कार्यान्वित करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता एवं क्षमता की कमी है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में देरी और अक्षमता की स्थिति बन सकती है।

राजनीतिक और नीतिगत बाधाएँ :

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी जैसी राजनीतिक एवं नीतिगत बाधाएँ जलवायु वित्तपोषण प्रयासों में बाधक बन सकती हैं।

निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी :

जलवायु वित्तपोषण को बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र का निवेश महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमित बाज़ार प्रोत्साहन, नियामक ढाँचे की कमी और जलवायु जोखिमों के बारे में सीमित जागरूकता जैसे विभिन्न कारकों के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई प्रतिबद्धता और सक्रियता नहीं है। यह उत्साहजनक नहीं है कि सर्वेक्षण में शामिल केवल 56% बैंकों ने शीघ्र ही कार्बन-सघन उद्यमों में अपने जोखिम को सीमित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी होने के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस मानदंड पर पिछड़ रहे हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल कुछ बैंकों ने हरित वित्त में धीरे-धीरे ऋण और निवेश बढ़ाने के लक्ष्य अपनाए हैं। केवल 32% बैंकों ने कार्बन-उत्सर्जक या प्रदूषणकारी व्यवसायों में जोखिम कम करने का निर्णय लिया है, जबकि बाकी ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

कुछ प्रगतिशील बैंकों ने जलवायु परिवर्तन के कारण अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्पाद पेश करके हरित ऋण देने में तेजी लाने के लिए नई पूंजी जुटाई है। केवल 35% बैंकों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े कॉरपोरेट्स के साथ बातचीत शुरू की, जो डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में निर्णायक परिवर्तन के लिए आवश्यक है।

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता क्षमता का अभाव है, 41% बैंकों के पास जलवायु जोखिम, टिकाऊ वित्त और ईएसजी पहल में काम करने के लिए कोई अलग टीम नहीं है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 35% बैंकों में इस कार्य के लिए पांच से कम कर्मचारी हैं। क्षमता

की कमी के कारण बैंकों को जलवायु परिवर्तन में ऋण देने के अवसर पैदा करने और ऋणों की कीमत निर्धारित करने के लिए जलवायु जोखिम का सही अनुमान लगाने में बाधा आती है। ऋणों के अलग-अलग मूल्य निर्धारण की कमी के कारण कार्बन कम करने वाले व्यवसायों पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं और कार्बन उत्सर्जित करने वाली कंपनियों के लिए अतिरिक्त ब्याज दरें लगाई हो सकती हैं।

बैंकों को यह एहसास होना चाहिए कि वे भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के लिए वित्त पोषण को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के बड़े पैमाने पर पुनः आवंटन के प्रमुख प्रेरक हैं। बैंकों को अपने कार्यों को एकजुट करना चाहिए और वैश्विक आबादी के लिए हरित परिवर्तन की सुविधा के लिए समय पर योगदान देना चाहिए। बैंकों के शीर्ष नेतृत्व को भारत की हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में मदद के लिए निर्णायक कदम उठाने के लिए बैंक में त्वरित, समयबद्ध, बहुआयामी हस्तक्षेप शुरू करना चाहिए।

जलवायु वित्तपोषण के लिये आगे की राह :

निजी क्षेत्र से निवेश :

- जलवायु शमन एवं अनुकूलन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये निजी क्षेत्र का निवेश महत्वपूर्ण है।
- कुछ निवेशों को बैंक क्रेडिट तक पहुँच के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है, लेकिन कई अन्य औसत से कम रिटर्न, लंबी पूर्णता अवधि और उच्च वित्तीय जोखिमों के कारण ब्याज लागत को पूरा कर सकने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं।

मिश्रित वित्तपोषण को बढ़ावा देना :

जलवायु वित्तपोषण के समर्थन के लिये मिश्रित वित्त (Blended finance) का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। मिश्रित वित्त एक नवीन वित्तपोषण दृष्टिकोण है जो विकास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सार्वजनिक और निजी पूंजी को संयुक्त करता है। उदाहरण के लिये, इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, हरित अवसंरचना और जलवायु-कुशल कृषि के वित्तपोषण के लिये किया जा सकता है। इसका उपयोग जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं, जैसे समुद्री दीवारों के निर्माण या जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिये वित्तपोषण प्रदान करने के लिये भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष :

ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ते डिफॉल्ट जोखिम या परिसंपत्तियों के कम मूल्यों के माध्यम से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, समुद्र के बढ़ते स्तर और मौसम की घटनाओं की अधिकता से घर के मालिकों को नुकसान हो सकता है और संपत्ति के मूल्यों में कमी आ सकती है, जिससे बंधक पोर्टफोलियो में अधिक जोखिम हो सकता है। पहले से ही कुछ सबूत हैं कि क्रेडिट जोखिम संक्रमण जोखिम से प्रभावित होता है - यानी वह जोखिम जो निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में समायोजन के दौरान जलवायु नीति, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता और बाजार की भावना में बदलाव के परिणामस्वरूप होता है। जलवायु वित्त, पवन या सौर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का वित्तपोषण करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। सम्पूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पायी जाती है। भारत को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयास करना होगा ताकि वित्त को बढ़ावा देने के साथ जोखिम को कम किया जा सके।





समय प्रबंधन

मैं बहुत व्यस्त हूँ या मेरे पास समय नहीं है क्या ये वाक्य हमारे जीवन में बाधक है?

यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल और समस्या है, क्योंकि आजकल आपको हर इंसान यही कहता मिलेगा कि मेरे पास समय नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान भी हमारे पास ही होता है। लेकिन हम उससे बच निकलना चाहते हैं। हमारे पास समय की कमी हमेशा होती है, क्योंकि हमें समय को व्यवस्थित करना नहीं आता। हर वक़्त समय न होने का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि समय प्रबंधन कभी सीखा ही नहीं।

समय प्रबंधन:-

समय प्रबंधन एक कौशल है जहां एक व्यक्ति या एक टीम उपलब्ध समय का कुशलता से प्रबंधन करती है ताकि योजना या कार्यक्रम के अनुसार सभी अपेक्षित या आवश्यक कार्यों को पूरा किया जा सके। समय प्रबंधन यह भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति या एक टीम एक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवंटित समय को कितनी अच्छी तरह विभाजित और अनुकूलित कर सकता है, जिसमें विभिन्न चरण, कार्य, गतिविधियाँ या लक्ष्य शामिल हो सकते हैं।

समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुण है, खासकर जब किसी संगठन में काम कर रहा हो। समय का उचित प्रबंधन दक्षता, आउटपुट को बढ़ाता है और एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही पेशेवर रूप से बढ़ने में मदद करता है। समय प्रबंधन एक गुणवत्ता पैरामीटर है जो किसी भी व्यावसायिक कार्य या गतिविधि में आवश्यक होता है। समय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे परियोजना प्रबंधन, उत्पादन शेड्यूलिंग, लॉजिस्टिक्स, माल और सेवाओं की डिलीवरी, एसएलए प्रबंधन आदि के लिए समर्पित संपूर्ण क्षेत्र हैं। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में समय प्रबंधन उनके मूल सिद्धांत के रूप में है।

समय प्रबंधन मौजूदा समय का सदुपयोग करने और उस अवधि में अधिकतम काम सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पैरामीटर है। प्रत्येक व्यक्ति, के पास सीमित समय उपलब्ध होता है जिसमें कई कार्यों को पूरा करना होता है। समय प्रबंधन के बिना, कोई भी निश्चित समय अवधि में कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।

व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन के किसी भी क्षेत्र में, समय प्रबंधन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि काम समय पर और अधिकतम दक्षता के साथ हो। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम और सुझाव इस प्रकार हैं:

1. लक्ष्य निर्धारित करें

किसी भी व्यक्ति के लिए, अंतिम उद्देश्य या लक्ष्यों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए यह पहला कदम है।

2. काम को प्राथमिकता दें

कुछ कार्य दूसरे कार्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए समय प्रबंधन में कार्य और लक्ष्यों को प्राथमिकता देना शामिल है ताकि तदनुसार समय और संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

3. समय सीमा को परिभाषित करें

प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय अवधि देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के प्रबंधन में एक निश्चित समय अवधि को परिभाषित करना आवश्यक है।

4. संसाधनों को व्यवस्थित करें

समय प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यवस्थित किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो देरी होती है और जो अंततः अधूरे कार्यों की ओर ले जाती है।

5. प्रतिनिधि कार्य

समय प्रबंधन यह भी देखता है कि एक अकेला व्यक्ति सभी कार्यों को अकेले नहीं कर सकता। इसलिए कार्य के प्रत्यायोजन की आवश्यकता है ताकि कार्यभार को छोटे-छोटे लक्ष्यों और कार्यों में विभाजित किया जा सके और साथ में यह अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें।

6. अतिरिक्त काम करें

प्राथमिकता के आधार पर, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें टाला जा सकता है या कुछ प्रक्रियाएँ अनावश्यक होती हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गैर-प्राथमिकता वाले कार्यों और अप्रासंगिक प्रक्रियाओं को कम किया जाए।

7. तनाव से बचें

समय प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह तनाव मुक्त काम करने का माहौल तैयार हो सके। नियोजन और प्राथमिकता के आधार



पर, तनावपूर्ण कार्य स्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि तनाव से कार्यकुशलता और कार्य उत्पादन में कमी आएगी ।

8. कार्य योजना : प्रभावी प्रबंधन के लिए पहले से कार्यों की योजना बनाना एक सिद्ध नियम है । किसी भी व्यक्ति को न केवल कार्यों की योजना बनानी चाहिए बल्कि उन स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जहां देरी, विफलता या आपातकालीन कार्य को करने की आवश्यकता होती है ।

समय प्रबंधन के लाभ: समय का उचित प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सीखते रहना चाहिए । समय प्रबंधन के कुछ मुख्य लाभ हैं:

- ❖ समय प्रबंधन व्यक्ति को समय का पाबंद और अनुशासित बनाता है । प्रभावी समय प्रबंधन के परिणामस्वरूप वास्तव में आवश्यक होने पर काम करना सीखाता है । समय का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए, व्यक्तियों को दिन की शुरुआत में एक "टास्क प्लान" की सूची तैयार करनी चाहिए ताकि उन गतिविधियों को कम किया जा सके जिन्हें किसी विशेष दिन में उनके महत्व और तात्कालिकता के अनुसार किया जाना चाहिए । एक कार्य योजना व्यक्तियों को कार्यस्थल पर दिशा का बोध कराती है । एक व्यक्ति जानता है कि उसका दिन कैसा दिखता है और अंततः उसी के अनुसार काम करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है ।
- ❖ प्रभावी समय प्रबंधन के परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिक संगठित हो जाता है । चीजों को उनके उचित स्थान पर रखने से दस्तावेजों, महत्वपूर्ण फाइलों, फ़ोल्डरों, स्टेशनरी की वस्तुओं आदि की अनावश्यक खोज में लगने वाला समय कम हो जाता है । बेहतर समय प्रबंधन के लिए व्यक्ति अपने कार्यस्थानों, अध्ययन क्षेत्रों, क्यूबिकल्स, बैठक क्षेत्रों को साफ और व्यवस्थित रखते हैं । समय प्रबंधन के परिणामस्वरूप लोग चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करना सीखते हैं ।
- ❖ प्रभावी समय प्रबंधन एक व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है और उसे आत्मविश्वासी बनाता है । समय प्रबंधन के परिणामस्वरूप, व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करते हैं, जिससे वे अपने संगठन के साथ-साथ अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं । जो लोग समय के मूल्य को समझते हैं वही भीड़ से अलग खड़े होने का प्रबंधन करते हैं ।
- ❖ प्रभावी समय प्रबंधन एक कर्मचारी को जल्दी से सफलता के शिखर तक पहुंचने और लंबी अवधि के लिए शीर्ष पर बने रहने में मदद करता है । एक कर्मचारी जो सिर्फ नौकरी करने के लिए काम करता है, वह अपनी छाप छोड़ने में विफल रहता है और उसे कार्यस्थल पर कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है ।

प्रभावी समय प्रबंधन किसी व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । जब लोग अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं तो उत्पादन में काफी वृद्धि होती है ।

- ❖ शोध कहता है कि जो लोग समय पर काम पूरा करते हैं उनमें तनाव और चिंता कम होती है । याद रखें कि समय बर्बाद करने और बाद में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है । रुके हुए काम को समय पर पूरा करें और फिर आपके पास अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त समय होगा ।
- ❖ समय प्रबंधन एक व्यक्ति को कार्यस्थल पर कार्यों और गतिविधियों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है । बोझ से दबे रहना मूर्खता है । अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज और हर चीज को स्वीकार न करें । समय प्रबंधन व्यक्ति को जीवन में एक नियोजित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है ।
- ❖ समय प्रबंधन लोगों की दक्षता और प्रेरणा बढ़ाने में मदद करता है । संसाधनों का उपयोग बेहतर योजना और टीम प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जिससे बेहतर और कुशल समय प्रबंधन से नेतृत्व कौशल में निखार आता है ।
- ❖ अपव्यय और निरर्थक प्रक्रियाएँ कम हो जाती हैं । समय प्रबंधन लागत कम करने में मदद करता है क्योंकि प्राथमिकता वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है । कम प्रयास करने पड़ते हैं क्योंकि दोहराए जाने वाले कार्यों से बचा जाता है ।

समय प्रबंधन के नुकसान: प्रभावी समय प्रबंधन हमेशा बहुत उपयोगी होता है । हालांकि, कई बार सही तरीके से न किए जाने पर समय प्रबंधन समस्याएं भी पैदा कर सकता है । कुछ नुकसान निम्नवत हैं:

1. असंरचित योजना से सभी कार्य विफल हो सकते हैं ।
2. गलत तरीके से परिभाषित लक्ष्य अनुचित योजना और संसाधन आवंटन के रूप में परिणामित हो सकते हैं ।
3. बहुत अधिक समयबद्ध होने से बिना ब्रेक लिए मानसिक और शारीरिक तनाव हो सकता है ।
4. खराब समय प्रबंधन से लागत में वृद्धि, कार्य में दोहराव और उत्पादन की गुणवत्ता में कमी भी आ सकती है ।

समय प्रबंधन के उदाहरण

ऐसे कई तरीके हैं जिनमें समय प्रबंधन उपयोगी हो सकता है । समय प्रबंधन के उदाहरण किए जा रहे कार्यों, और उद्देश्यों आधारित हो सकते हैं । समय प्रबंधन के कुछ उदाहरण हैं:

1. छात्रों के लिए :

अंतिम परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए समय का प्रबंधन करना होगा । अतः छात्रों को प्रतिदिन कॉलेज की कक्षाओं के लिए समय देना



विशेष आलेख

कविता

पड़ता है, पुस्तकालय में कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है, दोस्तों के साथ खेल खेलना पड़ता है, कार्यों को पूरा करना पड़ता है और परिवार के साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। सही समय आवंटित करने से छात्रों को तनाव मुक्त होने और अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

2. प्रबंधकों और पेशेवरों के लिए: समय प्रबंधन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में है। इसलिए लोगों को टू-डू सूचियों की योजना बनाने, डिलिवरेबल्स और राजस्व प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता वाले कार्यों की योजना बनाने, नए कौशल हासिल करने, फिटनेस पर ध्यान देने और परिवार को व्यक्तिगत समय देने की आवश्यकता है। इस प्रकार, कंपनियां प्रलेक्सटाइम और कर्मचारियों के लिए कार्य समय जैसी चीजों की पेशकश करती हैं। इसके ऊपर, कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन के साथ मुआवजा भी दिया जाता है।

3. गृहिणी: समय प्रबंधन का एक उत्तम उदाहरण गृहिणियाँ हैं। जो महिलाएं घर का प्रबंधन करती हैं, उन्हें घर के कामों को सुनिश्चित करके समय का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, किराना खरीदना है, बच्चों का होमवर्क करना आदि।

इस प्रकार, अंतिम उद्देश्यों, उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक समय सीमा आदि के आधार पर व्यक्तियों, कंपनियों, विभागों आदि के लिए समय प्रबंधन के उदाहरण अलग-अलग हैं।

दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही है। दुनिया के अधिकतम बड़े आदमी जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे जाने माने उद्योगपति अंबानी, टाटा, बिरला, आदि सभी के पास सिर्फ 24 घंटे ही उपलब्ध हैं, लेकिन वो सब लोग अपने समय का समुचित सदुपयोग अपनी कार्य क्षमताओं, प्रतिभा, ज्ञान और अपनी रुचि के हिसाब से करते हैं। जो लोग समय प्रबंधन को सीखकर उसको अमल में ले आते हैं उन्नति उनके कदम छूती है। और वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं।

ठीक ही कहा गया है " समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते "। व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने के लिए समय के मूल्य को समझना चाहिए। समय बर्बाद करने वाले वही होते हैं जो अपनी पहचान बनाने में असफल रहते हैं।

हम लोग हर वक़्त अपने समय के लिए कितना रोते रहते हैं। जबकि समय हमेशा होता है। सिर्फ यह हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि हम किस कार्य के लिए उत्साहित हैं या उदासीन हैं। हम अक्सर पाते हैं कि जिस कार्य और रुचि में हमें आनंदभूति प्राप्त होती है उसके लिए हम हमेशा किसी ना किसी रूप में समय को व्यवस्थित कर ही लेते हैं। अतः अपने आप से वादा करें कि आप अपने समय का सही सदुपयोग अपने कार्य क्षेत्र की उत्पादकता और अपनी रुचि के लिए करेंगे।



भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार ने देश का विनाश कर दिया है, सामाजिक नैतिकता का सर्वनाश कर दिया है। अब डाल कर बीवी के गले में सोने का भारी हार, हर भ्रष्टाचारी पूछता है क्या कर रही है सरकार ?

आम आदमी का यहाँ बन चुका है कंकाल, और बाबू साहब के लॉकर में भरा हुआ है माल सरकारी टेबलों पर लगा है फाइलों का अंबार, पैसा खिलाये बिन न होती यहाँ पर नैया पार !

अब कोने कोने में फैल गया है यह भ्रष्टाचार, भाई बचा लीजिए इससे खुद को सपरिवार अगर बात मेरी मानो तो मेरे सरकार, ईमानदारी की राह चलो छोड़कर दुर्विचार दाल रोटी ही खाओगे, पर नींद भली तो आयेगी, और अगर भ्रष्टाचार करोगे, तो बीपी डायबटीज़ बढ़ जाएगी

बेटा-बेटी पूछेंगे पिताजी कहाँ से इतना धन पाया है ? क्या आँख में देख कह पाओगे, टेबल के नीचे से कमाया है ! कला धन तो कमाओगे पर हज़म नहीं कर पाओगे, जितना भी जुटाओगे, पाई पाई चुकाओगे

तो सच्चे हिंदुस्तानी बनो !!! और भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश करो, न खुद खाऊँगा न खाने दूँगा !!! इस बात का प्रयास करो, हम सबको मिलकर ही, देश को बचाना है और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त, सोने की चिड़िया बनाना है, जग में नाम कमाना है। जग में नाम कमाना है।

हितेश्वर राज बोंगशी

वरिष्ठ प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी





शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Abessive	A-bes-iv	लैटिन	अपमानजनक
Altercation	Awl-tuh-kay-shn	लैटिन	तकरार
Quiddity	Kwid- uh -tee	लैटिन	किसी पदार्थ की सूक्ष्मता
Discursive	Duh-skuh-suhv	लैटिन	असंबद्ध
Contravene	Kawn-truh-veen	फ्रेंच	अवहेलना करना
Diurnal	Dai-uh-nuhl	लैटिन	प्रतिदिन/ दिनचर
Uncouth	Uhn-kooth	प्राचीन अंग्रेज़ी	अनोखा/ असभ्य
Disheveled	Duh-sheh-vld	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	अस्त-व्यस्त
Edifice	Eh-duh-fuhs	लैटिन	भवन
Vestige	Veh-stuhj	लैटिन	निशानी/ पदचिह्न
Emulate	Eh-myoo-layt	लैटिन	अनुकरण करना
Exuberant	Uhgz-yoo-buh-ruhnt	मध्यकालीन फ्रेंच	उत्साहपूर्ण
Prudence	Proo-dns	प्राचीन फ्रेंच	सावधानी
Permeate	Puh-mee-ayt	लैटिन	रिसना
Profusion	Pruh-fyoo-zhn	लैटिन	प्रचुरता
Frantic	Fran-tuhk	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	उन्मत्त
Fidgety	Fi-juht-ee	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	अधीर
Recede	Ri-seed	मध्यकालीन फ्रेंच	पीछे हटना
Splurge	Spluhj	अमेरिकी अंग्रेज़ी	मूसलधार बारिश/ डींग मारना
Arduous	Aa-dyoo-uhs	लैटिन	कठिन
Perilous	Peh-ruhl-uhs	लैटिन	खतरनाक

संकलनकर्ता
नेहा रंजन
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल



जून 2023



माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण



क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़



क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर-दिल्ली



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with



अपना व्यवसाय स्थापित करें

आइओबी सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए)

- कार्यालय परिसर, फर्नीचर आदि के निर्माण के लिए
- व्यावसायिक उपयोग की कार की खरीद
- सीजीटीएमएसई के तहत 10 लाख रु. तक कोई कोलेट्रल नहीं

अभी आवेदन करें

www.iob.in

1800 425 4445
1800 890 4445

     @IOBindia





विभिन्न नराकासों से प्राप्त पुरस्कारों की झलकियाँ



क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ – प्रथम पुरस्कार



राजकोट शाखा – प्रथम पुरस्कार



ग्वालियर शाखा – द्वितीय पुरस्कार



क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर – तृतीय पुरस्कार



क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम – तृतीय पुरस्कार



क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद – प्रोत्साहन पुरस्कार



भारतीय संसद : नया रूप

संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। भारतीय संसद का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में शुरू हुआ था और यह वर्ष 1927 में पूरा हुआ। इसे आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। इस भवन को मूल रूप से 'काउंसिल हाउस' कहा जाता था और जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश भारत की विधायिका आदि मौजूद थे। पुराने संसद भवन का गोल आकार रोमन ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम से प्रेरित था। वर्ष 1927 में कमीशन किया गया मौजूदा संसद भवन लगभग एक शताब्दी पुरानी विरासत है जो हेरिटेज ग्रेड-1 इमारत है। गुज़रते वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उपयोगकर्ताओं में पर्याप्त वृद्धि के साथ इस भवन की आयु और सीमित अवसंरचना अब जगह, सुविधाओं एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। परिणामस्वरूप सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से किया गया। अब पुराने संसद भवन की बजाय लोकतंत्र के सभी निर्णय नए और भव्य संसद भवन में लिए जाएंगे। नए संसद परिसर में पहले की तुलना में काफी ज्यादा सुविधाएँ और हाईटेक व्यवस्थाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य रायसीना हिल, नई दिल्ली के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र 'सेंट्रल विस्टा' का पुनरुद्धार करना है। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इसे बनाए रखा गया था। परियोजना के पुनर्विकास की देख-रेख एआर. बिमल पटेल द्वारा की जा रही है।

आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिज़ाइन किये गये नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। पुराने भवन के समीप निर्मित नया संसद भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र को दायरे में है। इसका त्रिकोणीय आकार उपलब्ध स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है और एक विकासशील राष्ट्र की उभरती



आवश्यकताओं को समायोजित करता है। नए भवन में 888 सीटों वाला एक बड़ा लोकसभा हॉल और 384 सीटों वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल शामिल है। संसद के संयुक्त सत्र अब 1,272 सीटों को समायोजित करते हैं, जो समावेशी और सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक कार्यवाही की सुविधा प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक संवैधानिक हॉल भारतीय लोकतंत्र के हृदय के रूप में कार्य करेगा जहाँ नागरिकों को शासन के केंद्र में रखा गया है। नवनिर्मित भवन अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अति-आधुनिक कार्यालय स्थान भी प्रदान करता है, जो दक्षता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। हरित निर्माण तकनीकों के उपयोग से निर्मित नए भवन में पुराने भवन की तुलना में विद्युत की खपत में 30% की कमी आने की उम्मीद है। इसमें वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को शामिल किया गया है। यह अधिक स्थान की उपलब्धता हेतु डिज़ाइन किया गया है, साथ ही यह अगले 150 वर्षों तक कार्य करने में सक्षम है। चूँकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-V में है, इसलिये इमारत को भूकंप-रोधी बनाया गया है। नए भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है, जहाँ भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेज़ीकरण किया गया है। दोनों सदनों को भी नया रूप दिया गया है।

लोकसभा : नए लोकसभा कक्ष में दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों के समान नक्काशीदार डिज़ाइन तैयार किये गए हैं, जो टील कार्पेट से सुसज्जित हैं। लोकसभा कक्ष में वर्तमान के 543 के बजाय 888 सीटें होंगी, जिसकी क्षमता बढ़कर 1,272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा।



राज्यसभा : राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर दो सांसद बैठ सकेंगे और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 संसद सदस्यों (सांसदों) को समायोजित कर सकता है। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से बढ़ाया गया है।

यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया है जिसका वजन 9,500 किलोग्राम है और ऊँचाई 6.5 मीटर है। इस विशाल काँस्य प्रतिमा को सहारा देने के लिये सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर 6,500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया है। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और 'सत्यमेव जयते' शब्द पत्थरों पर अंकित किये गए हैं।

वर्ष 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी जी की 16 फुट ऊँची काँस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार जी ने बनाया था।

भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिये देश भर से विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री लाई गई है, जिसमें धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर, राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले के लाखा गाँव से ग्रेनाइट, साज-सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी नागपुर से लायी गयी है और मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर वास्तुशिल्प डिज़ाइन का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही के बुनकरों ने भवन के लिये हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं।

'शिल्प' नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ-साथ पूरे भारत के वस्तु प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। गैलरी 'स्थापत्य' भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी जिनमें विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्मारक शामिल हैं। स्मारकों के अतिरिक्त यह योग आसनो को भी समाहित करती है।

नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फौकॉल्ट पेंडुलम है जिसे संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। फौकॉल्ट पेंडुलम, जिसका नाम फ्राँसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट के नाम पर रखा गया है, इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।

पेंडुलम में एक भारी बॉब होता है जो छत में एक निश्चित बिंदु से एक लंबे, मज़बूत तार के अंत में निलंबित होता है। जब लोलक झूलता है तब जिस काल्पनिक सतह पर तार और गोलक स्वाइप करते हैं, उसे दोलन का तल कहा जाता है।

'सेनगोल' : 'सेनगोल' शब्द तमिल शब्द 'सेम्मई' से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है 'नीतिपरायणता'। यह स्वर्ण का बना प्रतीक है और चोल साम्राज्य में अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये औपचारिक अवसरों के दौरान शासकों द्वारा धारण किया जाता था। इसे उत्तराधिकार एवं वैधता के निशान के रूप में एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सौंपा जाता था। समारोह आमतौर पर एक उच्च पुरोहित या गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था जो नए शासक को आशीर्वाद देते थे और उसे 'सेनगोल' सौंपते थे। सी. राजगोपालाचारी ने सत्ता हस्तांतरण के लिये 'सेनगोल' सौंपने का सुझाव दिया क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के साथ-साथ विविधता में इसकी एकता को प्रतिबिंबित करता है। थिरुवदुथुराई आधीनम ने प्रधानमंत्री नेहरू को 14 अगस्त, 1947 को सेनगोल भेंट किया था। यह सुनहरा सेनगोल, चैत्र के एक प्रसिद्ध जौहरी वाम्मुदी बंगारु चेट्टी द्वारा तैयार किया गया था।

वर्ष 1947 में सेनगोल प्राप्त करने के बाद नेहरू जी ने इसे कुछ समय के लिये दिल्ली में अपने आवास पर रखा और फिर इसे इलाहाबाद (प्रयागराज) में आनंद भवन संग्रहालय को दान कर दिया। यह सात दशकों से भी अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में रहा। जब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी, तब सरकार ने एक ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए भवन में सेनगोल स्थापित करने का निर्णय लिया। इसे नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया गया है, जिसके पास एक पट्टिका भी रखी गई है जो इसके इतिहास और अर्थ को प्रकट करेगी। नए संसद भवन में सेनगोल की स्थापना सिर्फ एक सांकेतिक मुद्रा नहीं है, बल्कि एक सार्थक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र अपनी प्राचीन परंपराओं एवं मूल्यों में निहित है और यह भी कि यह समावेशी है और विविधता एवं बहुलता का सम्मान करता है।

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत के नए संसद भवन का अनावरण किया गया। भारतीयों द्वारा अभिकल्पित और निर्मित यह उत्कृष्ट भवन संपूर्ण देश की संस्कृति, उसके गौरव एवं उमंग को समाहित करता है और एक बड़े संसद भवन की भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक आवश्यकता की पूर्ति के तैयार है।



देबस्मिता परिडा, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, ब्रह्मपुर

बैंकिंग



डिजिटल करेंसी : अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग पर प्रभाव

डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक का डिजिटल मुद्रा है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन एवं अन्य तकनीकों पर आधारित डिजिटल रूप में जारी एक वैध मुद्रा है। यह कागज में जारी एक फिएट मुद्रा के समान है और किसी भी अन्य फिएट मुद्रा के साथ विनिमय करने योग्य है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक वैध मुद्रा है, जो केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में देयता के रूप में दिखाई देगी।

यूनियन बजट संसद में 1 फरवरी, 2022 को पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान यह एलान किया कि वर्ष 2022-2023 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो भारतीय क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं उन्हें 30 फ्रीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। बजट सत्र के दौरान वित्तमंत्री ने अपनी बात रखी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। इससे भारत एक सस्ते एवं कुशल करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ेगा।

डिजिटल करेंसी का महत्व

- इस मुद्रा का स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इसे जारी करने की लागत, वास्तविक नकदी को मुद्रित करने और वितरित करने की लागत से काफी कम होगी।
- भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी है, लेकिन अभी भी छोटे मूल्यों के लेन-देन के लिये नकद का अधिक उपयोग किया जाता है। इस डिजिटल मुद्रा से भौतिक नकदी के प्रयोग को कम किया जा सकता है।
- भौतिक नकदी के विपरीत इस मुद्रा को केंद्रीय बैंक द्वारा आसानी से ट्रैक और नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, यह मुद्रा वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगी।

सरकार द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता:

अवैध गतिविधियों पर रोक:

- एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टोकॉइन (एथरियम और बिटकॉइन आदि) के अराजक डिज़ाइन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें डिजिटल मुद्रा के सृजन और रख-रखाव की शक्तियाँ प्रयोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं के पास होती हैं।
- बिना किसी सरकारी निगरानी और सीमा पार भुगतान में आसानी के कारण इस प्रकार की डिजिटल मुद्रा का उपयोग प्रायः चोरी, आतंकवादी गतिविधियों के निधियन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के लिये काफी आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल मुद्रा को

नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगा सकता है।

अस्थिरता:

- ★ क्रिप्टोकॉइन या डिजिटल मुद्रा किसी भी संपत्ति अथवा मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं होती है और इसका मूल्य केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिये बिटकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टोकॉइन के मूल्य में काफी अस्थिरता देखने को मिलती है।
- ★ केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को किसी संपत्ति अथवा पारंपरिक मुद्रा का समर्थन प्राप्त होगा, जिसके कारण इसका मूल्य अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे एथरियम और बिटकॉइन की तरह अस्थिर नहीं होगा।

डॉलर पर निर्भरता को कम करना:

यह भारत को अपने सामरिक साझेदारों के साथ व्यापार हेतु लेन-देन की मुद्रा के रूप में डिजिटल रूपया के प्रभुत्व को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता स्वतः ही कम हो जाएगी।

डिजिटल करेंसी की विशेषताएं एवं लाभ:

- डिजिटल करेंसी को देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।
- डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट में शामिल किया जाएगा।
- डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को नकदी पर निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा। लोगों को अक्सर नकद रुपयों को रखने और इस्तेमाल करने में परेशानी होती है।
- डिजिटल करेंसी को रिटेलर और होलसेल दोनों के लिए इस्तेमाल किये जाने पर विचार किया जा रहा है।
- रुपयों को प्रिंट कराने में जितना पैसा सरकार का लग जाता है, उसमें भी कमी आएगी।
- यह पैसा जमा कराने और निकालने के तरीके को काफी आसान कर देगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक होगा तो लोगों को काफी समय तक लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पैसों को स्टोर कर सकेंगे।
- डिजिटल करेंसी से लोगो को अपने पैसे को लेकर सुरक्षा महसूस होगी और उनके पैसे ज्यादा सिक्योर रहेंगे।



- डिजिटल मुद्रा के आने से लोगों को अपने देश के बाहर या फिर देश में ही फंड ट्रांसफर करने के लिए या फिर जमा करने के लिए अलग-अलग समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जिससे बैंकिंग फ्रॉड जैसे गतिविधियों में भी कमी आएगी।

डिजिटल करेंसी- क्रिप्टोकरेंसी से अधिक लोकप्रिय

- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन सहित कई देश हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। विदित है कि अक्टूबर 2020 में, बहामास ने दुनिया का पहला सी.बी.डी.सी. लॉन्च किया था।
- क्रिप्टोकरेंसी उपभोक्ताओं के लिये जोखिम उत्पन्न करती है। उनके पास कोई सॉवरेन गारंटी नहीं होने के कारण वे वैध मुद्रा नहीं होती हैं। इसके विपरीत, डिजिटल रूपया एक वैध मुद्रा होगा।
- क्रिप्टोकरेंसी सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। यदि उपयोगकर्ता इससे संबंधित अपनी निजी कुंजी खो देता है, तो उपयोगकर्ता क्रिप्टोकरेंसी तक नहीं पहुँच सकता। पारंपरिक डिजिटल बैंकिंग खातों के विपरीत, इसमें पासवर्ड रीसेट नहीं किया जा सकता है।
- कुछ मामलों में निजी कुंजी तकनीकी सेवा प्रदाताओं (क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या वॉलेट) द्वारा संगृहीत की जाती हैं, जो उसके हैकिंग होने के खते को बढ़ा देती है। क्रिप्टोकरेंसी आपराधिक गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति अधिक संवेदनशील है।
- एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका उपयोग व्यापक होने की स्थिति में देश की वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- आर.बी.आई. ने बिटकॉइन, ईथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग, टैक्स चोरी आदि समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में केंद्रीय बैंक की निगरानी में डिजिटल रूपया जारी करने की योजना बनाई है।



डिजिटल करेंसी का उपयोग कैसे करें?

भारत में लाई जाने वाली डिजिटल करेंसी दुनियाभर में प्रचलित क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की तरह ही उपयोग की जाएगी। इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि डिजिटल करेंसी सरकारी करेंसी होगी। इस पर सरकारी यानी कानूनी स्वीकार्यता प्राप्त होगी मतलब यह विधि ग्राह्य होगी। डिजिटल करेंसी का कैसे उपयोग करें, इसकी गाइडलाइंस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है। डिजिटल करेंसी को

ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से शुरू किया गया जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है।

डिजिटल करेंसी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- डिजिटल रूपया रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपकरण प्रदान कर और अधिक सशक्त बनाएगा।
- डिजिटल रूपए के उपयोग से रिज़र्व बैंक को प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा सृजन और आपूर्ति की शक्ति प्राप्त होगी, जिससे नीतिगत बदलावों के प्रभावों को तत्काल प्रतिबिंबित किया जा सकेगा, जबकि अब तक रिज़र्व बैंक अपने नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर है।
- सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल रूपया, भारतीय नियामकों को अर्थव्यवस्था में लेन-देन और ऋण प्रवाह की निगरानी में मदद करेगा, जिससे घोटालों और धोखाधड़ी की निगरानी करने में सहायता मिलेगी और जमाकर्ताओं के पैसे को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
- इसके अलावा यह निवेशकों को मौजूदा अत्यधिक जोखिम वाली डिजिटल मुद्रा की तुलना में एक अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा।

डिजिटल करेंसी का बैंकिंग पर प्रभाव

- कैशलेस सोसाइटी के लिये महत्वपूर्ण: सरकार द्वारा समर्थित आधिकारिक डिजिटल मुद्रा आम उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को नकदी का उपयोग न करने के प्रति प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि कर चोरी पर नियंत्रण हेतु काफी उपयोगी होगा।
- डिजिटल रूपया स्मार्ट कॉन्टैक्ट की मदद से कैशबैक, पैसे भेजने, ऋण देने, बीमा, शेयर खरीदने और दूसरे वित्तीय लेन-देनों को आसान बना देगा।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल रूपया, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेज़ी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना स्थान तलाशने में मदद करेगा। साथ ही इससे भारतीय नागरिकों को देश की पुरानी बैंकिंग प्रणाली से भी मुक्ति मिलेगी और भारत के बैंकिंग मॉडल में एक नया आयाम जुड़ सकेगा। अर्थव्यवस्था में तरलता, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाज़ार आदि पर डिजिटल रूपए का महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा।

डिजिटल मुद्रा देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही अधिक प्रभावी और डिजिटल मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने में सहायक होगा।



रुबी चौधरी, लिपिक, बंगलुरु क्षेत्र

बैंकिंग



बैंक में अनुपालन कार्य

अनुपालन बैंकिंग उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि, बैंक नियामक कानूनों और नियमों के आधार पर कार्य कर रहा है। इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जो भारी जुर्माने से लेकर बैंक की प्रतिष्ठा में अपूरणीय क्षति तक हो सकते हैं। इस प्रकार बैंकों के लिए व्यापक अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है। बैंकिंग अनुपालन का अर्थ है, नियमों, नीतियों और कानूनों के समूह से है, जो वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनके संचालन कानूनी, नैतिक और सुरक्षित हैं। अनुपालन बैंकिंग उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह धोखाधड़ी की गतिविधियों, मनी-लांड्रिंग, और अन्य अवैध प्रथाओं को रोकने में मदद करता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को डाटा गोपनीयता, एंटी मनी-लांड्रिंग अपने उपभोक्ता और उपभोक्ता हित संरक्षण से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों को समझना और उनका अनुसरण करना होगा। अनुपालन बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्थानों के पास मजबूत नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसमें प्रभावी आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित करना, नियमित जोखिम मूल्यांकन करना और कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना सम्मिलित है।

बैंकिंग अनुपालन का विकास: विगत वर्षों के दौरान बैंकिंग अनुपालन में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। एक कानूनी कार्य के रूप में देखा जाने से लेकर जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक बनने तक वित्तीय संस्थानों के लिए अनुपालन बढ़ते हुए महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया भर की सरकारों ने धोखाधड़ी और मनी-लांड्रिंग को रोकने के लिए नए विनियम और दिशा निर्देश शुरू किए हैं, इसलिए वित्तीय संस्थानों को अनुपालन करने के लिए तेजी से अनुकूलन करना पड़ा, इससे अधिक सक्रिय अनुपालन नीतियों में बदलाव आया है, जिसमें कई संस्थान अनुपालन विभागों और प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश करते हैं। बैंकिंग अनुपालन के विकास को चलाने वाला एक अन्य कारक जोखिम प्रबंधन का बढ़ता महत्व है। साइबर क्राइम और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते खतरे के साथ वित्तीय संस्थानों को कई नए जोखिमों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए अत्याधुनिक जोखिम प्रबंधन रणनीतियां आवश्यक होती हैं। इन कारकों के अलावा ग्लोबलाइजेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन ने बैंकिंग अनुपालन के विकास में भी भूमिका निभाई है।

बैंकिंग अनुपालन विभाग और इसकी भूमिका: बैंकिंग अनुपालन विभाग किसी भी वित्तीय संस्थान के संचालन का एक महत्वपूर्ण

घटक है। इसकी प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थान सभी संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करता है, जिससे सरकारी एजेंसियों से डाटा चोरी और संभावित जुर्माना रोका जा सके। एक समर्पित अनुपालन विभाग की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वित्तीय उद्योग आकार और जटिलता में बढ़ गया है। अनुपालन प्रोफेशनल के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है - जोखिम प्रबंधन। इसके अलावा अनुपालन विभाग मनी लांड्रिंग, टैक्स और अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए भी काम करता है जो बैंक की नीतियों और नियमों का पालन नहीं करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्थान सभी आवश्यक प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। नियमित ऑडिट करने के लिए अनुपालन विभाग भी जिम्मेदार है। वे सभी संबंधित नियमों का पालन करने में बैंक की मदद करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन भी करते हैं।

बैंकिंग अनुपालन कार्यान्वित करना: बैंकिंग अनुपालन को लागू करना किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नैतिक रूप से और कानून के अनुसार कार्य करना चाहता है। हालांकि, इसे प्राथमिकता देने के लिए संस्कृति और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव और उच्च प्रबंधन से प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। प्रक्रियाओं का मानकीकरण और प्रबंधन सफल बैंकिंग अनुपालन का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, इसमें जोखिमों को संबोधित करने, इन्वेंटरी बनाने और समस्या प्रबंधन और समाधान विकसित करने के लिए मानक स्थापित करना शामिल है। इन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके संस्थान यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनुपालन को इसके संचालन के सभी पहलुओं में शामिल किया जाए और जोखिमों को लगातार कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाए। बैंकिंग अनुपालन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्टाफ अनुपालन में संलग्न और पूरी तरह से प्रशिक्षित हों। इसमें ग्राहक सेवा के प्रतिनिधियों से लेकर उच्च प्रबंधन तक के सभी लोग शामिल हैं। स्टाफ को खाता या वित्तीय लेन-देन की समीक्षा और अनुमोदन करने की प्रक्रिया के दौरान जोखिमों और सुविधाओं की पहचान करने और अनुपालन प्रबंधकों को किसी भी समस्या की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनुपालन की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है। इसमें अनुपालन उपायों की प्रभावशीलता का नियमित मूल्यांकन और सुधार के लिए किसी भी क्षेत्र की पहचान शामिल होनी चाहिए। इस तरह से अनुपालन की निगरानी करके संस्थान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अपने अनुपालन प्रयासों में निरंतर सुधार कर रहे हैं।



बैंकिंग

बैंकिंग अनुपालन नीति: बैंकिंग अनुपालन नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कानून व नियमों और उद्योग मानकों के अनुपालन के लिए संगठन के फ्रेमवर्क की रूपरेखा बताता है। यह लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने में कर्मचारियों वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के संबंध में अपेक्षाएं निर्धारित करती है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई बैंकिंग अनुपालन में उन नीतियों की स्पष्ट समझ प्रदान करती है, जो संगठन के कार्यों को नियंत्रित करती है और गैर अनुपालन से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करती है। पॉलिसी को जोखिम आधारित दृष्टिकोण के साथ बनाया जाना चाहिए, जिसमें वित्तीय संस्थान और ऑपरेशन के क्षेत्रों के आकार और जटिलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसे संगठन के लिए लागू सभी संबंधित कानूनों और नियमों को संबोधित करना चाहिए और संचालन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना चाहिए। आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने और आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हमारा बैंक गैर अनुपालन की घटनाओं को रोकने के लिए अपने नियामक अनुपालन ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुपालन के लाभ: अनुपालन सुनिश्चित करते समय लागत की बचत हो सकती है। नियामक परिवर्तनों और अनुपालन प्रथाओं को अनुकूलित करने से इसके अनुसार जुर्माने और जुर्माने से बचने में मदद मिल सकती है जो अनुपालन लागतों में वृद्धि कर सकते हैं। पारदर्शिता, निरंतर निगरानी और नीतियों और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षाओं के साथ बैंक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं और प्रतिष्ठागत और वित्तीय जोखिमों को कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष: बैंक अनुपालन, बैंकिंग उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है जो नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता बनाए रखता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना और लागू करना चाहिए। "अवशिष्ट जोखिमों" को प्रबंधित करना चाहिए और लागत कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी और ऑटोमेशन का लाभ उठाना चाहिए। नियमित समीक्षाएं किसी भी क्षेत्र की पहचान करने में मदद करती हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। बैंक, अनुपम अनुपालन में निष्पादन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर संस्थान अपने ग्राहकों और विस्तृत वित्तीय समुदाय के साथ विश्वास बनाए रख सकते हैं।

कविता

शोर !!



पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे, ये कैसा शोर है,
हंसा मुझपर और बोला, चाहते तेरी कुछ थी,
पर तेरा रास्ता कुछ और है ॥

खुद को संभालना भी है तुझे, रास्तों में पड़ी जंजीरों को तोड़ना भी है,
अपने एहसासों को जगाकर, चलदे वहां जहां होती नई भोर है ॥
अगर जुनून है तेरे अंदर, कदमों के निशान बन ही जाएंगे,
मंजिल तेरे करीब आती जाएगी, बस तुझे दौड़ना उस ओर है ॥
सोच नई हो, तरकीब नई हो, बैठना नहीं थक कर तुम कहीं,
आसमान पर जा पहुंचेगी तेरी पतंग, खीचना बस माँझे की डोर है ॥
कोशिशों के तरकश को धार दो, मेहनत से खुद को सवार दो,
लड़ना तुम्हें खुद से ही होगा, उठती उँगलियाँ तो हर ओर है ॥
पाकीज़ा ख्याल हो, न किरदार पर तेरे कोई भी सवाल हो,
काँटों पर, कंकड़ों पर और शोलों पर लगाना तुझको दौड़ है ॥
जागना होगा आज ही तुमको नींद से, कल कभी आता नहीं है,
सूरज सा भी वही चमकता है, जो बदलता अपना दौर है ॥

शबनम बानो

सहायक प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर





“द टाइगर ऑफ जेलूटोंग”

अपने प्रवासी भारतीय स्तम्भ की तीसरी कड़ी में आज हम आपकी मुलाक़ात मलेशिया के सबसे प्रतिष्ठित मानवाधिकार वकील और विपक्षी नेता, सबसे विवादास्पद मामलों को लेने और राजनीतिक और न्यायिक दुरुपयोग के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का जज्बा रखने के चलते जेलूटोंग के टाइगर के उपनाम से ख्याति प्राप्त, करपाल सिंह से करवाने जा रहे हैं। करपाल सिंह जितना अधिक अपनी बेबाकी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर हैं उससे कहीं अधिक उन्हें अपने तूफानी व्यक्तित्व के लिए भी ख्याति प्राप्त है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में मृत्युदंड की समाप्ति, नागरिक स्वतंत्रता, सभी मलेशियाई लोगों के लिए, मलेशिया के लिए संघर्ष किया और अपने अपनी अंतिम सांस तक व्यवस्था से लोहा लेते रहे।

करपाल सिंह का जन्म 1940 में पेनांग में चौकीदार की एक साधारण सी नौकरी कर अपना गुजारा करने वाले राम सिंह देव और करतार कौर के घर हुआ था। उनके माता-पिता भारत के पंजाब से आए पहली पीढ़ी के अप्रवासी थे, जिन्होंने बेहतर जीवन की तलाश में अपनी मातृभूमि को छोड़ा था। राम सिंह देव को एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ियों को गरीबी से बचाने के लिए उन्हें अपना पारिवारिक खेत छोड़ना होगा। मलेशिया (तत्कालीन समय में मलाया) को दूध और शहद की भूमि कहा जाता था, और राम सिंह देव उस समय पुलिस बल में बैलगाड़ी चालक या सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी पाने का सपना देखते थे। पेनांग पहुंचने पर, उन्हें एक चौकीदार के रूप में अपनी नौकरी तो पक्की कर ली मगर परिवार के भरण पोषण के लिए इतना काफी नहीं था। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए करपाल सिंह के पिता राम सिंह देव को बचे हुए समय में गायों के झुंड की देखभाल करने का काम भी करना पड़ा।

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड अपनी भीड़भाड़ वाली जेलों में कैदियों से निजात पाने के लिए और उन कैदियों से और अधिक मेहनत - मज़दूरी करवाने के उद्देश्य से कैदियों को कम आबादी वाली कॉलोनियों (मुख्य रूप से अपने उपनिवेशों) में जनशक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भेजने लगा। यही प्रक्रिया आगे चल कर ब्रिटिश उपनिवेशों में गिरमिटिया मजदूरों में निजी तौर पर नियंत्रित व्यापार के साथ एकीकृत हो गयी और 19वीं शताब्दी तक बदस्तूर जारी रही। सन 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा दासता के उन्मूलन के बाद श्रम संकट खड़ा हो गया। सन 1833 में



उपजे इस श्रम संकट ने भारतीय श्रमिकों की मांग को जन्म दिया, जिसे पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने 1833 में भारतियों को नए सिरे से उपनिवेशों में भेजना शुरू कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई झूठे वादे और प्रलोभनों के चंगुल में फंसे भारतियों के निर्वासन की जो भूख, कर्ज़, सूखा, अकाल से निजात पाने के लिए भारत से विदेशी ज़मीनों पर चले गए, कभी न लौट कर आने के लिए।

राम सिंह देव और करतार कौर निर्वासन की उसी लहर के शिकार थे जो अपने और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य का सपना लेकर एक अपरिचित ज़मीन पर आए थे। आने वाला दौर और अधिक मुश्किलों भरा साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेशिया जापान के कब्जे में था और जापानी सैनिकों द्वारा स्थानीय जनता का बेहद क्रूरता से दमन करना शुरू कर दिया। करपाल सिंह के परिवार को अपने ही घर में रहते हुए युद्ध की विभीषिका सहनी पड़ी। भोजन की कमी थी और 11 (छह बेटे और तीन बेटियाँ) सदस्यों का परिवार कई वर्षों तक एक परिवर्तित गैरेज में रहता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद जब आज़ादी मिली, तो अपने गोरे साहबों के साथ देश छोड़ने के बजाय, करपाल सिंह के परिवार ने भविष्य में टुंक् अब्दुल रहमान की नई सरकार के अधीन रहना तय किया, जिन्होंने सभी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का वादा किया था।

करपाल सिंह ने स्कूल में कड़ी मेहनत की और सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। उन्होंने स्नातक के दौरान छात्र संघ और राजनीति में सक्रिय रूप से सहभागिता की। विश्वविद्यालय में ही अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें



अपने कर्तव्य का एहसास उस वक़्त हुआ जब उन्हें पता चला कि बिना "राजनीतिक उपयुक्तता प्रमाण पत्र" के छात्रों को नामांकन का अधिकार नहीं है। उन्होंने इसके पीछे छुपी राजनीतिक विद्रूपता को पहचाना और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अपनी पढ़ाई के दौरान सिंगापुर में उनकी आत्म-खोज की यात्रा शुरू हुई, यहीं उन्हें अपनी आवाज़ मिली। मगर इस बाहर से अंतस तक की यात्रा के परिणामस्वरूप उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने में आठ साल लग गए। इन आठ सालों में उन्होंने अपने सिद्धान्त गढ़े। वो सिद्धान्त, जिन पर वो आजीवन अडिग रहे। उनका अटल विश्वास था कि कोई भी, यहां तक कि राजनीतिक नेता और शासक भी, कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने संविधान पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धान्तों की रक्षा करने में अपना पूरा जीवन होम का दिया। वो हमेशा ही अदम्य साहस के साथ उन सभी सीमाओं और कानूनों के कार्यान्वयन के खिलाफ बोलते रहे, जिन्हें वह आवश्यकता से अधिक कठोर और अन्यायपूर्ण मानते थे। अपनी स्वाभाविक मुखरता के चलते वह संसदीय सत्रों में अपने तीखे बोलों के लिए प्रसिद्ध थे।

कानून को पेशेवर रूप में अपनाने के तुरंत बाद, उन्होंने 1970 में बहुजातीय डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इस फैसले का मूल कारण मलेशिया में 13 मई 1970 में भड़के नस्लीय दंगे थे। चार साल बाद, उन्होंने अपने काम करने के क्षेत्र के दाह, जो कि मलय-प्रभुत्व वाला था, से पहली संसदीय सीट जीती। तत्पश्चात उन्होंने 1978 में अपने गृह राज्य पेनांग में चुनाव लड़ने का फैसला किया और 20 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सीट बरकरार रखी। हालांकि उनकी अति उत्तेजना के चलते कई बार पुलिस को उन्हें राज्य विधानसभा के बाहर ले जाना पड़ता था। एक बार करपाल सिंह ने स्थायी आदेशों की अपनी प्रति अध्यक्ष पर फेंक दी, जिसके चलते उन्हें आगे के सत्रों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया। हालांकि, जेलुटोंग के लोग आज भी उन्हें समानता और न्याय के क्षेत्र में उनकी सशक्त उपस्थिति के लिए याद करते हैं।

ऑपरेशन लालांग के परिणामस्वरूप साथी डीएपी नेताओं के साथ कामुंटींग में करपाल सिंह को हिरासत में ले लिया गया। उनकी अनुपस्थिति से उनकी फर्म, करपाल सिंह एंड कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। उस समय करपाल सिंह की रिहाई के लिए अभियान प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए उनकी पत्नी गुरमीत कौर ने व्यवसाय और परिवार के वित्त का ख्याल रखा। लेकिन इस मुश्किल दौर में उन्हें कुछ लोगों का साथ भी मिला। चीनी बैंकर, जिन्होंने कर्ज चुकाने में मदद की, कानूनी समुदाय और यहां तक कि जेल में मौत की सजा पाने वाले उनके कुछ मुवक्किल भी उनके पीछे खड़े थे। पंद्रह महीने की लंबी कैद के बाद उन्हें रिहा किया गया।

करपाल सिंह का मानना था कि उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां एक कट्टर विपक्षी राजनेता की तुलना में कानून के माध्यम से कहीं अधिक थीं। यह बात निर्विवादित रूप से सत्य है कि उन्होंने अपने कई मुवक्किलों को फाँसी की सजा से बचाया। उनके सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक वह था जब उन्होंने एक 14 वर्षीय लड़के को, जिस पर बंदूक रखने का आरोप था को, जल्लाद के फंदे से बचाया था। डीएपी के सहयोग से, वह लड़के के लिए क्षमा प्राप्त करने में सफल रहे। करपाल सिंह का मानना था कि एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा दिए जाने का डर उसको दी गई मौत की सजा से भी कहीं अधिक होता है। करपाल को कानूनी मदद से अपने राजनीतिक विरोधियों की गलतियों को उजागर करने के चलते उन्हें कई बार मौत की धमकियाँ भी मिलीं और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में भी रहना पड़ा। एक दुर्भाग्यपूर्ण कार दुर्घटना के कारण उन्हें जीवन के अंतिम वर्ष व्हीलचेयर पर गुजारने पड़े।

सभी की सोच और अपने स्वभाव के उलट उन्होंने पीएएस के साथ मिलकर डीएपी पर अपनी असहमतियों के बावजूद भी समझौता किया और 2008 के चुनावों में दोनों पार्टियों को एक साथ लाकर पेनांग में डीएपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बनाई। हालांकि, उनका सपना था कि 2013 के चुनावों तक अनवर इब्राहिम एक नई सरकार का नेतृत्व करें, जो कि कभी पूरा नहीं हुआ। उनकी आखिरी उम्मीद 2018 के चुनावों से पहले राजद्रोह के आरोप से बरी होने की थी। दुख की बात है कि सजा के एक महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मलेशिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य पैदा हो गया।

मलेशिया के निडर विपक्षी नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में करपाल सिंह ने मलेशिया के राजनीतिक और कानूनी इतिहास को एक सशक्त पक्ष प्रदान किया। उन्हें विश्वास था कि सभी के लिए केवल एक ही कानून हो सकता है - चाहे गरीब हो या अमीर, सभी के साथ कानूनी रूप से एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही, उन्होंने तत्कालीन कार्य मंत्री सैमी वेल्लू के साथ संघर्ष किया, शाही परिवारों के साथ-साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. महाथिर मोहम्मद का बहादुरी से बचाव किया और तत्कालीन कार्य मंत्री सैमी वेल्लू को चुनौती दी। करपाल सिंह को निजी रूप से जानने वाले बताते हैं कि वे एक बेहतर सुलझे हुए इंसान, दयालु और निर्भीक व्यक्ति थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी उत्पीड़ितों और हाशिये पर पड़े लोगों की रक्षा के लिए न्योछावर कर दी। आज किसी भी लोकतंत्रों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि करपाल सिंह जैसे लोग हैं जो कि मौजूदा सरकार को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।



सोशल मीडिया

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिये सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिये हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल, इस मंच के ज़रिये समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है। लेकिन, चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिये चर्चा में रहता है। दरअसल, सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच विकसित करने के स्थान पर समाज को बाँटने वाली सोच को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर होती जा रही है जोकि चिंता का विषय है।

सोशल मीडिया से तात्पर्य

- * सोशल नेटवर्किंग साइट (social networking sites) आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया में एक अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है।
- * प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने के लिए किया जाता है। उदाहरण - फेसबुक, ट्विटर आदि इस संपूर्ण प्रक्रिया में उपयोगकर्ता की निजी सूचनाएँ भी साझा करते हैं।
- * यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहु-विविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने 'सोशल नेटवर्किंग साइट' को विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति सुभेद्य किया है।
- * यह एक अपरम्परागत मीडिया है जो एक वर्चुअल दुनिया बनाता है जिस तक इंटरनेट के माध्यम से पहुँच बनाई जा सकती है। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है, जो सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह द्रुत गति से सूचना के आदान-प्रदान करने, जिसमें हर क्षेत्र की खबरे होती हैं, को समाहित किए होता है।
- * सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप में समृद्ध बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकासवात्मक कार्य हुए हैं जिनसे कि लोकतन्त्र समृद्ध हुआ है। इससे किसी भी देश की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी गुणों में अभिवृद्धि हुई है।
- * हम ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं जो कि उपरोक्त बातों को पुष्ट करते हैं जिनमें, 'India against corruption' को देख सकते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध था जिसे सड़कों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया इसके कारण विशाल जनसमूह आंदोलन से जुड़ा और उसे प्रभावशाली बनाया।

- * लोकप्रियता के प्रसार में सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लैटफ़ॉर्म है जहाँ व्यक्ति स्वयं को अथवा अपने किसी उत्पाद को ज्यादा लोकप्रिय बना सकता है। आज फिल्मों के ट्रेलर, टीवी प्रोग्राम का प्रसारण भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। वीडियो तथा ऑडियो चैट भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुगम हो गए हैं जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम कुछ प्रमुख प्लैटफ़ॉर्म हैं।

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव

- सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है।
- सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज़ बन गया है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज़ को दबाया जाता रहा है।
- वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिये व्यवसाय के लिए एक वर्चुअल शोरूम के रूप में कार्य कर रहा है।
- सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोज़गार भी पैदा हुए हैं।
- वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।
- शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोज़मर्रा की सूचनाएँ सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं।

सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव

- शोध बताते हैं कि यदि सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वह हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है।
- सोशल मीडिया साइबर-बुलिंग को बढ़ावा देता है।
- यह फेक न्यूज़ और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है।
- साइबर अपराधों जैसे- हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है।
- आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी काफी बढ़ गया है, लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फँसाया जा सकता है।
- सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।

सोशल मीडिया और भारत

- * सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है।



विशेष आलेख

- ★ ऑकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं और अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2023 के अंत तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुँच जाएगी।
- ★ वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं।
- ★ इसी रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक (औसतन 4 घंटे) प्रयोग करते हैं, जबकि इस आधार पर जापान में सबसे कम (45 मिनट) सोशल मीडिया का प्रयोग होता है।
- ★ भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन कर उभरा है एवं लोगों द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

- ★ द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अनुसार, वर्ष 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी जिनमें से जून 2019 तक 2,662 सामग्रियाँ हटा दी गई थीं।
- ★ उल्लेखनीय है कि इनमें ज्यादातर वह सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इस अल्पावधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है।
- ★ दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिये ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है बल्कि आज़ादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर प्रसारित की जा रही है।
- ★ विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार कुछ प्रमुख उभरते जोखिमों में से एक है।
- ★ यकीनन यह न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ संबंधी नियम-कानून

- भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2008 के दायरे में आते हैं।
- यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद हैं, जो यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सामग्री सामुदायिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही है या नहीं और यदि वह ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है।
- भारत में फेक न्यूज़ को रोकने के लिये कोई विशेष कानून नहीं है।

परंतु भारत में अनेक संस्थाएँ हैं जो इस संदर्भ में कार्य कर रही हैं-

- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया: एक ऐसी ही नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी देती है जब यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
- न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन: निजी टेलीविजन समाचार और करंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जाँच करता है।
- ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंसेंट काउंसिल: टीवी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्जी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है और उनकी जाँच करती है।

सोशल मीडिया और निजता का मुद्दा

- वर्तमान परिदृश्य भारत को डिजिटल सेवाओं के लिये नवीन डिजाइन तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का समावेश हो।
- निजता संरक्षण, डेटा संरक्षण से जुड़ा विषय है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी डिजिटल पहचान द्वारा इंटरनेट माध्यम का प्रयोग करता है तो उस दौरान विभिन्न डाटाओं का संग्रह तैयार हो जाता है जिससे बड़ी आसानी से उपयोगकर्ता के निजी डाटा को प्राप्त किया जा सकता है।
- डेटा संरक्षण ढाँचे के डिज़ाइन में महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटलीकरण के उपयोग से दीर्घकालिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना तथा इसके साथ ही गोपनीयता को बनाए रखना भी है।
- भारत में प्रभावी डेटा संरक्षण के लिये डेटा नियामकों के पदानुक्रम और एक मजबूत नियामक ढाँचे की आवश्यकता होगी, जो जटिल डिजिटल सेटअप और आम सहमति के अलावा हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कर सके।

निष्कर्ष

- पिछले वर्ष भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के अध्ययन में बताया गया कि भारत आने वाले 89 फीसदी पर्यटकों ने सोशल मीडिया के जरिये ही भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की थीं। यहाँ तक कि इनमें से 18 फीसदी लोगों ने भारत आने की योजना ही तब बनाई जब सोशल मीडिया से प्राप्त सामग्री ने इनके मन में भारत की अच्छी तस्वीर पेश की।
- सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है तथा इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किये बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके।



फिराक़ गोरखपुरी : एक साहित्यिक विवेचना

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें,
और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं ।



फिराक़ गोरखपुरी जी एक युग निर्माता शायर और आलोचक थे । उनको अपनी विशिष्टता की बदौलत अपने ज़माने में जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली वो कम ही शायरों को नसीब होती है । वो इस मंज़िल तक बरसों की साधना के बाद पहुंचे थे । बक़ौल डाक्टर ख़्वाजा अहमद फ़ारूक़ी, अगर फिराक़ न होते तो हमारी राज़ल की सरज़मीन बेरौनक़ रहती, उसकी मेराज इससे ज़्यादा न होती कि वो उस्तादों की राज़लों की कार्बन कापी बन जाती या मुर्दा और बेजान ईरानी परम्पराओं की नक्काली करती । फिराक़ गोरखपुरी जी ने एक पीढ़ी को प्रभावित किया, नई शायरी के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हुस्न-ओ-इश्क़ का शायर होने के बावजूद इन विषयों को नए दृष्टिकोण से देखा । फिराक़ गोरखपुरी जी का व्यक्तित्व बहुत जटिल था । फिराक़ साहब मिलनसार थे, हाज़िरजवाब थे और विटी थे । अपने बारे में तमाम उल्टी-सीधी बातें खुद करते थे । उनके यहाँ उनके द्वारा ही प्रचारित चुटकुले आत्मविज्ञापन प्रमुख हो गये ।

फिराक़ गोरखपुरी जी एक बेहद मुँहफट और दबंग शख्सियत थे । एक बार वे एक मुशायरे में शिरकत कर रहे थे, काफ़ी देर बाद उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया । फिराक़ ने माइक संभालते ही चुटकी ली और बोले, 'हज़रात! अभी आप कव्वाली सुन रहे थे अब कुछ शेर सुनिए' । इसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग हमेशा फिराक़ और उनके सहपाठी अमरनाथ झा को लड़ा देने की कोशिश करते रहते थे । एक महफ़िल में फिराक़ और झा दोनों ही थे एक साहब दर्शकों को

संबोधित करते हुए बोले, 'फिराक़ साहब हर बात में झा साहब से कमतर हैं' इस पर फिराक़ तुरंत उठे और बोले, "भाई अमरनाथ मेरे गहरे दोस्त हैं और उनमें एक ख़ास खूबी है कि वो अपनी झूठी तारीफ़ बिलकुल पसंद नहीं करते" । फिराक़ की हाज़िर-जवाबी ने उन हज़रत का मिजाज़ दुरुस्त कर दिया ।

फिराक़ गोरखपुरी के पहनावे में अजीब लापरवाही झलकती थी- 'टोपी से बाहर झाँकते हुये बिखरे बाल, शेरवानी के खुले बटन, ढीला-ढाला (और कभी-कभी बेहद गंदा और मुसा हुआ) पैजामा, लटकता हुआ इज़ारबंद, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में घड़ी, गहरी-गहरी और गोल-गोल- डस लेने वाली-सी आँखों में उनके व्यक्तित्व का फक्कड़पन खूब जाहिर होता था । इस महान शायर की गहन गंभीरता और विद्वता का अंदाज़ उनकी शायरी से ही पता चलता है, जब वे लिखते हैं,

**जाओ न तुम हमारी इस बेखबरी पर कि हमारे,
हर ख़्वाब से इक अहद की बुनियाद पड़ी है ।**

उर्दू भाषा के मशहूर रचनाकार फिराक़ गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय था । उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कायस्थ परिवार में हुआ था ।

फिराक़ गोरखपुरी ने अपनी बुनियादी शिक्षा घर पर ही पूरी की । इन्हें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और संस्कृत की शुरुआती तालीम अपने पिता से हासिल हुई । उनके पिता मुंशी गोरखप्रसाद 'इबरत' उस वक़्त के प्रसिद्ध वकील और शायर थे । इसलिए शायरी तो फिराक़ को घुट्टी में ही मिली हुई थी ।

फिराक़ गोरखपुरी जी उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद पहुंचे तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी साहित्य में मास्टर डिग्री पूरी की । वहां प्रोफ़ेसर नासरी जैसे साहित्यिक हस्तियों की शोहबत में उनकी काव्य रूचि निखरी और वक़्त ने कब इन्हें 'फिराक़ गोरखपुरी' बना दिया पता ही नहीं चला ।

**बहुत पहले से उन क़दमों की आहट जान लेते हैं,
तुझे ऐ ज़िंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं ।**

फिराक़ साहब ने 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए और 1919 में सिविल सर्विस के लिए चुने गए । 1920 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी । वैयक्तिक तौर पर वो जीवन को लेकर चाहें जैसे हों, पर देश की



बात आने पर उनकी सोच, आशा और जिजीविषा से पूर्ण हो जाती थी। राष्ट्र के लिए वो सिर्फ कलम से ही नहीं, शरीर से भी हमेशा समर्पित रहे। नजीर के तौर पर देश की आज़ादी के लिए जब राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 'असहयोग आन्दोलन' छेड़ा तो फ़िराक़ गोरखपुरी ने अपनी नौकरी त्याग दी और आन्दोलन में कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार किया गया और डेढ़ साल की सज़ा भी हुई। जेल से छूटने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'अखिल भारतीय कांग्रेस' के दफ्तर में 'अण्डर सेक्रेटरी' की जगह पर उन्हें रखवा दिया। बाद में नेहरू जी के यूरोप चले जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस का 'अण्डर सेक्रेटरी' का पद छोड़ दिया। इसके बाद 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय' में वर्ष 1930 से लेकर 1959 तक अंग्रेज़ी के अध्यापक रहे।

फ़िराक़ साहब की निजी ज़िंदगी बहुत त्रासदी भरी थी। फ़िराक़ जी का विवाह 29 जून, 1914 को प्रसिद्ध ज़मींदार विन्देश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से हुआ था। बेमेल विवाह उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हादसा है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन बहुत तनावपूर्ण रहा तथा पत्नी के साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी एकाकी ही बीती। शादी के कुछ साल बाद ही वे और उनकी पत्नी अलग हो गए। युवावस्था में हुआ उनका विवाह उनके लिए जीवन की सबसे कष्टप्रद घटना साबित हुई। उनका एक बेटा था जिसने बहुत कम उम्र में खुदकुशी कर ली थी। विश्वविद्यालय परिसर में 40 सालों तक वे अकेले रहे।

**सुनते हैं इश्क़ नाम के गुजरे हैं इक बुजुर्ग,
हम लोग भी मुरीद इसी सिलसिले के हैं।**



अंदाज़े गुफ़्तगू ने रघुपति को बना दिया फ़िराक़ गोरखपुरी

फ़िराक़ गोरखपुरी मुख्यतः उर्दू भाषा के साहित्यकार थे, पर हिंदी और अंग्रेज़ी में भी इन्होंने कम ही सही मगर कलम आजमाई ज़रूर की थी। हिंदी और अंग्रेज़ी में इनकी कुछ गद्य कृतियां प्रकाश में अवश्य आईं पर इसमें कोई दोराय नहीं कि साहित्य जगत में इन्हें सबसे ज्यादा ख्याति उर्दू से ही मिली। फ़िराक़ साहब ने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत गज़ल से की थी। इनकी गज़लों में हम आम जीवन और प्रकृतिजन्य भावों की अपेक्षा सौंदर्य, रहस्य, रुमानियत आदि भावों को अधिक पाते हैं। इस संदर्भ में फ़िराक़ साहब का एक शेर गौरतलब

होगा जिसमें उन्होंने बड़ी सहजता से सौंदर्य और प्रेम के भावों को बड़े रहस्यपूर्ण तरीके से भर दिया है। फ़िराक़ साहब कहते हैं,

**मेरी हर गज़ल की ये आरजू।
तुझे सजा-सजा के निकालिए,
मेरी फ़िक्र हो तेरा आइना,
मेरे नग्मे हो तेरे पैरहनन।**

इस शेर में हमें अपने आदर्श कल्पनालोकों के प्रति फ़िराक़ साहब का लगाव साफ-साफ़ दिखता है। ये देखते हुए इस बात से इंकार करना कठिन होगा कि फ़िराक़ साहब के कल्पनालोकों की भव्यता भी यथार्थ जीवन के प्रति उनके विराग के लिए एक प्रमुख कारण थी।

शायरी वे उर्दू में करते थे और टीचर अंग्रेज़ी के थे। फ़िराक़ साहब के बारे में एक क़िस्सा बहुत प्रचलित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का नोटिस आया। नोटिस अंग्रेज़ी में था और उन्होंने उसमें दसियों ग़लतियां निकाल कर प्रशासन को वापस थमा दिया और कहा कि अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर को नोटिस भेजा है, ग़लतियां सुधार कर लाइए। नोटिस दोबारा भेजा गया और उन्होंने उसमें फिर कई ग़लतियां निकाल दी। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें न नोटिया दिया और न ही बंगला खाली करने को कहा।

ऐसे ही फ़िराक़ साहब का एक कथन बहुत मशहूर हुआ। फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा था, "भारत में अंग्रेज़ी सिर्फ़ ढाई लोगों को आती है। एक मैं, दूसरे डॉ। राजेंद्र प्रसाद और जवाहर लाल नेहरू को आधी अंग्रेज़ी आती है।"

उनका साहित्यिक जीवन का फलक 60 सालों तक फैला है। जिसमें उन्होंने 40 हज़ार से ज़्यादा कविताएं, नज़्में, गज़लें, क़तए, रूबाइयां लिखीं। समालोचक भी वे बहुत बड़े थे लेकिन वे अपनी गज़लों और शेरों के लिए याद किए जाएंगे जो खुद में क्लासिक की हैसियत रखते हैं। अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक समय में 6 दिसंबर, 1926 को ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक बंदी बनाए गए थे। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बँधा रहा है, जिसमें लोक-जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। फ़िराक़ जी ने परंपरागत भावबोध और शब्द-भंडार का उपयोग करते हुए उसे नयी भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख-दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। दैनिक जीवन के कड़वे सच और आने वाले कल के प्रति उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोकभाषा के प्रतीकों से जोड़कर फ़िराक़ जी ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। फ़ारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच-बस गई है।

फ़िराक़ गोरखपुरी ने गज़ल, नज़्म और रूबाई तीनों विधाओं में काफ़ी



कहा है। रुबाई, नज़्म की ही एक विधा है, लेकिन आसानी के लिए इसे नज़्म से अलग कर लिया गया। उनके कलाम का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा गज़ल है और यही फ़िराक़ की पहचान है। वह सौंदर्यबोध के शायर हैं और यह भाव गज़ल और रुबाई दोनों में बराबर व्यक्त हुआ है। फ़िराक़ साहब ने गज़ल और रुबाई को नया लहजा और नई आवाज़ अता की। इस आवाज़ में अतीत की गूँज भी है, वर्तमान की बेचैनी भी। फ़ारसी, हिन्दी, ब्रजभाषा और हिन्दू धर्म की संस्कृति की गहरी जानकारी की वजह से उनकी शायरी में हिन्दुस्तान की मिट्टी में रच-बस गई है। यह तथ्य भी विचार करने योग्य है कि उनकी शायरी में आशिक और महबूब परंपरा से बिल्कुल अलग अपना स्वतंत्र संसार बसाये हुए है-

शाम भी थी धुआँ-धुआँ, हुस भी था उदास-उदास।

दिल को कई कहानियाँ याद सी आ के रह गई।

फ़िराक़ साहब की रुबाइयों में टूटकर मोहब्बत करने वाली हिंदुस्तानी औरत की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं, जिनकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी-

निर्मल जल से नहा के रस से निकली पुतली,
बालों में अगरचे की खुशबू लिपटी।
सतरंग धनुष की तरह हाथों को उठाये,
फैलाती है अलगनी पर गीली साडी।

रूप' की रुबाइयाँ

फ़िराक़ गोरखपुरी का कहना था कि 'रूप' की रुबाइयों में निःसंदेह ही एक भारतीय हिन्दू स्त्री का चेहरा है, चाहे रुबाइयाँ उर्दू में ही क्यों न लिखी गई हों। 'रूप' की भूमिका में वे लिखते हैं- "मुस्लिम कल्चर बहुत ऊँची चीज़ है, और पवित्र चीज़ है, मगर उसमें प्रकृति, बाल जीवन, नारीत्व का वह चित्रण या घरेलू जीवन की वह बू-बास नहीं मिलती, वे जादू भरे भेद नहीं मिलते, जो हिन्दू कल्चर में मिलते हैं। कल्चर की यही धारणा हिन्दू घरानों के बर्तनों में, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तनों में, दीपकों में, खिलौनों में, यहाँ तक कि चूल्हे-चक्की में, छोटी-छोटी रस्मों में और हिन्दू की साँस में इसी की धनियाँ, हिन्दू लोकगीतों को अत्यन्त मानवीय संगीत और स्वर्गिक संगीत बना देती है।"

बाबुल मोर नइहर छुटल जाए,

ऊ डयोढी तो परबत भई, आंगन भयो बिदेस।

फिराक़ एक बेहद मुँहफट और दबंग शख्सियत थे साथ ही एक सौन्दर्यप्रिय व्यक्ति भी थे। बदसूरती उन्हें किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं थी शायद यही कारण था जिसने उनके पारिवारिक जीवन को तहस-नहस कर दिया था। फिराक़ के एक वक्तव्य के अनुसार, "उनका एक ऐसी बदसूरती से पाला पड़ा जिसने उनके खून में ज़हर घोल दिया।" शायद यही वजह है कि फिराक़ ने जिस बीवी को ठुकरा दिया था, उसकी तलाश "रूप" की रुबाइयों में करते रहे। उनकी गजलें, नज़्में

और रुबाइयाँ उर्दू जगत को दिया गया बहुत बड़ा सौगात है इसकी झलक निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं।

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं,
तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं"

"शामे-गम कुछ उस निगाहे-नाज़ की बातें करो,
बेखुदी बढ़ती चली है राज़ की बातें करो"

"न हैरत कर तेरे आगे जो हम कुछ चुप से रहते हैं
हमारे दरमियाँ-ऐ-दोस्त लाखों ख्वाब हायल है"

आइन ए नील गूं से फूटी है किरन
आकाश पे अधखिले कंवल का जोबन
यूँ उदी फ़ज़ा में लहलहाती है शफ़क
जिस तरह खिले तेरे तबस्सुम का चमन।

मुख्य रचनाएँ:

फ़िराक़ गोरखपुरी ने बड़ी मात्रा में रचनाएँ की थीं। उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा में उनकी दस गद्य कृतियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी कुछ मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं:-

गुल-ए-नगमा, गुले-ए-रअना, रूह-ए-कायनात, मशअल, रूप (रुबाई), शबिस्तान, सरगम, बज़्म-ए-ज़िंदगी रंग-ए-शायरी, परछाइयाँ, तरान-ए-इश्क़ आदि।

फिराक़ गोरखपुरी को भारत सरकार ने उनके साहित्यिक कार्यों की मान्यता में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके कविता संग्रह 'गुलेनगमा' पर 1960 में उन्हें 'साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और इसी रचना पर वे 1969 में भारत के एक और प्रतिष्ठित सम्मान 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किये गये थे। उर्दू में 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया।

फिराक़ गोरखपुरी जी अपने अंतिम दिनों में जब शारीरिक रूप से निरंतर अस्वस्थ रहने लगे थे तथा काफ़ी अकेले पड़ गए थे। इन्होंने अपने अकेलेपन को कुछ इस तरह बयां किया:-

'अब अक्सर चुप-चुप से रहे हैं, यूँ ही कभू लब खोले हैं,
पहले फिराक़ को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं'।

3 मार्च, 1892 में फिराक़ गोरखपुरी जी का देहांत हो गया। फिराक़ गोरखपुरी उर्दू नक्षत्र का वो जगमगाता सितारा हैं जिसकी रौशनी आज भी शायरी को एक नया मक़ाम दे रही है। इस अलमस्त शायर की शायरी की गूँज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। बकौल फिराक़

ऐ मौत आके खामोश कर गई तू,
सदियों दिलों के अन्दर हम गूँजते रहेंगे।



बैंकों द्वारा ऋण संवितरण एवं उसकी वसूली

अपने देश में बैंक ऋण की परिभाषा केवल बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण से संबंधित होती है। यह एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है, जिसमें व्यक्ति या व्यापारी बैंक से पैसे उधार लेते हैं और एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर उन पैसे को ब्याज के साथ वापस करते हैं। बैंक ऋण का उद्देश्य व्यक्तिगत या व्यापारिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना और लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। इसके लिए बैंक ऋण की ब्याज दर और समयावधि, ऋण के प्रकार और बैंक के नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

जब भी व्यक्तिगत ऋणों के बारे में चर्चा करते हैं या सामान्य रूप से ऋणों के बारे में पढ़ते हैं, तो 'क्रेडिट मूल्यांकन' शब्द का सामना होता है। क्रेडिट मूल्यांकन से तात्पर्य ऋण आवेदक की पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने के लिए किसी विशेष ऋण आवेदन या प्रस्ताव का पूरी तरह से आकलन करना है। एक ऋणदाता मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट मूल्यांकन करता है कि बैंक को वह पैसा वापस मिल जाए जो उसने ग्राहकों को उधार दिया है। चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से आवेदन करे या कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, एक ऋणदाता हमेशा एक विस्तृत और व्यवस्थित क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित करता है। संस्थाओं को ऋण देने से पहले क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया करनी होती है क्योंकि यह प्रबंधन, बाजार, तकनीकी और वित्तीय तत्वों का मूल्यांकन करती है।

क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया :

सरकारी बैंकों में ऋण मूल्यांकन की महत्ता बहुत अधिक होती है। ऋण मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें ऋण के मान्यता प्राप्त करने के लिए लोगों की वित्तीय स्थिति, क्रेडिट हिस्ट्री, और अन्य वित्तीय जानकारी की जाँच की जाती है। यह बैंक के औद्योगिक दिशानिर्देशों के तहत की जाती है ताकि ऋण देने से पहले उचित विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऋण मूल्यांकन उचित ऋण व्यवस्थापन के लिए महत्वपूर्ण है और लोगों के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ऋणदाता की क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों की जाँच और मूल्यांकन करेगी:

- आयु
- चुकौती क्षमता
- कार्य अनुभव
- वर्तमान और पूर्व ऋण
- रोज़गार की प्रकृति
- अन्य मासिक खर्च
- भविष्य की देनदारियाँ
- पिछला ऋण रिकॉर्ड
- कर का इतिहास

- वित्तपोषण पैटर्न
- संपत्ति का स्वामित्व
- ❖ सरकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का विवरण

सरकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का विवरण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि:

- ✓ **आवास घर ऋण** : घर खरीदने या निर्माण के लिए दिया जाने वाला ऋण, जिसका विवरण ब्याज दर, किस्तों की संख्या, और लोन की मूल राशि को शामिल करता है।
- ✓ **कार ऋण** : कार खरीदने के लिए दिया जाने वाला ऋण, जिसमें वाहन का पूरा विवरण शामिल होता है, जैसे कि मॉडल, कीमत, और लोन की शर्तें।
- ✓ **शिक्षा ऋण** : शिक्षा के लिए दिए जाने वाले ऋण का विवरण, जिसमें पढ़ाई के लिए लिया गया लोन की जानकारी होती है, जैसे कि पाठ्यक्रम, वित्तिता शर्तें, और वापसी की शर्तें।
- ✓ **व्यापारिक ऋण** : व्यापार शुरू करने या व्यापार का विस्तार करने के लिए दिया गया ऋण, जिसमें व्यवसाय की प्रकृति, उद्देश्य, और ब्याज दरों का विवरण होता है।
- ✓ **वैयक्तिक ऋण** : व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लिया जाने वाला ऋण, जैसे कि चिकित्सा खर्च, यात्रा, या व्यक्तिगत वित्तीय संकटों आदि के लिए।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) : ऋण या अग्रिम, जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय है।

विवरण: बैंकों द्वारा एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत की जाती है।

1. **अवमानक संपत्ति:** ऐसी संपत्ति जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए बनी हुई है।
2. **संदिग्ध संपत्ति:** एक संपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी हुई है।
3. **हानि वाली संपत्ति:** आरबीआई के अनुसार, "हानि वाली संपत्ति को असंग्रहणीय और इतने कम मूल्य का माना जाता है कि बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसकी निरंतरता की गारंटी नहीं है, हालांकि कुछ बचाव या पुनर्प्राप्ति मूल्य हो सकता है।"

वर्तमान में कितना ऋण एनपीए है ? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जानकारी दी है कि मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंकों ने 2.09 लाख करोड़ रुपये (लगभग 25.50 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक के बैड लोन माफ कर दिए हैं। इसके साथ ही पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कुल ऋण राइट ऑफ का आंकड़ा 10.57 लाख करोड़ रुपये (लगभग 129 अरब डॉलर) हो गया है।

बड़े पैमाने पर बैड लोन माफी की वजह से बैंकों का सकल एनपीए पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर 3.9 फीसदी पर आ गया है। बैंकों का सकल एनपीए



वित्त वर्ष 2018 में 10.21 लाख करोड़ रुपये था जो मार्च 2023 तक गिरकर 5.55 लाख करोड़ रुपये हो गया था। इसकी मुख्य वजह बैंकों द्वारा बैड लोन का राइट ऑफ किया जाना है।

क्या किया जा सकता है?

- ❖ सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम बैंकों को अपना एनपीए कम करने के लिये उठाना होगा।
- ❖ बैंकों को ऋणों और अग्रिमों पर होने वाले नुकसान को स्वीकारना होगा (इसे Haircut भी कहते हैं)।
- ❖ ऐसा करने के लिये उन पर जाँच एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने का डर नहीं होना चाहिये।
- ❖ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने प्रमुख ऋणदाता बैंकों के रिज़ॉल्यूशन प्लान्स की देखरेख के लिये छह-सदस्यीय पैनल का गठन किया है। रिज़ॉल्यूशन के काम में तेज़ी लाने के लिये ऐसे और पैनल गठित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
- ❖ विकल्प ऋण समाधान प्राधिकरण (Loan Resolution Authority) स्थापित करना भी हो सकता है। आवश्यक होने पर संसद के अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया जा सकता है।
- ❖ इसके अलावा, सरकार को बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिये जो भी अतिरिक्त पूंजी डालनी है, उसे एक बार में डालना चाहिये, क्योंकि देखा गया है कि किस्तों में डाली गई ऐसी पूंजी से कोई विशेष लाभ नहीं होता।

बैंकों में खराब ऋण की समस्या से निपटने के लिए अध्यादेश:

- सरकार हाल ही में बैंकों में खराब ऋण की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश लाई थी। इसका अर्थ समझने में आपकी सहायता के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:
- अध्यादेश एक कानून है जो भारत में राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती है। इसे संसद द्वारा पारित कानून के समान शक्ति प्राप्त है।
- इसी साल मई में बैंकों में फंसे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए अध्यादेश लाया गया था। खराब ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हें लंबे समय से चुकाया नहीं जाता है और यह बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दिवाला कार्यवाही शुरू करने के संबंध में उधारकर्ताओं को निर्देश देने के लिए व्यापक विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। इसका मतलब है कि आरबीआई डिफॉल्टर्स के खिलाफ उनके पैसे की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
- सीबीआई, सीएजी और सीवीसी जैसे संगठनों द्वारा समाधान योजनाओं या जांच के डर से बैंक शुरू में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को खराब ऋण बेचने के लिए अनिच्छुक थे। संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि बैंक नियमों और विनियमों का पालन करते हैं।
- हालांकि, बैंकों को सीबीआई, सीएजी या सीवीसी से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वे संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि निर्णय सावधानीपूर्वक विचार के बाद लिए जाते हैं और मनमाना नहीं होते हैं।
- बैंकों को खराब ऋणों से निपटने में मदद करने के लिए आरबीआई ने 'अर्थव्यवस्था में तनावग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा' पेश की है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस ढांचे में एक

संयुक्त ऋणदाता फोरम (JLF) और सुधारात्मक कार्य योजना (CAP) शामिल है।

अर्थव्यवस्था पर एनपीए का प्रभाव- एनपीए की ऊंची दरें हमारी अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डाल सकती हैं:

- ✓ भारतीय सुरक्षा बाजारों में धन की कमी हो जाएगी क्योंकि इस बढ़ते एनपीए के कारण बहुत कम बैंक ऋण देने के लिए इच्छुक होंगे यदि वे देय राशि की वसूली के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं।
- ✓ शेयरधारकों के लिए इसकी प्रक्रिया जारी रखना मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें अपना पैसा खोना पड़ेगा जिससे बैंकों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा।
- ✓ बैंकिंग क्षेत्रों में विश्वास की कमी के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, जिसका असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो अपनी परियोजनाओं के लिए ऋण लेने के इच्छुक हैं।
- ✓ खुदरा ग्राहकों को भी ऋण के लिए उच्च ब्याज दर का भुगतान करने में कठिनाई होगी।
- ✓ एनपीए के कारण पूंजी की लागत बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और विकास दर कम होगी, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
- ✓ एनपीए की अनुमानित सीमा यूपी राज्य के बजट के आकार के बराबर है और अगर यह रकम वसूल की जाती है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होगी।

निष्कर्ष:

सरकारी बैंकों की भूमिका देश के विकास में महत्वपूर्ण है। ये कुशलता से वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि बचत, ऋण प्रदान, और लेन-देन की सुविधाएं, जो व्यापार और व्यक्तिगत वित्त में मदद करती हैं। बैंक लोगों को वित्तीय जागरूकता देने का काम भी करते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक साक्षरता बढ़ती है। सरकारी बैंक विकास के प्रोजेक्ट्स और उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद करते हैं, जिससे नौकरियों का सृजन होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके अलावा, सरकारी बैंक सामाजिक वित्तीय समानता को प्रमोट करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे वित्तीय सेवाओं को गरीब और असमर्थ वर्गों के लिए भी उपलब्ध कराते हैं। बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे वित्तीय स्थिरता, सामाजिक समानता, और व्यापारिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करते हैं।

भारत की बैंकिंग प्रणाली एनपीए की चुनौती से पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इनके मद्देनज़र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वैश्विक जोखिम मानदंडों के अनुरूप उनकी पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिये पूंजी लगा रही है। लेकिन एनपीए का स्तर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाने के कारण चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि की आस्तियों है। यदि इस राशि की वसूली हो जाती है तो बैंकों की लाभप्रदता में इज़ाफ़ा, लाखों लोगों को रोज़गार, नीतिगत दर में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुँचना, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि की बेहतरी, अर्थव्यवस्था को मजबूती, विकास को गति देना आदि संभव हो सकेगा। यह भी स्पष्ट है कि एनपीए को कम करने का उपाय उसके मज़ में ही छिपा है। बैंक में व्याप्त अंदरूनी तथा अन्य खामियों का ईलाज, बैंक के कार्यकलापों में बेवजह दखलंदाज़ी पर रोक, मानव संसाधन में बढ़ोतरी आदि की मदद से बढ़ते एनपीए पर निश्चित रूप से काबू पाया जा सकता है।



वन व पर्यावरण

"पवन स्वास्थ्यदायी, शीतल, सुस्वादु यहां का जल है,
झीलों में बस जिधर देखिए, उत्पल ही उत्पल है।
लंबे-लंबे चीड ग्रीव अंबर की ओर उठाए,
एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए।
दूर-दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदन वन हैं।
जहाँ देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं।"

बहुत बड़े स्थान में पेड़ों की जहाँ घनी आबादी पायी जाती है, उस भूभाग को "वन" कहते हैं।

भारत में वनों के पांच प्रकार हैं-

- 1) उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन.
- 2) उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन
- 3) उष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन एवं झाड़ियां
- 4) पर्वतीय वन
- 5) मैग्रोव वन

वन में पेड़, झाड़ियां, लताएँ, घास और अन्य शाकाहारी पौधे शैवाल, कवक, कीड़े, स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर और पौधों और जानवरों और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीव शामिल हैं।

हमारे ऋषियों ने यह कहा है कि, वृक्षों में ही समस्त देवताओं का निवास है।

मूले ब्रम्हा त्वचा विष्णु शाखायाम महेश्वर :। पत्रम् सर्वदेवानाम् वृक्ष देव नमोस्तुते ।।

वनों से हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अनेक लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे- प्रत्यक्ष लाभ स्वरूप हम वनों से इमारती काष्ठ, जलाऊ ईंधन पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी-बूटियां आदि प्राप्त करते हैं।

अप्रत्यक्ष रूप में वन वर्षा, बाढ़ की रोकथाम करते हैं, सुंदर अभयारण्य एवं आकर्षक पर्यटक स्थल देते हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1936 में वीडनथांगल पक्षी विहार स्थापित किया गया जो तमिलनाडु राज्य में है।

वर्ष 1905 में असम में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थापित किया गया। वर्ष 1936 में देश में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है, तथा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान



के रूप में प्रसिद्ध है।

भारत का कुल वन और वृक्षारोपण क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय वन नीति - 1988

भारत में पहली बार वन नीति ब्रिटिश काल में 1865 में बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई थी। 1988 में इसमें अहम संशोधन किए गये। इस नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% क्षेत्रफल को वनाच्छादित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति के अनुसार भारतीय वनों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया है।

1) आरक्षित वन

ऐसे वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं; और इनमें पशु चरगाहों के व्यवसाय हेतु सार्वजनिक प्रवेश अथवा लकड़ियां लेने की अनुमति नहीं होती है। देश के कुल वन क्षेत्र (Total Forest Area) का 53 प्रतिशत हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है।

2) संरक्षित वन

ऐसे वन भी हालांकि सरकार की निगरानी में होते हैं लेकिन स्थानिक लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोत्पादन के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। कुल वन क्षेत्र (Total Forest Area) का 29% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है।

3) असुरक्षित वन

इन्हें अवर्गीकृत वन भी कहते हैं। इनमें वृक्षों को काटने या मवेशियों को



चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुल वन क्षेत्र (Total Forest Area) का 18% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है।

पर्यावरण (परिभाषा) -

परि और आवरण शब्द की संधि करके "पर्यावरण" शब्द बनता है। जिसका शाब्दिक अर्थ - जो पारितः (चारों ओर) आवृत (ढके हुए) है। समस्त जीवधारियों को अजैविक या जैविक पदार्थ घेरे हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे "पर्यावरण" कहते हैं। यह वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल से बना हुआ है। इसके प्रमुख घटक मिट्टी, पानी, जीव और सौर ऊर्जा हैं। यह प्रकृति का उपहार है जो पृथ्वी को जीवन पोषित करने में मदद करते हैं। मनुष्य के स्वस्थ जीवन में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण एक मात्र घर है जो मनुष्यों के पास है। यह हवा, भोजन व अन्य जरूरतें प्रदान करता है। मानव का संपूर्ण जीवन पर्यावरणीय कारकों की भलाई पर निर्भर करता है। बायो केमिकल थेअरी के अनुसार 6 अरब वर्ष पूर्व इस पृथ्वी का नामोनिशान नहीं था। केवल गरम धूल से भरी हवाएँ मौजूद थीं। इन तरह- तरह के वाष्पों का ठंडा होना जारी रहा, इसके फल स्वरूप सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह तैयार हुए। पृथ्वी पिंड पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि मौजूद थे। 25 लाख वर्ष तक पृथ्वी इसी दशा में रही। फिर धीरे-धीरे ठंडी होती रही। इस पर सबसे पहले पानी निर्मित हुआ, इस पानी अंदर जो तत्व थे उनमें रासायनिक क्रिया होकर (Nuclear Protein) तैयार हुए, इससे एककोषीय जीव तैयार हुए जिन्हें "अमीबा" कहा जाता है। अमीबा से विकसित होकर लाखों वर्षों के बाद मछली का जन्म हुआ। उधर पानियों में वनस्पतियाँ तैयार हुईं। बाद में कछुए, डायनासोर, फल, फूलों के झाड़, पौधे, घास और विशाल वृक्ष तैयार हुए। बाद में पक्षियों ने जन्म लिया। फिर चार पैर वाले गाय, भैंस, गैंडा इत्यादि पृथ्वी पर दिखाई देने लगे।

उसके बाद पृथ्वी पर भालू और बंदर का जन्म हुआ। बंदर बुद्धिमान था। आगे उसी की प्रजातियों से मानव का निर्माण हुआ। मानव गुफाओं में रहने लगा और उसने अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया और वहीं से पर्यावरण दूषित होने लगा।

"हरी हरी वसुंधरा पे नीला - नीला ये गगन उसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन"

इतना सुंदर दृश्य हमें वनों में ही देखने को मिलता है। घने-घने जंगल, चारों ओर हरियाली आँखों को बड़ा सुकून देती है। जैसे-जैसे लोकसंख्या बढ़ती गई वैसे-वैसे वन कटते गए। वनों के कटने से पर्यावरण दूषित हुआ।

- 1) लकड़ी जलाने से- वनों को काटकर काफी सारी लकड़ी ईंधन के लिए प्रयोग की गई। छोटे उद्योगों के लिए, कच्चा कोयला बनाने के लिए वृक्षों का उपयोग किया गया। इस ज्वलन से

कार्बन के कण वातावरण में मिल गए और फिर हवा दूषित हो गई।

- 2) लाइमस्टोन निकालने के लिए पृथ्वी में गहरे छेद करके बारूद भरके आग लगा देते हैं। जिससे भूमि के अंदर का जल स्तर सूख जाता है और इससे वन नष्ट हो जाते हैं।
- 3) सेब के बगीचों के कारण- सेब लगाने के लिए जंगल काट दिए जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है।
- 4) असम की हरियाली गायब- चाय के बागान लगाने के लिए हरे भरे जंगलों की कटाई हुई। जमीन की पकड़ कमजोर हो गई। तेज वर्षा में उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह गई इससे पानी दूषित हो गया।

वन्य जीवन और पर्यावरण -

पर्यावरण का सही संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों की भूमिका अहम है। पानी में मगरमच्छ सड़ी गली वनस्पति और मरी हुई मछली खाता है, इस प्रकार जल और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। सांप, चूहों, मेंढकों को खाकर इन्हें खेतों खलिहानों के नुकसान से बचाता है। हुआ ना हमारा हितैषी !! सांप की 2000 प्रजातियाँ पर्यावरण हितैषी हैं। केंचुआ मिट्टी के अंदर ऊपर नीचे करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। वनों में रहने वाले लकड़बग्घा को "सफाई जमादार" कहते हैं। यह जंगल की हर बेकार चीज को खाकर चट कर जाता है। इस तरह वन साफ़ होते ही हैं, इन्हें वहाँ गलने सड़ने का मौका नहीं देता। इस प्रकार प्रदूषण नहीं होने देता। चिड़ियों व अन्य पक्षियों का चहचहाना वन जीवन में चेतना का काम करता है। तितलियों के इधर उधर उड़ने से प्रकृति स्वयं मुस्कुराती है।

वनस्पति एवं पर्यावरण:-

यदि हम कहें कि वनों में मौजूद जड़ी बूटियाँ केवल सौंदर्य देती है तथा पर्यावरण को शुद्ध करती हैं तो यह काफी नहीं होगा। इन जड़ी-बूटियों से हम रोगमुक्त होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जितने ही घने जंगल हैं, उनकी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा में उपस्थित कार्बन-डाय-ऑक्साइड सोखकर पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करती हैं तथा पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

वनों तथा कृषि भूमि की रक्षा से होगा पर्यावरण सुरक्षित:-

बेशुमार जंगल कटाई से भारत के पर्यावरण को भयानक क्षति पहुंची, परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसी प्रकार खेजडली गांव के बिश्रोई परिवार की महिलाओं ने अपना बलिदान दिया।



चिपको आंदोलन:-

पहले वृक्षों को कटने से रोका जाता था। उनके आजू-बाजू सब महिलाएं लिपट जाती थीं। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने नीलगिरि आदि लगाने का विरोध किया। एक समय ऐसा आया कि आंदोलनकारियों ने इन पेड़ों को उखाड़ फेंका। हिमाचल की आवाज सुनते ही झारखंड में भी निरंतर पेड़ों के विनाश के विरुद्ध आवाज उठी। वहाँ भी अनेक संस्थाओं ने सरकार को झुकाया। वहीं दक्षिण में पर्यावरणविदों की सलाह लेकर 'एपिको' आंदोलन शुरू कर सरकारों को जगाने का काम किया। इन्होंने जहाँ कहीं भी हरे पेड़ कटते, उनका विरोध किया, पेड़ों को बचाया।

देहरादून में भी आंदोलन किया गया। दरसल इस क्षेत्र में लाइमस्टोन निकालना आम बात है। इसे निकालने के लिए बारूद का प्रयोग होता है। इससे खूब प्रदूषण फैलता है और पर्यावरण में असंतुलन बढ़ता है। जब सुरंगें फटती हैं तो इनसे बड़े- बड़े वृक्षों का गिर जाना अथवा इनकी जड़ों का हिल जाना आम बात है। जिन वृक्षों की जड़ें हिलती हैं, वह भी मर जाता है। साल दो साल में सूख जाता है। वृक्षों की जड़ें (ह्युमस) वर्षा के जल को अपने अंदर काफी नमी बनाकर रखती हैं। जब लाओइमस्टोन निकालने व बारूद प्रयोग करने की पूरी क्रिया होती है, पेड़ गिर या सूख जाते हैं, तो पृथ्वी के अंदर रहने वाली नमी भी नहीं रह पाती। पृथ्वी के अंदर जल घटने लगता है। इसके लिये देहरादून के क्षेत्र के प्रभावी लोगों ने जो कदम उठाया, वह था "रास्ता रोको"। उन्होंने इसे इतने जोर-शोर से चलाया कि उन्हें बहुत हद तक सफलता मिली। अन्ततः सरकार तथा प्रशासन को भी झुकना पड़ा।

बाढ़ का कारण:-

वनों की खूब कटान से वृक्ष कम हो गये हैं। अतः वृक्षों के नीचे की जमीन की पकड़ ढीली हो जाती है। तेज पानी तेजी से बहते हुए जमीन को साथ ले जाता है। बाढ़ और बरबादी झेलनी पड़ती है। वन कटेंगे तो भूमि की ऊपरी परत (उर्वरक परत) भी घटेगी। नए वृक्ष नहीं उग पाते। उगते तो हैं, मगर वे उतना प्रतिरोध नहीं कर पाते, जितना पुराने वृक्ष। ऐसे में जब भी जहाँ भी, वृक्षों की प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, अधिक वर्षा बाढ़ का रूप धारण कर लेती है।

भारतीय संविधान एवं पर्यावरण:-

भारतीय संविधान में वन एवं पर्यावरण की रक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 52(क) के खंड (छ) के अनुसार, "राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का एवं वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, कि - "प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।" संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा वन एवं

वन्यजीव संरक्षण को संविधान की समवर्ती सूची में डाला गया, ताकि केंद्र सरकार वन एवं वन्यजीव संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही कर सके। इस प्रकार हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का महत्व स्थापित करते हुए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। वर्ष 1952 में वन्यजीव संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार मंडल का गठन किया गया।

वर्ष 1980 में इसका नाम "भारतीय वन्यजीव सलाहकार परिषद" रखा गया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार प्राचीन काल से आज तक हमारे देश में वनों एवं वन्यजीवों को परिवार का एक अंग मानते हुए उनके संरक्षण संवर्धन, एवं विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

वन्यजीव संरक्षण हेतु:-

वन्यजीवों की कई प्रजातियां लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। हमारे देश की जैव विविधता अन्य देशों की तुलना में अधिक समृद्ध है। यहां की विलक्षण भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु में विविधता इसका प्रमुख कारण है। इस विलक्षण जैव विविधता को सुरक्षित रखना हमारा प्रमुख उत्तरदायित्व है। वन्यजीवों की लुप्तप्राय स्थिति को देखते हुए कुछ विशेष योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं। उदाहरणार्थ- प्रोजेक्ट टायगर, गीर सिंह परियोजना, प्रोजेक्ट हंगुल, कस्तूरी मृग परियोजना, स्रो लेपर्ड परियोजना, गिध्द संरक्षण योजना, भालू संरक्षण केंद्र आदि।

वृक्षों का कटान रोकें ही, वृक्षारोपण भी अवश्य करें:-

यदि हम सब नागरिक अपने स्तर पर पेड़ों को क्षति पहुंचाने की आदत छोड़ दें, इसे न काटने का प्रण कर लें, तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा! लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, छत, फर्निचर आदि न बनवा कर लोहे, प्लास्टिक, सीमेंट आदि से काम चलाते तों बहुत से हरे भरे वृक्षों की रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार, यदि हम हर वर्ष एक या दो वृक्ष प्रति व्यक्ति लगाने का संकल्प कर लें, तथा इसे पूरा करने के लिए खरे उतरेंगे, तो हम प्रकृति की रक्षा करने में योगदान दे पायेंगे। अपना बिगड़ रहा जीवन सुधार सकेंगे। आईए! हम सब अपने इस कर्तव्य को समझें तथा पूरा भी करें।

श्रीकृष्ण और वृक्ष:-

वृक्षों की उपयोगिता के बारे में एक बार श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था "अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम्" अर्थात् - हे पार्थ वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। यह दर्शाता है की वृक्षों का महत्व अनंत काल से है।

एक वृक्ष से अनेक लाभ:-

वैज्ञानिक कहते हैं की एक वृक्ष से लगभग हमें 26 लाख रुपये का लाभ मिलता है। एक वृक्ष ढाई लाख रुपये का ऑक्सिजन देता है, लगभग 5



विशेष आलेख

लाख रुपए के बराबर पर्यावरण को प्रदूषित करने से रोकता है, ढाई लाख रुपए के बराबर जमीन को उपजाऊ बनाता है तथा क्षरण से बचाता है एवं तीन लाख के पानी के साथ - साथ नमी भी प्रदान करता है। यही नहीं एक वृक्ष ढाई लाख की छाया का बीस हजार रुपये के बराबर प्रोटीन भी देता है। इसके फल - फूल और लकड़ी मिलकर कई लाख मनुष्य को उपयोग के लिए प्रदान करता है।

मृदा की रक्षा करते हैं वृक्ष:-

वृक्ष संपदा के कमी से भारी वर्षा के कारण प्रति वर्ष 6 अरब की मिट्टी की ऊपरी सतह का नाश होता है। जिनमें 25 लाख टन नायट्रोजन, 10 लाख टन फॉस्फोरस, 26 लाख टन पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। इन्हीं सब पदार्थों की मिट्टी में कमी से आधुनिक रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ रहा है। यही नहीं इस खाद के प्रयोग से खाद्य पदार्थों को प्रदूषित किया जा रहा है। जिससे समाज में नाना प्रकार की बीमारियों का प्रतिदिन जन्म हो रहा है।

पर्यावरण के प्रति जन जागृति:-

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर आगे तक पर्यावरण एक अनिवार्य विषय है। इसका सिलेबस बनवा कर स्कूलों में पर्यावरण की अनिवार्य शिक्षा शुरू हो गई है। जब इस विषय पर चर्चाएँ होंगी, पुस्तकें होंगी, प्रश्न-पत्र होंगे, प्रतियोगिताएँ होंगी तो बच्चों के साथ साथ उनके माता - पिता भी शिक्षित होंगे।

पर्यावरण दिवस:-

विश्व भर में हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अनेक सरकारी कार्यक्रम रखे जाते हैं। सामाजिक संगठन नये विचार लेकर आगे आते हैं। गोष्ठीयों तथा समारोहों के अनेक आयोजन होते हैं। विद्यालयों तथा स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएँ रखी जाती हैं। टीवी, रेडियो पर भी पर्यावरण से जुड़ी कविताएँ, लेख पढ़े जाते हैं। कहीं-कहीं नाटकों द्वारा भी पर्यावरण के संतुलन के लाभ गिनाए जाते हैं। आस-पास प्रदूषण-मुक्त वातावरण रखने के संकल्प दोहराये जाते हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था :-

**"तुम यों न संसार को शमशान बनाना सीखो,
पहले अभिशाप को वरदान बनाना सीखो
ठहरो, विज्ञान को भगवान बनाने वालों,
पहिले इन्सान को प्रदूषण से बचाना सीखो।"**

प्रकृति के विभिन्न घटकों जल, वायु, वन आदि के अविवेकशील शोषण एवं दुरुपयोग से स्वयं मनुष्य ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। संसार में वृक्षों के कटान से 60 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि का प्रतिवर्ष मरुस्थलों में परिवर्तित होना जारी है। वृक्ष बेरहम कटाव पर अपने रुदन में चेतावनी देते हैं।

यदि जारी रहा यह क्रम,
रोज हमें कटवाने का,
सौ पेड़ रोज गिराने का,
तो मत, भूल हरियाली,
यह तू फिर से देख नहीं पायेगा,
रोयेगा, पछताएगा,
बस सोता ही रह जायेगा।

पर्यावरण के लिए ठोस कदम न उठाये तो कल को हमें कहना होगा-

**अब के खिजां आई,
तो किस मुंह से करेंगे शिकवा,
क्योंकि हम से अपनी
बहारे तो संभाली न गई।**

युवकों को तथा लोगों को समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर उनका सहयोग प्राप्त करना होगा। पर्यावरण को संतुलित और व्यवस्थित रखकर ही मानव के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।

**अगर चाहते हो पर्यावरण को,
प्रदूषण से बचाना।
होगा हम सबको, वृक्षारोपण हेतु, जन सहयोग पाना ।।**

तो साहब! आज हर खास व आम को पर्यावरण की चिंता होनी चाहिये। इसके लिये उन्हें जागरूक करना जरूरी है। जागरूकता भी किसी एक लेख या आदमी के प्रयत्नों से नहीं आ सकती। इसके लिए तो आंदोलन की तरह आवाज उठानी होगी। हर घर में, हर कान तक आवाज पहुंचानी होगी। वातावरण पहले कैसा था, आज इसकी दशा कितनी बिगड़ चुकी है, यदि हम सावधान नहीं हुए तो आनेवाला समय और भी बुरा होगा। सांस लेंगे तो दूषित वायु अंदर जाकर अस्थमा, दिल की बीमारी पैदा कर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, यदि सांस नहीं लेते तो उसी पल मृत्यु पा लेंगे। फिर क्यूँ मौत की आगोश में जाना या तड़प-तड़पकर मरना। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सभी आगे आयेँगे तो ये असंतुलित नहीं होगा, मानव जगत भी खुशहाल रहेगा !!!





ज्ञान के मोती



- सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुःख व्यक्ति के धैर्य की।
- इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता की यह बीज हमने ही बोया है।
- परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से डरना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है।
- बुरे अनुभवों, लोगों और पैसों के द्वारा खुद को कभी नियंत्रित न होने दें।
- चेहरे पर मुस्कान रखना वो सुंदरता है जिसे हर कोई धारण कर सकता है।
- सफलता उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो जीवन में कड़ी मेहनत कर अपना रास्ता बनाना जानते हैं।
- सकारात्मक होने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ सही है बल्कि यह है कि हर चीज में कुछ न कुछ सही देखने की प्रेरणा है।
- अगर आप आसमान छूना चाहते हैं तो धरती पर टिके रहने की कीमत जाननी होगी।
- सही दिशा में उठाए गए छोटे-छोटे कदम एक दिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता साबित हो सकती है।
- जो व्यक्ति शब्दों की ताकत को समझता है, वो सबसे बड़ा समाज सुधारक बन सकता है।
- इंसानियत को मारकर धर्म को ऊपर उठाना कभी भी सार्थक नहीं हो सकता।
- बल और शक्ति की आज्ञा टालना आसान है, मगर प्यार की आज्ञा टालना आसान नहीं।
- प्रेम की शक्ति नफ़रत की ताकत से हज़ारों गुना प्रभावशाली होती है।
- जो किताब आपको सोचने पर मजबूर कर दे, असल में वही आपका जीवन बदल सकती है।
- यदि आपके द्वारा बोले गए मीठे बोलों से किसी का खून बढ़ता है तो यह भी एक रक्तदान है।
- शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप पूरी दुनिया को झुका सकते हैं।
- अधिकार के लिए जब तक पूरी कीमत न चुकाई जाए, तब तक यदि अधिकार मिल भी जाए तो उसे गंवा बैठेंगे।
- उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है, जो सहायता करने की भावना रखता है।

हंसी की फुलझड़ियाँ

यमराज : चलो वत्स तुम्हारा समय पूरा हुआ।
 राजू : ऐसे कैसे, अभी तो मैं जवान हूँ, कोई बीमारी भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक जा रहा है।
 यमराज : बेटा जी, आप अपना मोबाइल घर पर बिना लॉक किए भूल आए, आपकी बीबी आपके चैट पढ़ रही है।
 राजू : मैं भैसे पर आगे बैठूँगा।



पिकी - स्कूट पर तेजी से कहीं जा रही थी, रेडलाइट पार करते ही पुलिस वाले ने रोक लिया।

पुलिस - मैडम गाड़ी साइड में लगाओ।

पिकी - मगर क्यों?

पुलिस - रेड लाइट नहीं देखी आपने, फ़ाइन भरना पड़ेगा।

पिकी - रेड लाइट तो देखी थी, सर मगर आपको नहीं देख पाई।

पता नहीं कहाँ छुपे खड़े थे आप!



टीचर : तुम्हें पता है, विदेश में 14-15 साल के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं।

संता : बस इत्ती सी बात हमारे यहाँ तो एक साल का बच्चा भागने तक लगता है।



वकील : हत्या की रात तुम्हारे पति के आखरी शब्द क्या थे?

पत्नी : मेरा चश्मा कहाँ है संगीता?

वकील : तो बस इतनी बात पर हत्या क्यों कर दी?

पत्नी : मेरा नाम रंजना है।

पूरी कोर्ट में घनघोर सन्नाटा



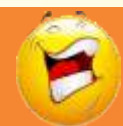
संता : जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं?

बंता : कुछ भी कह लो, उसे कौन सा सुनाई पड़ने वाला है।



पति : तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में दो ऑप्शन होंगे। यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है।

पत्नी (शांत स्वर में) : अभी भी दो ऑप्शन हैं।



हाला अनुसंधान संघ ने गहन अध्ययन के बाद घोषणा की है कि यदि कोर्ट में गवाही कसम खिलाने के बाद लेने के बजाय रम पिलाने के बाद ली जाय तो सच अधिक मुखर रूप से सामने आएगा।





भूख का व्याकरण

काव्यराज श्री कश्मीर सिंह के संबंध में व्याख्या करते समय महान दार्शनिक ओशो की एक बात याद आती है जहां उन्होंने बुद्ध के साथ कबीर की तुलना की थी। उनका कहना था कि कबीर से भी अधिक त्यागी बुद्ध हैं क्योंकि सम्पन्नता में रहकर ऐश्वर्य का त्याग करके वनवासी होना बहुत मुश्किल है वहीं कबीर ने जहां कभी ऐश्वर्य देखा ही न हो उनके लिए यह सब त्याग करके घाट-घाट घूमना बहुत सरल है। ठीक इसी तरह कश्मीर सिंह जी के संदर्भ में भी कह सकते हैं साधारण परिवार में जन्मे बैंक में काम करते हुए सामाजिक समस्याओं, दुविधाओं, मनुष्य की वेदनाओं को जिस मार्मिक रूप से अपनी रचना "भूख का व्याकरण" में उन्होंने प्रकट किया है, वह अद्भुत है।

इस रचना के पीछे उनका लक्ष्य भी अत्यंत प्रशंसनीय है जहां वर्तमान युग में मनुष्य अक्सर ख्याति अर्जन की अभिलाषा से कोई भी कार्य करते हैं वहीं कवि कश्मीर सिंह जी का लक्ष्य है कि इन कविताओं में से एक भी कविता यदि पाठक के हृदय को स्पर्श करे या उसे आह्लादित और आत्मविभोर करे तो उन्हें लगेगा कि उनका 'कविता लेखन' सफल हुआ।

"भूख का व्याकरण" काव्य संग्रह में कुल 64 कविताएं हैं या ऐसे कहें कि इस काव्य संग्रह रुपी सागर में कविता रुपी लहरें असीम हैं। प्रत्येक लहर एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग तान छेड़ती एवं हृदय के विभिन्न रस को स्पर्शित करती।

उनकी "अब क्या होगा", "भूख कविता नहीं पढ़ती", "अंतर" जैसी कविताओं में भूख की पीढ़ा को उजागर किया गया है। किसी मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा एवं मकान की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हुए निम्नवर्गीय से लेकर मध्यवर्गीय परिवार की आवश्यकताओं तथा उन आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हुए जूझते मनुष्य की व्याख्या की है। साथ में "भूख कविता नहीं पढ़ती" काव्य में उन साहित्यकारों पर भी कटाक्ष है जिनका लक्ष्य आकर्षित-चर्चित-मर्मस्पर्शी विषयों पर सिर्फ अपनी लेखनी से पुरस्कार प्राप्त करना है।

उनकी "जंगल और मनुष्य", "दुनिया मेरी मुट्ठी में", "सीमा उल्लंघन" जैसी कविताओं में मनुष्य की लालसा तथा उसके लोभ का वर्णन किया है। अधिक प्रगति की इच्छा में किस प्रकार मनुष्य प्रकृति से खेल रहा है इसका सुंदर वर्णन "जंगल और मनुष्य" कविता में किया गया है आगे इसी प्रगति तथा सभ्यता को जोड़ते हुए "दुनिया मेरी मुट्ठी में" नामक कविता में वर्तमान युग के इसी सभ्य एवं असभ्य मनुष्य की व्यंग्यात्मक तुलना की है।

उनकी "मज़दूर जिंदा है", "पूस की एक रात", "फिर सताने आ गए" जैसे कविताओं में निम्नवर्गीय समाज की कुंठा एवं लाचारी परिलक्षित होती है। "मज़दूर जिंदा है" कविता का पाठन करते हुए जब मज़दूर यह कहता है कि जहां वह अपने खून-पसीने से मेहनत करके कोठी जैसा घर बना दिया वही घर अपवित्र हो जाएगा यदि वह इसमें कभी वापस आ गया तब मुझे साहित्यसम्राट प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी "सद्गति" के शोषित-पीड़ित दुखी चमार की याद आई। जिसने लकड़ी काटते हुए अपने प्राण त्याग दी परंतु फिर भी मृत्यु के पश्चात उसे लकड़ी तक नसीब नहीं हुई।

"नहीं चाहिए मुझे ऐसी आज़ादी", "आओ फासलों को अग्नि दें" जैसी कविताओं में आधुनिक समाज की समस्याओं का वर्णन करते हुए उनका संहार करने की गूंज लगाई है वही "बड़ी हवेली", "हिन्दुओं का गांव" जैसे कविताओं में राजा-महाराजाओं के ज़माने से चले आ रहे सामाजिक समस्याओं को उजागर करके आब खतम करने की पुकार लगाई है।

"मन की बात", "मीत कैसे गुनगुनाऊँ" जैसी कविताओं में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को दर्शाया गया है। "बुजुर्ग मेरे देश में", "पिताजी पल पल मेरे साथ", "माँ" जैसे कविताओं में सामाजिक रिश्तों तथा उम्र-आधुनिकीकरण के साथ अवेहलना से ग्रसित इन रिश्तों की व्याख्या की है। काव्यसंग्रह के अंत में उन्होंने मनुष्य के विभिन्न भावनों को स्पर्श करते हुए भौतिक गुणों को अपने कलम में पिरोया है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कश्मीर सिंह जी कि कविता संग्रह "भूख का व्याकरण" में नवरसों का मेल है। यह कविता संग्रह जहां निम्नवर्गीय समाज के प्रति करुणा से रसविभोर होकर आपको रोने पर विवश करेगी वही यह सामाजिक कुरीतियों के प्रति आपको रौद्र एवं विभत्स रस में वशीभूत करेगी। निस्संदेह इसमें मानव संवेदनाओं की हर एक कड़ी की झंकार है जो एक परिपक्व साहित्यकार की पहचान है।



मूल्य ₹. 200



विपिन सतोरिया, लिपिक, भोपाल क्षेत्र

बैंकिंग



भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका

अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंक उद्योग और व्यापार के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश के धन और संसाधनों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। बैंक वित्तीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

बैंक लंबे समय से भारत की सफलता के इंजन रहे हैं, जो बड़ी आबादी को कम लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। लाखों उद्योग, विशेष रूप से मध्यम और छोटे उद्योगों की लघु और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकता को पूरा करते हैं। बैंक पूंजी को उचित समय पर उत्पादक संपत्ति में अंतरित करने में सक्षम बनाते हैं। आर्थिक विकास में बैंकिंग संस्थाओं के योगदान एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

बचत का एकत्रीकरण: सरकारी बैंक बचतकर्ताओं से उनकी छोटी-छोटी बचत का संग्रहण करते हैं। इन बैंकों का कार्य है कि लघु बचत को एकत्रित कर उत्पादक कार्यों में लगाना।

पूंजी निर्माण : सरकारी बैंक अपने द्वारा संकलित कोषों को उद्यमकर्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में इन संस्थाओं की विशेष भूमिका होती है। बैंक लोगों में बैंकिंग आदतों का विकास करते हैं और बचत के प्रवाह को उत्पादक कार्यों की ओर प्रोत्साहित करते हैं जिससे पूंजी निर्माण की दर ऊंची उठती है।

संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी: बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय बाजार को गतिमान बनाती हैं तथा उसे सुदृढ़ता एवं स्थिरता प्रदान करती हैं जिससे उत्पादन, उपभोग एवं विनिमय से संबंधित क्रियाओं का विस्तार होता है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साखनीति का सफल क्रियान्वयन भी इन्हीं संस्थानों पर निर्भर करता है।

नवीन कोषों का सृजन: बैंक अपनी वित्तीय गतिविधियों से नवीन कोषों का सृजन या साख का निर्माण करते हैं। बैंक अपनी जमा क्रियाओं के माध्यम से मुद्रा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सरकारी बैंक वित्तीय बाजार में उपलब्ध वित्तीय कोषों के भंडार में काफी वृद्धि करते हैं।

जोखिम का विस्तार : बैंकिंग संस्थाएं अनेक बचत कर्ताओं से धनराशि संग्रहित करती हैं तथा उचित विनियोजन करती हैं। बचतकर्ता बड़े पैमाने की बचत का लाभ उठा सकते हैं।

उद्योग एवं व्यापार के लिए उपयोगी : बैंक ऋणों के माध्यम से व्यवसाय व उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक ओर ये संस्थाएं व्यवसाय व उद्योग की बचत को विनियोग में परिवर्तित करती हैं तो दूसरी ओर उनकी वित्तीय मांग की पूर्ति भी करते हैं।

वित्तीय बाजार में तरलता : सरकारी बैंक बड़ी आसानी से किसी भी परिसंपत्ति को शीघ्रता से नगद धनराशि में परिवर्तित कर देते हैं। ये बैंक वित्तीय बाजार में चल निधि बनाए रखने में सहायक होते हैं। बैंकों द्वारा अल्पकालिक उधार दिया जाता है जो चल निधि बनाए रखने में सहायक होता है।

वित्तीय बाजार में स्थिरता: बैंक ऐसी विभिन्न परिसंपत्तियों व देयदाताओं में क्रय-विक्रय करते हैं जिनसे वित्तीय बाजार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वयन स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों एवं व्यापारिक बिलों में लेनदेन करके भी बैंकिंग संस्थाएं वित्त बाजार को स्थिरता प्रदान करती हैं।

सरकार के लिए महत्व: बैंक एक ओर केंद्र सरकार के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में मदद करते हैं तो दूसरी ओर राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों को खरीद कर उनकी वित्तीय सहायता भी करते हैं, इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं केंद्र तथा राज्य सरकार के वित्तीय कोषों के प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

ऋणदाताओं के लिए लाभकारी: बैंक ऋण देते हैं। ऋणदाताओं की वित्तीय निधियों को जमा करके उन्हें ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान करते हैं तथा स्वयं जोखिम लेकर उधारकर्ताओं को धनराशि ऋण के रूप में देते हैं तथा ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त करते हैं।

व्यापारिक कार्य: बैंकों को नगर पालिका, सरकार और कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए बाजार निर्माता के रूप में काम करने की अनुमति है। बैंक अपनी बाजार निर्माण गतिविधियों के माध्यम से जारीकर्ताओं को काउंसलिंग, एडवाइजरी और तकनीकी निर्देश प्रदान कर सकते हैं।

क्रेडिट निर्माण : बचत और निवेश को बढ़ावा देने के अलावा बैंक उद्योगों के लिए भी उत्पादक संपत्ति बनाने में मददगार होते हैं। बैंक के इस क्रेडिट का अर्थव्यवस्था पर विभिन्न तरीकों से प्रभाव पड़ता है।

उद्यमिता का विकास: बैंक देश के उद्यमियों को पूंजी प्रदान करके और उत्पादक उद्देश्यों में निवेश करके आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वाणिज्यिक बैंक बेरोजगारी को कम करते हैं, और सही उद्योगों को बढ़ावा देते हैं।

बचत का वित्तीयकरण : बचत के तौर पर अपना धन बचाने के लिए वाणिज्यिक बैंक सबसे सुरक्षित स्थान हैं।

धन सृजन : बैंक अपने ग्राहकों को सेप्टी लॉकर और निवेश के अवसरों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। धन सृजन करके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। बैंक उद्योग और निवेश को बढ़ावा देते हैं जिससे स्वचालित रूप से रोजगार उत्पन्न होते हैं और अर्थव्यवस्था का विकास होता है।

वर्तमान के डिजिटल युग और कठिन व्यापक आर्थिक संदर्भ में भी बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। बैंक लंबे समय से भारत की सफलता का इंजन रहे हैं, जो देश की आबादी को कम लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, और लाखों उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। इस प्रकार बैंक अपनी क्रियाशीलता एवं सक्रियता से आर्थिक क्रियाओं की वित्त व्यवस्था करता हैं और परिणाम स्वरूप चहूमुखी विकास को गति मिलती है।



साबुज देवनाथ, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

विशेष आलेख



मन की भाषा

'भाषा' शब्द से तो हम सबलोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। भाषा के द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, सुनाकर, लिखकर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है। भाषा हमारे भावों, विचारों, परिकल्पनाओं आदि को समझने का साधन है। भाषा के बारे में सोचते ही मन में यह आता है कि जो कुछ भी हम बोलते हैं और जिसे सुनकर सामने वाला व्यक्ति उसको समझता है और उत्तर देता है उसको ही भाषा कहते हैं। भाषा अनेक प्रकार की होती हैं। अलग-अलग देश, अलग-अलग क्षेत्र, अलग-अलग लोगों की भाषा भी अलग-अलग होती है। लेकिन आज हम मन की भाषा के बारे में चर्चा करेंगे परंतु चर्चा से पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा।

भाषा की परिभाषा:

मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा के कई प्रकार होते हैं - भाषा मौखिक, लिखित या सांकेतिक हो सकती है। भाषा के ध्वनि-संकेतों से हम अपने मन के विचारों का विनिमय कर पाते हैं भाषा हमारे जीवन में विचारों को व्यक्त करने का सबसे अहम ज़रिया है। भाषा के संबंध में डॉ श्याम सुंदर दास ने कहा है कि:

“मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय, अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति के बीच जो ध्वनि - संकेतों का जो व्यवहार है उसे भाषा कहते हैं।”

क्या है यह मन?: हम यहां मन की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मन के बारे में भी जानना होगा। हमारा शरीर सोच पैदा करता है और इस सोच के दो प्रकार होते हैं। मन और बुद्धि, मन हमारी सोच का एक स्वच्छंद रूप है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। (जुनून {passion} इसी का ही एक प्रकार है।) ये खुद ब खुद उपजता है वो भी बे रोक-टोक। इस पर नियंत्रण करना लगभग नामुमकिन है। इसे सिर्फ बहलाया जा सकता है, या मोड़ा जा सकता है या फिर नज़र अंदाज़ किया जा सकता है। हमारी सोच का दूसरा रूप है बुद्धि। इस बेचारे को समझाया जा सकता है। बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी चलती ही नहीं। अपने आसपास देखो। हर कोई अपने मन की ही चला रहा है। है क्या कहीं आस पास बुद्धि दिखती हुई? और इन सब से ऊपर होता है विवेक जोकि स्वभाव, मन और बुद्धि के तालमेल और तजुर्बे से विकसित होता है। विवेक को आत्मा की आवाज़ भी कहा जा सकता है। मन मतलबी होता है। बुद्धि चालाक या बेवकूफ होती है पर सिर्फ एक विवेक ही है जो निष्पक्ष और सत्य होता है (पर दुःख भरी बात यह है

कि ये हर किसी में या तो होता नहीं या फिर यह बलवान नहीं होता।

मन को सिर्फ मस्ती चाहिए चाहे जैसे भी आये, जहाँ से भी आये... ये लाभ हानि नहीं देखता। बुद्धि यह देखती है कि मन द्वारा सुझाये हुए काम को करना है या नहीं और किस तरह करना और नहीं करना है। ऐसे मान लो के ये मन और बुद्धि दोनों भाई हैं। इन दोनों के द्वंद के बीच अगर (हमारे अंदर) विवेक है तो वो बीच में आकर हस्तक्षेप करता है, परिणाम बताता है, लाभ हानि दर्शाता है और जो इंसानियत के नाते सही है उस पर ही जोर देता है। तो विवेक को दादा जी मान लेते हैं हम। मन को दबाया नहीं जा सकता और अगर हमने इसे जीत लिया समझो जग को जीत लिया। पर ये बहुत ज्यादा कठिन काम है। इसके विपरीत अगर हम मन को सिर्फ जान ही लें तो समझो हमने बहुत बड़ा अनहोना काम कर लिया, क्योंकि ये भी कोई आसान काम नहीं। पर हम सब ने ये तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मेरे ख्याल से समय इतना बलवान नहीं जितना मन बलवान होता है। जिसने मन पर काबू कर लिया वो सदियों तक याद किया जाता है।

भाषा के बारे में तो कुछ बता चुके हैं और अब ज्यादा बोलेंगे, तो टॉपिक बोरिंग हो जाएगा। जब मन और भाषा को एकसाथ जोड़ते हैं तो “मन की भाषा” बनती है। मनुष्य का एक साधारण गुण है कि वह सोचता कुछ, बोलता कुछ तथा उसके मन के भीतर कुछ और होता है। इसीलिए सामने वाले की मन की भाषा पढ़ना इतना आसान नहीं है। आप अपने मन को तो जानते हैं। वह क्या चाहता है, वो तो आपको पता ही हैं। लेकिन आपको समझना है कि आपके सामने वाले व्यक्ति की मन की भाषा क्या है? वह क्या चाहता है? वह क्या बोलना चाहता है? यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर के उनके लिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं।

यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति विशेष के मन में किसी भाषा के सभी शब्दों का शब्दकोश या सभी नियमों का होना आवश्यक नहीं है, और न ही यह व्यावहारिक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में शब्दों (अन्य इकाइयों) और नियमों की संख्या उतनी ही होती है, जितने से उसका प्रत्यक्षण होता है। साथ ही, समय के साथ सीखने और भूलने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसलिए मानसिक शब्दकोश या नियमों की व्यवस्था में समय के साथ-साथ परिवर्तन भी होता रहता है। यह बात व्यक्ति की मातृभाषा, द्वितीय भाषा और अन्य भाषा, सभी पर लागू होती है।

प्रत्येक प्राणी के पास मन जैसी इकाई होती है, जो उसकी जैविक और मस्तिष्कीय क्षमताओं के अनुरूप विकसित होती है। मनुष्य में मन नामक इकाई सर्वाधिक विकसित अवस्था में होती है। मन में होने वाली प्रक्रियाओं को मूलतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं- जैविक और विचारपरक। जैविक प्रक्रियाओं में शरीर संबंधी सहजात प्रक्रियाएँ आती हैं, जैसे- भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, दर्द होना, भयभीत होना, क्रोध आना आदि। इनकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का होना आवश्यक नहीं है। सभी प्राणी किसी-न-किसी रूप में इन जैविक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति या आदान-प्रदान करते ही हैं।

विचारपरक प्रक्रियाएँ केवल मनुष्यों में होती हैं और उनके लिए भाषा का होना आवश्यक है। ध्वनि-प्रतीकों या किसी भी प्रकार के भाषिक प्रतीकों के माध्यम से किसी 'संदेश' को अभिव्यक्त करना, किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को संप्रेषित करना, विचार करना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। भाषा के बिना इनका संपादन संभव नहीं है। मन में विचारों का आना भी भाषा ही है क्योंकि हम उसी भाषा में सोचते हैं जिसको बोलते तथा समझते हैं। पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है। वह भाषा यदि हिन्दी है तो हमारे मन में आने वाले विचार हिन्दी भाषा में ही आएं और यदि वह भाषा तमिल है तो विचारों के आदान प्रदान का ज़रिया तमिल भाषा ही होगी।

अंत में: भाषा वही, जिसमें हम कह सकें अपने 'मन की बात'

भाषा ही वह मुख्य माध्यम है, जिसकी सहायता से हम अपनी सोच, विचार, सुख, दुख, व्यथा, गुस्सा, स्नेह, खुशी आदि दूसरों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। मन की बात वह बात है जिसमें हमारे मन में उठने वाले विचार, भावना, कुंठा, प्रेम इत्यादि शोर मचाते रहते हैं। हम जितना भी एक दिन में बोलते हैं उससे कहीं अधिक हमारे मन में उथल-पुथल होती है। हम किसी मित्र से मिलते हैं तो उससे उसका हालचाल पूछते हैं जो भाषा के रूप में होती है, परंतु मन में हमारे और दस तरह की बातें आती हैं जो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होती हैं। एक और उदाहरण लेते हैं मान लीजिए आप किसी अनजाने व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में आपके मन में कई विचार आते होंगे लेकिन आप जब भी उस अनजान व्यक्ति से बात करेंगे तो केवल औपचारिक बात ही करेंगे। इसी प्रकार आप अपने कार्यालय में काम करते-करते न जाने कितनी ही बातें मन में कर लेते होंगे वो भी अपने आप से! मन तो चंचल है यह कभी भी आराम नहीं करता बस चलता रहता है और मन अपनी बात केवल तभी भाषा के रूप में बाहर आने देता है जब कोई उसके जैसा मन वाला मिल जाता है।

मन तो चंचल, चितवन है,
यह कहाँ सुनता है किसी की!



खो जाता है ये अपने ही ख्यालों में,
ना आता है बातों में कभी किसी की !!
कभी है ये खुश, कभी मायूस सा,
माने बस अपना कहना, सुने ना किसी की !!
भोला सा मन, कितना नादान है,
जाने वो गलत है, पर बात ना माने किसी की !!

मन तो नहीं सुनता है पर यदि हम इसपर थोड़ा नियंत्रण करें तो अपने मन की बात को भाषा रूपी शब्दों में पिरोकर अपनी बात को, अपने मन के मर्म को पूर्ण रूप से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मन के विचारों को सही व सरल शब्दों के गुलदस्ते में सजाकर स्वयं को एक अच्छा वक्ता या लेखक बना सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को मन की बात के साथ और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। जो बात सही तरीके से आपतक पहुंचे जिसमें किसी की बुराई नहीं बल्कि भलाई हो वही हमारे मन की भाषा होनी चाहिए। यदि आप अपनी बात बिना किसी झिझक के और बिना किसी डर के लोगों के समक्ष रखा पा रहें हैं तो सच में आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है।

मन में छुपी है मन की भाषा, कभी हंसी है कभी है निराशा
मन के हारे हारना नहीं है, मन की जीत है मेरी अभिलाषा !!

राजभाषा प्रश्नोत्तरी का उत्तर

1. (क) 2. (ख) 3. (घ) 4. (ग) 5. (ग)
6. (ख) 7. (क) 8. (ख) 9. (ग) 10. (क)
11. (क) 12. (घ) 13. (ख) 14. (ख) 15. (क)



बैंकिंग में हरित वित्त एवं सतत विकास

हरित वित्तपोषण

हरित वित्तपोषण का उद्देश्य सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से सतत विकास प्राथमिकताओं तक वित्तीय प्रवाह (बैंकिंग, सूक्ष्म-ऋण, बीमा और निवेश से) के स्तर को बढ़ाना है। इसका एक प्रमुख हिस्सा पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना, ऐसे अवसरों का लाभ उठाना है जो अच्छी वापसी दर और पर्यावरणीय लाभ दोनों लाते हैं और अधिक जवाबदेही प्रदान करते हैं।

देशों के नियामक ढांचे में बदलाव, सार्वजनिक वित्तीय प्रोत्साहनों में सामंजस्य, विभिन्न क्षेत्रों से हरित वित्तपोषण में वृद्धि, सतत विकास लक्ष्यों के पर्यावरणीय आयाम के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण निर्णय लेने के संरेखण, स्वच्छ और निवेश में वृद्धि के माध्यम से हरित वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जा सकता है। हरित प्रौद्योगिकियाँ, स्थायी प्राकृतिक संसाधन-आधारित हरित अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु स्मार्ट नीती अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण, हरित बांड का उपयोग बढ़ाना, इत्यादि।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और हरित वित्तपोषण

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण वित्तीय प्रणालियों को 2030 के सतत विकास एजेंडे के साथ संरेखित करने के लिए देशों, वित्तीय नियामकों और वित्त क्षेत्र के साथ काम कर रहा है - सतत विकास लक्ष्यों की डिलीवरी का समर्थन करने के लिए वित्तीय प्रवाह को निर्देशित करने के लिए। आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के मूल में वित्तीय बाज़ार हैं जिनके माध्यम से बैंक और निवेशक विभिन्न क्षेत्रों को पूंजी आवंटित करते हैं। आज आवंटित पूंजी पारिस्थितिकी तंत्र और कल के उत्पादन और उपभोग पैटर्न को आकार देगी।

हरित वित्तपोषण पर वर्तमान कार्य के मुख्य क्षेत्र हैं:

- ★ सक्षम वातावरण बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन करना
- ★ हरित बांड जैसे वित्तपोषण तंत्र पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
- ★ सूक्ष्म ऋण पर सामुदायिक उद्यमों की क्षमता निर्माण

बैंकिंग की भागीदारी

सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ वित्तीय बाजारों, बैंकों, निवेशकों, माइक्रो-क्रेडिट संस्थाओं, बीमा कंपनियों के प्रमुख अभिनेताओं को शामिल करने के लिए बहु-हितधारक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

हरित वित्त में बैंकिंग की क्या भूमिका है?

एडीबी की रिपोर्ट कैटालाइजिंग ग्रीन फाइनेंस के अनुसार, हरित अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को फिर से उन्मुख करने की आवश्यकता है। बैंकिंग के वित्त को बढ़ाने और भीड़ बढ़ाने के लिए, सरकारें पूंजी प्रवाह को बढ़ाने और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में नवीन वित्तीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कई अभिनेताओं के साथ टीम बना सकती हैं। ये अभिनेता आम तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं:

पूंजी प्रदाता, जिसमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, वाणिज्यिक ट्रस्ट और बंदोबस्ती फंड शामिल हैं।

वित्तीय मध्यस्थ, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, निवेश प्रबंधन फर्म और निजी इक्विटी फर्म शामिल हैं। इन संस्थाओं का उपयोग पूंजी प्रदाताओं द्वारा मध्यस्थों के रूप में किया जा सकता है जो पूंजी को निवेश के अवसरों, जैसे हरित परियोजनाओं से जोड़ते हैं, और जो मुख्य रूप से जोखिम और रिटर्न के मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय विकास बैंकों, सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रायोजित जलवायु कोष सहित घरेलू संगठन, अपने देशों में हरित वित्त के प्रदाताओं और मध्यस्थों दोनों के रूप में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह विशेष रूप से पीआरसी और भारत जैसे उभरते बाजारों में मामला है।

रिपोर्ट बैंक योग्य हरित परियोजनाओं की एक पाइपलाइन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है, जिसे राष्ट्रीय विकास योजना के माध्यम से या पाइपलाइन तैयारी का समर्थन करने वाली वित्तपोषण सुविधाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ऐसी पाइपलाइनों के बिना, संस्थागत निवेशकों, वाणिज्यिक बैंकों और पूंजी बाजारों से वित्तपोषण कहीं और चला जाएगा।

बैंकिंग प्रणाली को हरित बनाना:

ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा देने में पर्यावरणीय कारकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए बैंकों के साथ काम करना शामिल है। व्यवहार में, इसका मतलब जोखिम और मूल्य निर्धारण आकलन में पर्यावरणीय परिणामों को शामिल करना है। इससे संभावित रूप से उच्च प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के लिए ऋण वित्तपोषण की लागत बढ़ जाती है, जबकि पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनियों के लिए कम लागत वाली फंडिंग तक पहुंच आसान हो जाती है। दोनों पूरे व्यवसाय और वित्तपोषण क्षेत्रों में सर्वोत्तम हरित प्रथाओं को स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।

इस प्रयास में, भूमध्य रेखा सिद्धांत (जो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त को कवर करते हैं) और यूएनईपी वित्त पहल जैसी प्रमुख पहल उपयोगी हो सकती हैं। उत्तरार्द्ध ने पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित ढांचे स्थापित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के साथ काम किया है। अंतिम लक्ष्य ऋण की आपूर्ति करना और हरित निवेश के लिए पूंजी जुटाना है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है।

विकासशील एशिया में, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र में एक अभिन्न आर्थिक भूमिका निभाते हैं और हरित वित्त तक पहुंच उनके लिए विशेष रूप से कठिन है। 90% से अधिक अनौपचारिक व्यवसाय स्वामित्व या साझेदारी हैं, और कई महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं जिन्हें लिंग भेदभाव से जुड़ी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह बाजार काफी हद तक अप्रयुक्त है और नवीन वित्तीय उत्पाद पेश करने के इच्छुक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए राजस्व सृजन का अवसर प्रदान करता है।

हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए कुछ आवश्यकताएँ क्या हैं?

नीतियाँ और क्षमता विकास :

जैसा कि सभी नीतियों के मामले में होता है, विकासशील देशों में प्रशासनिक सरलता आवश्यक है। इसके अलावा, जनता को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास होने चाहिए। उदाहरण के लिए, हरित बांड प्रसिद्ध और सिद्ध तंत्रों का उपयोग करने से लाभान्वित होते हैं, लेकिन निवेशकों को हरित परियोजनाओं की परिभाषा को समझने में मदद की आवश्यकता हो सकती है।

इन प्रयासों में सरकारें क्षमता निर्माण के अवसर तलाश सकती हैं। ज्ञान-आधारित क्षमता निर्माण प्लेटफ़ॉर्म बढ़ रहे हैं, जैसे कि सतत बैंकिंग नेटवर्क, जिम्मेदार निवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांत, और ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत, और बहुपक्षीय विकास बैंकों के बीच प्रभाव-रिपोर्टिंग मेट्रिक्स में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास। हरित विकास के लिए वित्तपोषण लाने के लिए अधिक देशों और वित्तीय संस्थानों को कवर करने के लिए इन पहलों का विस्तार किया जा सकता है।

क्षेत्रीय स्तर पर भी उपाय किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आसियान कैपिटल मार्केट्स फोरम ने नवंबर 2017 में आसियान ग्रीन बॉन्ड मानक पेश किए, जिन्हें देश स्तर पर तैयार किया जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड मानकों के आधार पर, ये स्वैच्छिक क्षेत्रीय मानक आसियान में सतत विकास का समर्थन करने के लिए हरित परिसंपत्ति वर्ग विकसित करने में मदद करते हैं।

स्पष्टीकरण :

हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त प्रकटीकरण में सुधार करना है। स्पष्टीकरण वित्तीय निवेशकों को जोखिम को ठीक

से समझने और उस जोखिम का मूल्य निर्धारण करने की अनुमति देता है। यदि निर्णय उचित रूप से सूचित आधार पर लिए जाने हैं तो प्रकटीकरण कार्यक्रमों में सुधार करना, शायद उन्हें अनिवार्य बनाने, आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हरित बांड के लिए, इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि आय पात्र हरित निवेशों के लिए आवंटित की जाती है, अतिरिक्त प्रकटीकरण के साथ संभावित निवेशकों को हरित बांड और सामान्य बांड के बीच अंतर करने की अनुमति मिलती है।

अभी, प्रकटीकरण कार्यक्रम काफी हद तक स्वैच्छिक हैं। उदाहरण के लिए, बैंकिंग समूह एचएसबीसी वित्तीय स्थिरता बोर्ड के जलवायु-संबंधित प्रकटीकरण कार्यबल के तहत न केवल अपने उत्सर्जन बल्कि ग्राहकों के उत्सर्जन का भी खुलासा कर रहा है।

सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड उच्च गुणवत्ता वाले खुलासे की सुविधा के लिए समर्पित एक स्वतंत्र संगठन का एक उदाहरण है। यह 11 क्षेत्रों में 79 उद्योगों के लिए स्थिरता लेखांकन मानकों का विकास और प्रबंधन करता है।

कंपनियां अपने हितधारकों को कॉर्पोरेट पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रदर्शन का खुलासा करने के लिए स्थिरता रिपोर्ट भी जारी कर रही हैं।

ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने संगठनों के लिए उनके स्थिरता प्रदर्शन का आकलन और रिपोर्ट करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं।

एडीबी पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपने कॉर्पोरेट पदचिह्न को कम करने पर अपने निरंतर काम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए द्विवार्षिक रूप से अपनी स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

मूल्यांकन :

वित्तीय साधनों के लिए जो प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करना चाहते हैं (उदाहरण के लिए, किसी नदी या जंगल में), एक और महत्वपूर्ण उसमें शर्त प्राकृतिक संपत्तियों पर कीमत लगाने की क्षमता है। यह उन तरीकों से किया जाना चाहिए जो "निवेश योग्य आपूर्ति" प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसे उपकरण जो तरलता के साथ बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। इससे निवेशकों को बांड जैसी व्यापार योग्य प्रतिभूतियों के माध्यम से संरक्षित वनों में निवेश करने की अनुमति मिलेगी।

ऐसे ऋण-आधारित वित्तपोषण उपकरणों को डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे मेट्रिक्स हों जिनका उपयोग तुलना के लिए किया जा सके। कई उभरते हुए उपकरण हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, डिजिटल वॉलेट और मोबाइल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। हालाँकि, प्रकृति को महत्व देना महत्वपूर्ण चुनौतियों से रहित नहीं है।



संविधान सभा और हिंदी

आजादी के दो के वर्ष उपरांत 14 सितम्बर 1949 को देश ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं। उनमें सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा हिंदी थी। 14 जुलाई 1947 को चौथा सत्र शुरू होने से पहले सभा में इस विषय पर मतदान हुआ तो हिंदी के पक्ष में 63 मत मिले और हिंदुस्तानी के पक्ष में 32 मत पड़े। वैसे ही देवनागरी अंकों के पक्ष में 63 और अंतरराष्ट्रीय अंकों के पक्ष में 18 मत पड़े। लेकिन इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया और इसे नाजुक मामला कहकर टाल दिया गया कि इस मामले को बहुमत के बदले सर्वसम्मति से हल किया जाएगा।

दो वर्ष बाद 26 अगस्त 1949 को संविधान सभा के सदस्यों के बीच अंकों को लेकर एक बार फिर मतदान हुआ इस बार देवनागरी के पक्ष में 78 एवं अंतरराष्ट्रीय अंक के पक्ष में 77 मत पड़े। भाषा की अपेक्षा अंकों का मामला ज्यादा पेचीदा साबित हुआ। संविधान सभा में फिर 2 सितम्बर 1949 को इस विषय पर तीसरी बार मतदान किया गया। इस बार दोनों पक्षों को बराबर मत मिले 77 - 77। चौथी बार भी मत बराबर हुए। संविधान सभा ने इस विषय पर 12, 13, एवं 14 सितम्बर 1949 को तीन दिनों तक इस विषय पर विचार किया। जब सभा आरम्भ हुई तो पं. बालकृष्ण शर्मा ने सभा के अध्यक्ष से बहस बंद करने का प्रस्ताव किया। उसी बीच डॉ. रघुवीर ने सूचित किया कि अंकों के मामले में सहमति हो गई है और फिर अंत में बिना किसी बहस एवं मतदान के सर्वसम्मति से 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया तथा अंकों के मामले में भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया।

- 1) दो राज्यों के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?
क) अनुच्छेद 346 ख) अनुच्छेद 343
ग) अनुच्छेद 348 घ) अनुच्छेद 351
- 2) तमिलनाडु ने संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत कब अपने राज्य के लिए राजभाषा अधिनियम पारित किया ?
क) 1945 ख) 1956
ग) 1963 घ) 1967
- 3) संविधान सभा ने पहली बार हिंदी को राजभाषा चुने जाने के लिए कब मतदान किया ?
क) 14 अगस्त 1947 ख) 14 सितम्बर 1947
ग) 15 अगस्त 1947 घ) 14 जुलाई 1947
- 4) पुदुचेरी की राजभाषा क्या है ?
क) अंग्रेजी ख) उर्दू
ग) तमिल घ) हिंदी
- 5) हिमाचल प्रदेश राज्य, यदि तमिलनाडु राज्य से हिंदी पत्राचार करेगा तो पत्राचार का लक्ष्य क्या होगा ?
क) 100% ख) 75%
ग) 65% घ) 80%
- 6) विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों को हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य क्या है ?
क) 100% ख) 50%
ग) 65% घ) 80%
- 7) कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद तमिलनाडु राज्य में कितना प्रतिशत लक्ष्य है ?
क) 100% ख) 50%
ग) 65% घ) 80%
- 8) दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र कौन से भाषाई वर्ग क्षेत्र में आते हैं ?
क) क ख) ख
ग) ग घ) इनमें से कोई नहीं
- 9) यदि आप झारखंड राज्य में कार्यरत हैं और आपके कार्यालय को अंग्रेजी में प्रतिवेदन प्राप्त हो एवं हिन्दी में हस्ताक्षरित हो तो आप उस का उत्तर किस भाषा में देंगे ?
क) अंग्रेजी ख) क्षेत्रीय भाषा
ग) हिंदी घ) या इनमें से कोई नहीं
- 10) केंद्रीय हिंदी समिति ने यह निर्णय कब लिया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी विभागों में हिंदी सलाहकार समिति का गठन करना होगा
क) दिसम्बर 1987 ख) जनवरी 1976
ग) सितम्बर 1949 घ) इनमें से कोई नहीं
- 11) हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए ?
क) 2 ख) 4
ग) 1 घ) 3
- 12) संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है ?
क) 343 (1) ख) 351 (2)
घ) 342 घ) 344 (1)
- 13) आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है ?
क) अंग्रेजी ख) नेपाली
ग) उर्दू घ) फारसी
- 14) विदेशों में स्थिति भारतीय कार्यालयों में वर्ष के दौरान विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की संख्या कितनी होनी चाहिए ?
क) 2 ख) 4
ग) 1 घ) 3
- 15) ग क्षेत्र में कार्यालयों का वेबसाइट कितना प्रतिशत द्विभाषिक होना चाहिए ?
क) 100% ख) 50%
ग) 65% घ) 80%

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 56 देखें



संकलनकर्ता:

बरुन चौधरी

प्रबंधक

क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर



'वाणी' का 136 वां अंक (मार्च 2023) पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जोकि 'कृत्रिम मेधा' विशेषांक के रूप में प्रस्तुत है। 'कृत्रिम बुद्धि' के विभिन्न पहलुओं से संबन्धित लेखों से ओतप्रोत यह अंक समसामयिक है। पत्रिका में शामिल लेखों द्वारा इस नई तकनीक की सुविधा के लाभों तथा उससे जुड़ी चुनौतियों को उत्कृष्टता से समझाया गया है और साथ ही इस तकनीक की अद्यतन जानकारी दी गई है। पत्रिका की साज-सज्जा और कलेवर आकर्षक हैं। समग्र रूप से पत्रिका की सामग्री ज्ञानवर्धक और सारगर्भित है। सभी रचनाकारों और संपादक मण्डल को हार्दिक बधाइयाँ। पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ।

भवदीय,

एस एलांगो

महा प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक

आपके कार्यालय की गृह पत्रिका 'वाणी' का 136वां अंक (कृत्रिम मेधा विशेषांक) प्राप्त हुआ। धन्यवाद!

आवरण पृष्ठ की प्रथम झलक तथा पत्रिका का संपादकीय इस विशेष अंक की व्याख्या में समर्थ है। रेयाज़ उल हक़ का 'साहित्य का सफरनामा' ने गालिब की याद दिला दी। डॉ चिरंजीत चंद्रा का 'प्रशिक्षण में चैटबॉट की भूमिका' तथा अरविंद कुमार सिन्हा का 'व्यापार बढ़ाने में चैटबॉट' की भूमिका कार्योपयोगी है। एक ओर मनदीप सिंह की रचना 'जरा सा चलना है' जीवन पथ पर अग्रसर होने का साहस भरती है वहीं भूषण लांजेवार की कविता 'किताबें' ने अपनी हकीकत बयान की है। सामाजिक, आर्थिक, व्यापार, प्रशिक्षण, ग्राहक सेवा, अंतरिक्ष विज्ञान, मानव जीवन, वित्तीय संस्थान, परिवहन, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन आदि में कृत्रिम मेधा का समावेश संबंधी विविध आलेख पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं। विश्व हिन्दी दिवस की तस्वीरों से पत्रिका आकर्षक बनी है।

सभी रचनाकारों को उनकी सराहनीय रचना हेतु धन्यवाद!

भवदीय,

अजयेन्द्रनाथ त्रिवेदी

मुख्य प्रबन्धक, राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, यूको बैंक

वाणी पत्रिका की रूपरेखा एवं साज-सज्जा अत्यंत ही आकर्षक है। वाणी पत्रिका के 136वें अंक को आपने कृत्रिम मेधा विशेषांक के रूप में जारी किया है जो, जो इसमें निहित रोचक लेखों से स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है। वाणी पत्रिका के इस अंक से निश्चित ही सभी पाठकगण लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से तकनीकी एवं बैंकिंग विषयों पर समाहित लेख इसे और भी ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय बनाते हैं। "वाणी" पत्रिका के बेहतरीन एवं रोचक अंक के प्रकाशन हेतु आपको एवं आपके पूरे संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई।

भवदीय,

रीनु मीना

संपादक (केनरा ज्योति)

हमारी गृह पत्रिका 'वाणी' का कृत्रिम मेधा विशेषांक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पत्रिका का अवलोकन करने पर उसकी उत्कृष्टता श्रेष्ठ संपादकत्व को प्रदर्शित करती है। पत्रिका में संकलित सभी कार्यपालकों के संदेश प्रेरणादायी हैं और सभी आइओबियन्स के बीच नवीन उर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। कृत्रिम मेधा और बैंकिंग का संबंध स्थापित करने वाले आलेख बेहद ज्ञानवर्धक हैं जो हमें कृत्रिम मेधा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हैं। साहित्य के सफ़रनामा के अंतर्गत 'वो पूछते हैं कि गालिब कौन था? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या?' नामक आलेख तथा भारत सरकार: स्वर्णिम दशक का सिंहावलोकन जैसे आलेख रुचिकर हैं। ज्ञान के मोती के रूप में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट सुविचारों का संकलन और सुरक्षा सजगता, कृति दर्पण, नज़र कानूनी, प्रवासी भारतीय, इत्यादि जैसे स्तंभ पत्रिका को आकर्षक व ज्ञानवर्द्धक बनाते हैं।

उत्कृष्ट पत्रिका के संपादन हेतु मेरी ओर से संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

भवदीय,

नितेश कुमार सिन्हा

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल



आइओबी सुरक्षा के लाभार्थी को चेक के माध्यम से बीमा की राशि प्रदान करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, साथ में हैं तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण उद्योग मंत्री श्री टी एम अन्नवरसन एवं कांचीपुरम क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री वी सिकरीलाल



चेन्नै में आयोजित स्ट्रेटजी बोर्ड मीटिंग के दौरान बोर्ड के सदस्यों एवं कार्यपालकगण के साथ चर्चा करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with



अपने

मत्स्य पालन व्यवसाय का विस्तार करें

10 करोड़
तक का
ऋण



आइओबी मत्स्य समृद्धि



न्यूनतम ऋण
रु. 10 लाख से अधिक
अधिकतम ऋण
रु. 10.00 करोड़



आकर्षक ब्याज
दर 9.20%



सुविधानुसार
चुकौती अवधि
12 वर्ष तक

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम आइओबी शाखा पर जाएँ

www.iob.in

हमें फॉलो करें @IOBindia



1800 425 4445
1800 890 4445